बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड

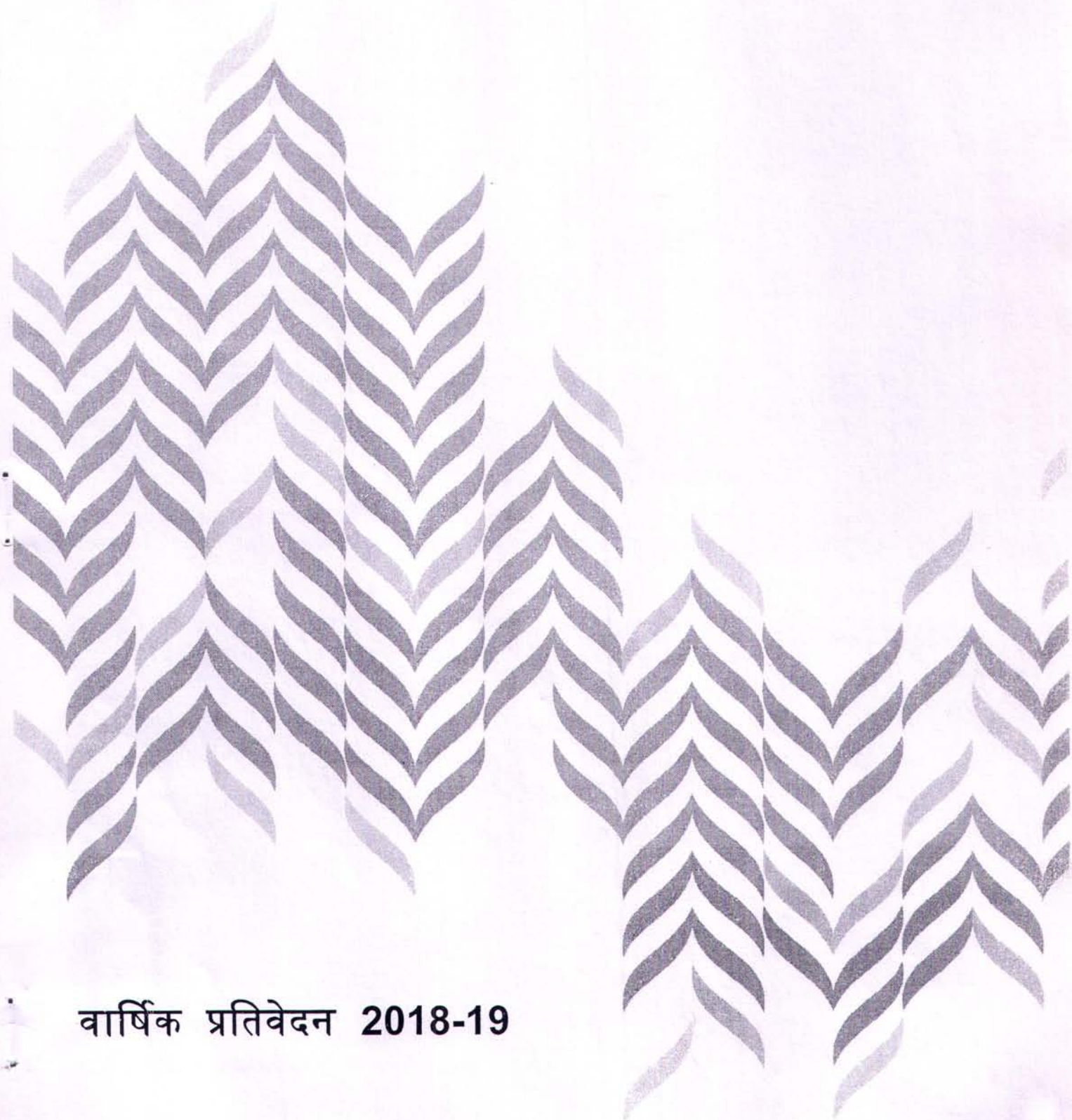

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19

20 सितंबर 2018 को बेलॉप में वर्ष 2017-18 के लाभांश का चैक बीईएल को सौपा गया, इस अवसर पर निदेशकगण।

बाएं से दाएँ - श्री आर एन बग्दलकर, निदेशक (मा.सं.), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप, श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक (विपणन), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप, श्री एम वी गौतमा, सीएमडी, बीईएल एवं अध्यक्ष, बेलॉप, श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर, निदेशक (वित्त), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप और श्री डीसीएन श्रीनिवास राव, सीईओ, बेलॉप.

वर्ष 2018 के दौरान कौशल विकास हेतु सीएसआर कार्यकलापों के तहत आई.टी.आई. खेड में इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला निर्मित करने के लिए 15 जुलाई, 2019 को व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा बेलॉप को सम्मानित किया गया।

डॉ. रणजीत पाटिल, कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार, बेलॉप के सीईओ श्री डी सी एन श्रीनिवास राव को सम्मानित करते हुए।

ध्येय

इमेज इंटेन्सीफायरों तथा अन्य चुने हुए क्षेत्रों में ग्राहक केन्द्रित एवं प्रौद्योगिकी द्वारा संचलित कंपनी बनना

यथा 21 अगस्त, 2019 को बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड का निदेशक मंडल

क)	श्री एम वी गौतमा	अध्यक्ष	सीएमडी, बीईएल
ख)	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक	निदेशक (विपणन), बीईएल
ग)	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	निदेशक	निदेशक (वित्त), बीईएल
घ)	श्री महेश वी	निदेशक	निदेशक (अनु. व वि.), बीईएल

प्रधान कार्यपालक

1.	श्री डी सी एन श्रीनिवास राव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी

कंपनी सचिव

1.	सुश्री प्रिया अय्यर	कंपनी सचिव एवं सीएफओ

बैंकर	लेखा परीक्षक
1. भारतीय स्टेट बैंक	मे. नातू एंड पाठक, सनदी लेखाकार, पुणे
2. एक्सिस बैंक लि.	

विषय-सूची

		पृष्ठ सं.
1	निदेशक मंडल, प्रधान कार्यपालक, बैंकर और लेखा परीक्षक	1
2.	विगत वित्तीय आंकड़े	2
3.	अध्यक्ष का पत्र	3
4.	मंडल का प्रतिवेदन	5
	क) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट (*अनुलग्नक 1*)	12
	ख) कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट (*अनुलग्नक 2*)	16
	ग) सीएसआर कार्यों पर रिपोर्ट (*अनुलग्नक 3*)	22
	घ) निर्वहनीयता रिपोर्ट (*अनुलग्नक 4*)	25
	ङ) वार्षिक विवरणी का सार – फार्म सं. एमजीटी-9 (*अनुलग्नक 5*)	26
	च) ऊर्जा संरक्षण आदि पर रिपोर्ट (*अनुलग्नक 6*)	31
	छ) सचिवीय लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (*अनुलग्नक 7*)	32
	ज) फार्म ए.ओ.सी. - II (*अनुलग्नक 8*)	34
5.	वित्तीय विवरण	
	क) तुलन-पत्र	36
	ख) लाभ व हानि का विवरण	37
	ग) नकदी प्राप्ति विवरण	38
	घ) इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	40
	ङ) उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ	41
	च) वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ (टिप्पणी सं 1 से टिप्पणी सं. 39)	50
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	82
7.	सी एंड एजी की टिप्पणियाँ	90

दस वर्षों के वित्तीय आंकड़े (रु. मिलियन में)

विवरण	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
कुल आय	610	534	702	1578	1843	1242	1087	1312	1246	1204
कर पश्चात लाभ	23	45	82	58	50	37	24	48	116	142
इक्विटी पूँजी	183	183	183	183	183	183	378	592	663	722
प्रारक्षण एवं अधिशेष	129	173	255	312	362	398	676	1014	1219	1398
कार्यशील पूँजी	245	299	881	272	(185)	(322)	(86)	35	221	120
नियोजित पूँजी	325	366	942	347	37	573	745	892	1024	869
निवल मूल्य	312	356	438	495	545	581	1055	1597	1868	2120

अध्यक्ष का पत्र

प्रिय शेयरधारक,

मुझे पिछले वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के कार्य-निष्पादन की प्रमुख बातें तथा कंपनी की भावी दृष्टि प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता होती है ।

वर्ष **2018-19** की झलकियाँ

वित्तीय कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान रु. 10325 लाख का कुल कारोबार किया। 2018-19 के दौरान, कंपनी ने अब तक का सर्वोच्च निवल लाभ रु. 1418 लाख दर्ज किया जो पिछले वर्ष के निवल लाभ पर 22.77% की बढ़ोत्तरी है। उच्चतर लाभ मुख्य रूप से मूल्य वर्धन में बढ़ोत्तरी के कारण हैं। कंपनी का निवल मूल्य यथा 31.03.2019 को रु. 21196 लाख तक बढ़ा और 12.63% की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई जो मुख्य रूप से लाभ के बढ़ने तथा रु. 1449 लाख के अतिरिक्त इक्विटी शेयर जारी करने (प्रीमियम के मूल्य सहित) के कारण है।

लाभांश

आपके निदेशकों ने वर्ष 2018-19 के लिए पी.ए.टी. के 30% के लाभांश की सिफारिश की है जो रु. **425** लाख में परिकलित होता है।

अन्य उपलब्धियाँ -

एमओयू रेटिंग

आपकी कंपनी को लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष कार्य-निष्पादन परिमापियाँ और लक्ष्य तय करने के लिए अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ किए जाने वाले एमओयू के संबंध में, वर्ष 2017-18 के लिए "उत्कृष्ट" रेटिंग प्रदान की गई है ।

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2018-19 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

[आईसीआरए]एए+ की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है । ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं ।

अनुसंधान एवं विकास

कंपनी का डी एंड ई विभाग, विभिन्न निर्माणी विभागों के अनुभवी कार्यपालकों के साथ मिलकर उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा विनिर्माणी एवं परीक्षण उपस्करों के कोटि उन्नयन का विकास कार्य आगे बढ़ाने और निष्पादन करने के लिए कार्य कर रहा है।

- अनु. व वि. टीम इमेज इनटेंसीफायर ट्यूब के सिग्नल से नॉएस अनुपात के मापन हेतु उपकरण का विकास, पावर सप्लाई यूनिट (पीएसयू) की री-डिज़ाइन, कैपस्यूलीकृत वोल्टेज मल्टीप्लायरों के साथ टाइप पीएस-12I, पैसिव नाइट वीज़न के लिए हाई लाइट प्रोटेक्शन सर्किट के विकास जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भी कार्य किया है।

उपर्युक्त अनु. व वि. प्रयासों के कारण, कंपनी ने अतिरिक्त उत्पादों की पहचान करने और कंपनी के विद्यमान उत्पादों की बाज़ार की संभावना में सुधार करने की ओर प्रगति की है। कंपनी निर्माण और आपूर्ति में बेहतर उत्पाद गुणता तथा अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए अपने विद्यमान उत्पादों का कोटि उन्नत करने की भी प्रक्रिया में कार्यरत है।

कंपनी अपनी सक्षमताओं और कौशल का उपयोग करते हुए नए उत्पादों को विकसित करने के भी प्रयास कर रही है।

भावी दृष्टि

XR-5 परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम अवस्था में है और इन्वर्टिंग और नॉन-इन्वर्टिंग विन्यास के XR-5 ग्रेड के I.I. ट्यूब पहले से प्रायोगिक उत्पादन में हैं।

बेलॉप कारोबारी अवसरों में सुधार करने तथा अपने उत्पादों की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल करने के संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण करने की भी योजना बना रही है।

2019-20 में कार्य-निष्पादन

यथा 30.06.2019 को आपकी कंपनी की आदेश बही रु. 5.60 करोड़ की है। बहरहाल, कंपनी वर्ष के दौरान और अधिक आदेश प्राप्त होने और उन्हें कार्यान्वित करने की आशा करती है और इसे वर्ष 2019-20 में लगभग रु. 120 करोड़ की बिक्री करने की अपेक्षा है।

अभिशासन एवं निर्वहनीयता

आपकी कंपनी कार्पोरेट अभिशासन में सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने का प्रयास करती है। सीपीएसई के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट मंडल के प्रतिवेदन में दी गई है।

आभार

मैं निदेशक मंडल द्वारा दिए गए समर्थन और मार्ग-दर्शन के लिए उनका आभारी हूँ। मैं धारक कंपनी, अपने ग्राहकों और कारोबारी सहयोगितियों द्वारा दिए गए समर्थन की प्रशंसा करता हूँ। सभी स्तरों पर हमारे कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित समर्पण और प्रतिबद्धता हमारी कंपनी की मुख्य शक्ति बनी हुई है। हम भावी चुनौतियों का सामना करने और लाभप्रद विकास की गति बनाए रखने के लिए इन शक्तियों को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित,

आपका,
-हस्त.-
(एम वी गौतमा)
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 24 अगस्त, 2019

मंडल का प्रतिवेदन

सदस्यों के लिए,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपके समक्ष कंपनी की **29वीं वार्षिक रिपोर्ट** पेश करते हुए खुशी हो रही है जिसमें सांविधिक लेखा परीक्षकों और इस पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षित खातों के साथ-साथ इस अवधि के विभिन्न मैट्रिक्स में कंपनी के कार्य-निष्पादन को रेखांकित किया गया है।

1. वित्तीय झलकियाँ

कंपनी ने वर्ष के दौरान रु. 10325 लाख का विक्रयावर्त (सकल) हासिल किया और रु. 1418 लाख का लाभ अर्जित किया और रु. 1327 लाख की कुल व्यापक आय अर्जित की।

कंपनी के वित्तीय परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है –

रु. लाख में

विवरण	2018-2019	2017-2018
कुल आय	12042	13912
मूल्यह्रास, वित्त लागत और कर से पहले लाभ	4376	3837
वित्त लागतें	409	515
मूल्यह्रास	2101	2054
कर पूर्व लाभ	1866	1268
कराधान के लिए प्रावधान	448	113
वर्ष का लाभ	1418	1155
कुल व्यापक आय	1327	1170

2. लाभांश

निदेशकों ने वर्ष 2018-19 के लिए 30% के पी.ए.टी. के लाभांश की सिफारिश की है जो रु. 4.25 करोड़ में परिकलित होता है।

3. चुकता पूँजी में बढ़ोत्तरी

वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी की चुकता इक्विटी पूँजी इसकी धारक कंपनी मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के राइट इश्यू के कारण रु. 5.89 करोड़ तक बढ़ी।

4. आदेश बही की स्थिति

कंपनी की आदेश की स्थिति यथा 1.4.2018 को रु. 31.42 करोड़ की तुलना में 1.4.2019 को रु. 3.74 करोड़ थी । वर्ष के दौरान कंपनी ने रु. 76.74 करोड़ के आदेश प्राप्त किए।

5. भावी दृष्टि

XR-5 परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम अवस्था में है।

बेलॉप कारोबारी अवसरों में सुधार करने तथा अपने उत्पादों की श्रृंखला में विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल करने के संबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण करने की भी योजना बना रही है।

6. वित्त

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, आपकी कंपनी ने वृद्धिशील कार्यशील पूँजी तथा अवसंरचना के कोटि उन्नयन तथा पूँजीगत उपस्करों पर अतिरिक्त निवेश की ओर निधि संबंधी आवश्यकताएँ मुख्य रूप से आंतरिक संसाधनों से और शेष अपने संघीय बैंकों और धारक कंपनी से कार्यशील पूँजी का उधार लेते हुए पूरी की । नकदी प्राप्तियों की गहन निगरानी तथा प्रभावी नकद प्रबंधन के माध्यम से उधार को कम किया गया । बीईएल भी इक्विटी लाते हुए और ऋण द्वारा XR-5 परियोजना की लागत का वित्त-पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

7. क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2018-19 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

[आईसीआरए]एए+ की दीर्घकालीन रेटिंग स्थिर दृष्टि के लिए है । ये रेटिंग दीर्घकाल और अल्पकाल में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता को दर्शाते हैं । दोनों ही रेटिंग 31 अक्तूबर 2019 तक वैध हैं । इन रेटिंग से कंपनी को संघीय बैंकों से प्राप्त की जा रही विभिन्न कार्यशील पूँजी सुविधाओं को बेहतर शर्तों में प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

8. अनुसंधान एवं विकास (अनु. व वि.)

कंपनी का डी एंड ई विभाग, विभिन्न निर्माणी विभागों के अनुभवी कार्यपालकों के साथ मिलकर उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा विनिर्माणी एवं परीक्षण उपस्करों के कोटि उन्नयन का विकास कार्य आगे बढ़ाने और निष्पादन करने के लिए कार्य कर रहा है।

वर्ष के दौरान, अनु. व वि. टीम ने नीचे रेखांकित विशिष्ट क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप किए –

- इमेज इनटेंसीफायर ट्यूब के सिग्नल से नॉएस अनुपात के मापन हेतु उपकरण का विकास।
- पावर सप्लाई यूनिट (पीएसयू) की री-डिज़ाइन, टाइप पीएस-12I, कैपस्यूलीकृत वोल्टेज मल्टीप्लायरों के साथ। कैपस्यूलीकृत वोल्टेज मल्टीप्लायरों के प्रयोग से पीएसयू के निर्माण में लब्धि और उत्पादकता बढ़ेगी, विशेषकर अधिक आर्द्रता निर्वहनीयता के लिए एपॉक्सी आधारित पॉटिंग यौगियों के साथ।
- पैसिव नाइट वीज़न के लिए हाई लाइट प्रोटेक्शन सर्किट का विकास । उपयुक्त ऑप्टिकल असेंबली के साथ यह सर्किट "समान रूप से संवितरित" या "स्पॉट टाइप" हाई लाइट दोनों परिस्थितियों में I.I.ट्यूबों को सुरक्षित रखता है।

उपर्युक्त अनु. व वि. प्रयासों के कारण, कंपनी ने अतिरिक्त उत्पादों की पहचान करने / कंपनी के विद्यमान उत्पादों की बाज़ार की संभावना में सुधार करने की ओर प्रगति की है। कंपनी निर्माण और आपूर्ति में बेहतर उत्पाद गुणता तथा अधिक उत्पादकता प्रदान करने के लिए अपने विद्यमान उत्पादों का कोटि उन्नत करने की भी प्रक्रिया में कार्यरत है।

कंपनी अपनी सक्षमता और कौशल का उपयोग करते हुए नए उत्पाद विकस्त करने के भी प्रयास कर रही है।

9. ग्राहक तुष्टिकरण

ग्राहक केंद्रण पहल के इसके भाग के रूप में, I.I. ट्यूब के कामकाज पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भारतीय थलसेना के अनुरक्षण तकनीशियनों के लिए चार कार्यशालाएँ I.I. ट्यूबों पर कार्यशालाएँ संचालित की गईं।

10. सरकार के साथ एम.ओ.यू.

बेलॉप अपनी धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करती आ है और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के अनुमोदन से प्रत्येक वर्ष की कार्य-निष्पादन परिमापियाँ और लक्ष्य तय किए जाते हैं। आपके निदेशकों को यह सूचित करने हुए प्रसन्नता होती है कि वर्ष (2017-18) के लिए कंपनी के कार्य-निष्पादन को 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्रदान की गई है । वर्ष 2018-19 की एमओयू रेटिंग का मूल्यांकन सरकार द्वारा वर्ष की तीसरी तिमाही में किया जाएगा।

11. मानव संसाधन

31 मार्च 2019 को आपकी कंपनी में 137 कार्मिक नियोजित हैं जिनकी संख्या पिछले वर्ष के समान है । इनमें से 38 कार्यपालक और 5 महिला कर्मचारी हैं । वर्ष के दौरान एक कर्मचारी की नियुक्ति की गई और एक कर्मचारी ने सेवात्याग किया।

12. औद्योगिक संबंध

गैर-कार्यपालकों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 1 अप्रैल 2017 से देय है। सीपीएसई में गैर-कार्यपालकों के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में सरकारी दिशा-निर्देशों के आधार पर वार्ता बैठकें वेतन पुनरीक्षण वार्ताकार समिति और कामगार यूनियन के बीच जारी है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के कार्यालय ज्ञापन सं. डबल्यू-02/0028/2017- डीपीई (डबल्यूसी)-जीएल-XIII/17 दिनांक 03.08.2017 द्वारा जारी वेतन पुनरीक्षण के पुनरीक्षित दिशा-निर्देशों (तीसरी पीआरसी की सिफारिशों के आधार पर) के अनुसार, दस वर्षों की अवधि के लिए दिनांक 01.01.2017 से कंपनी के मंडल स्तर से नीचे के कार्यपालकों के लिए वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव के संबंध में राष्ट्रपति के निर्देश जारी किए गए है। इसके अनुसार वेतन पुनरीक्षण जून 2019 के दौरान कार्यान्वित किया गया।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द्रपूर्ण रहे।

13. पर्यावरण प्रबंधन

बेलॉप परिसरों के आसपास स्वच्छ परिवेश और हरा-भरा पर्यावरण बनाए रखती है । कंपनी सख्त प्रदूषण नियंत्रण, अपशिष्ट जल उपचार, शून्य निस्सारी उत्सर्जन, ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, हानिकारक तथा अपशिष्ट के अन्य रूपों के प्रणालीबद्ध प्रबंधन तथा निपटान के उपाय भी करती है ।

मंडल के प्रतिवेदन के ***अनुलग्नक-4*** में निर्वहनीयता रिपोर्ट में पर्यावरण प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया गया है।

14. संरक्षा

कंपनी में अपने कार्मिकों, संयंत्र और मशीनरी की संरक्षा के लिए एक संरचित व्यवस्था है । संरक्षा समिति नियमित आधार पर संरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और संरक्षा कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है ।

- बेलॉप में कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले सभी संरक्षा उपकरणों, पीपीई की आवधिक रूप से जाँच की जाती है और उनके लिए स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते हैं।

15. गुणता

कंपनी ने क्यूएमएस आईएसओ 9001:2015 और ईएमेस आईएसओ 14001:2015 मानकों के आधार पर एकीकृत प्रबंध प्रणाली शुरु किया है। कंपनी को जनवरी 2019 माह में एकीकृत प्रबंध प्रणाली (आईएमएस) के लिए ब्यूरो वेरिटास (भारत) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रमाणित किया गया है ।

16. सतर्कता

मुख्य सतर्कता अधिकारी, बीईएल द्वारा वर्ष 2012-13 से बेलॉप के एक सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की गई । सतर्कता विभाग नियमित आधार पर खरीद, ठेकों और प्रक्रियाओं का परीक्षण करता है, नियमित और आकस्मिक निरीक्षण करता है और उसे संदर्भित किसी संदिग्ध लेनदेन की जाँच-पड़ताल करता है । कोई भी कर्मचारी या तृतीय पक्षकार किसी संदिग्ध लेन-देन के बारे में जाँच-पड़ताल कराने हेतु सतर्कता अधिकारी को सूचित कर सकते हैं ।

वर्ष के दौरान सतर्कता विभाग का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा । कंपनी के सभी कार्यपालकों ने अपनी वार्षिक संपत्ति विवरणी (ए.पी.आर.) आज्ञापक तारीख से पहले दाखिल की और 20% ए.पी.आर. की छानबीन की गई और उन्हें ठीक पाया गया । वर्ष के दौरान 61 क्रय आदेश /ठेके तथा उच्च मूल्य के सभी आदेशों /ठेकों की समीक्षा/ छानबीन की गई और उन्हें ठीक पाया गया । 39 नियमित और 30 आकस्मिक निरीक्षण किए गए। जाँच-पड़ताल के तहत कोई मामला लंबित नहीं है ।

17. निष्ठा संधि

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने प्रापण संबंधी कार्यकलापों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सभी सरकारी संगठनों में बड़े मूल्य के ठेकों में निष्ठा संधि प्रारंभ करने की पहल की है। रक्षा मंत्रालय और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान बेलॉप ने रु. 300 लाख और इससे अधिक मूल्य के सभी आदेशों / ठेकों के लिए सभी विक्रेताओं / पूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों / सेवा प्रदाताओं के साथ एक निष्ठा संधि की है।

18. आर.टी.आई. अधिनियम (आरटीआईए) का कार्यान्वयन

कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यथा निर्दिष्ट, कुछेक कार्यपालकों को जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी मनोनीत किया है। वर्ष 2018-19 के दौरान, कंपनी को आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का एक अनुरोध प्राप्त हुआ और निर्धारित समय के भीतर वांछित सूचना प्रदान की गई।

19. निदेशालय

श्री कोशी अलेक्ज़ाण्डर और श्री आर एन बग्दलकर को 20 सितंबर, 2018 को आयोजित कंपनी की 28 वीं वार्षिक सामान्य बैठक में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कंपनी अधिनियम, 2013 और संस्था के अंतर्नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार, श्री कोशी अलेक्ज़ाण्डर चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने के कारण पुन:नियुक्ति का प्रस्ताव रखते हैं।

श्री आर एन बग्दलकर, निदेशक दिनांक 31 मई 2019 को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हुए। मंडल श्री आर एन बग्दलकर द्वारा कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान दिए गए समर्थन और मार्गदर्शन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता है।

20. मंडल की बैठकें / निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

वर्ष के दौरान मंडल की पाँच बैठकें आयोजित हुईं जिनके विवरण कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट का भाग बनते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के निदेशालय तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के संबंध में परिवर्तन के विवरण नीचे दिए गए हैं –

क्र.सं.	निदेशक / केएमपी का नाम	पदनाम	नियुक्ति/ कार्यमुक्ति की तारीख	टिप्पणी
1	श्री आर एन बग्दलकर	निदेशक	05.07.2018 को नियुक्त और 31.05.2019 को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त	बीईएल द्वारा नामांकन के तुसार प्रारंभ में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त। उन्हें 20.09.2018 को आयोजित 28वीं एजीएम में चक्रानुक्रम द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के रूप मे पुन:नियुक्त किया गया और वे 31.05.2019 को अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त हुए

21. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

जहाँ तक आपके निदेशकों की जानकारी और विश्वास है और उनके द्वारा प्राप्त की गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ग) के परिप्रेक्ष्य में आपके निदेशक निम्नलिखित वक्तव्य देते हैं -

क) कि वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्वपूर्ण प्रकटणों के संबंध में उचित स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ, लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है ;

ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों को अपनाया और उन्हें स्थिरतापूर्वक लागू किया है और ऐसे निर्णय लिए हैं और प्राक्कलन किए हैं जो उचित और दूरदर्शी हैं और वित्तीय वर्ष के अंत पर कंपनी के कार्यकलापों तथा उसी अवधि के लिए कंपनी के लाभ पर उचित और न्यायसंगत दृष्टि प्रदान करते हैं ;

ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित लेखा अभिलेख रखने के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है ;

घ) कि निदेशकों ने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं;;

ङ) कि सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ विद्यमान और समुचित हैं और वे प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं;

च) कि सभी लागू नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रणालियाँ व्यवस्थित हैं, समुचित हैं और प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

22. उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश

विनियामकों, न्यायालयों या ट्रिब्यूनलों द्वारा ऐसा कोई उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है जो लाभप्रद और सक्रिय कारोबार की स्थिति और भविष्य में कंपनी के प्रचालनों को प्रभावित करेगा ।

23. वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद की घटनाएँ

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ जो 31 मार्च, 2019 और इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बीच हुए हैं, कुछ नहीं हैं ।

24. सांविधिक लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के प्रावधानों के तारतम्य में, वर्ष 2018-19 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में मेसर्स नातू एंड पाठक, सनदी लेखाकार पुणे को नियुक्त किया है । वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा टीम द्वारा की गई।

25. लागत लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत अभिलेख एवं लेखा परीक्षा), नियम, 2014 (यता संशोधित) के साथ पढ़ा जाना है, के तारतम्य में, कंपनी द्वारा अपने निर्माणी कार्यकलापों के संबंध में रखे गुए लागत लेखा परीक्षा के अभिलेखों की लागत लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जानी आवश्यक है। लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी के लागत लेखांकन अभिलेखों की लेखा परीक्षा के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 जिसे उसके तहत बनाए गए लागू नियमों के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार मे. जोशी आप्टे एंड एसोसिएट्स, लागत लेखाकार को लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया है ।

26. लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग -

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी के लेखा परीक्षकों द्वारा किसी धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई।

27. लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन -

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने लागू सचिवीय मानकों का पालन किया है।

28. सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2018-19 के लिए श्री अभिजीत दाखवे, कार्यरत कंपनी सचिव को सचिवीय लेखा परीक्षक नियुक्त किया है। श्री अभिजीत दाखवे द्वारा प्रस्तुत सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट ***अनुलग्नक 7*** में दी गई है।

बेलॉप कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की भी पहल करेगी।

29. लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत वर्ष 2018-19 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 'कुछ नहीं' टिप्पणी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है ।

30. 31 मार्च, 2019 को लेखा परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार है -

लेखा परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार है –

1) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	अध्यक्ष*
2) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	अध्यक्ष
3) श्री आर एन बग्दलकर (05.07.2018 से प्रभावी)	सदस्य

*05.07.2018 से प्रभावी करते हुए अध्यक्ष

31. संबंधित पक्षकार के लेनदेन

कंपनी के प्रवर्तकों, निदेशकों, प्रबंधन या उनके संबंधियों के साथ ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार के लेनदेन नहीं किया गया जिससे कंपनी के हित का संभावित संघर्ष हो। संबंधित पक्षकार के लेन-देन जो वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए, स्वतंत्र व निष्पक्ष लेनदेन आधार पर किए गए और कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए। संबंधित पक्षकार के सभी लेनदेन लेखा परीक्षा समिति और साथ ही मंडल के समक्ष अनुमोदन, यदि आवश्यक हो, हेतु रखे गए हैं। सदस्यगण संबंधित पक्षकारों के लेनदेन के विवरण के लिए लेखों की टिप्पणियां देखें।

32. ऋण / गारंटियाँ / निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत ऋण, गारंटियों, निवेशों के विवरण 'कुछ नहीं' हैं।

33. वार्षिक विवरणी का सार

वार्षिक विवरणी का सार प्रारूप (एमजीटी-9) में इस रिपोर्ट के *अनुलग्नक 5* में दिया गया है और वार्षिक विवरणी की प्रति आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

34. पारिश्रमिक नीति

मंडल ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति का मसौदा तैयार किया है। इसके विवरण *अनुलग्नक 2* में कार्पोरेट अभिशासन की रिपोर्ट में दिए गए हैं।

35. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी में वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक विस्तृत टिप्पणी प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दी गई है।

36. प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों (डीपीई) के अनुसार प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट इस रिपोर्ट के साथ *अनुलग्नक 1* में दी गई है।

37. कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के साथ *अनुलग्नक 2* में दी गई है।

38. जोखिम प्रबंधन

जोखिमों से निपटने के लिए किए गए उपाय कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट में उल्लिखित हैं।

39. कार्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक दायित्व) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, यह संस्तुति की गई है कि कंपनी सीएसआर संबंधी कार्यकलाप करेगी और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभों का कम से कम दो प्रतिशत खर्च सीएसआर पहलों पर करेगी।

कंपनी (कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) नियम, 2014 के नियम 8 के तारतम्य में, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सीएसआर कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट, *अनुलग्नक 3* में दी गई है।

40. निर्वहनीयता रिपोर्ट

लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी "निर्वहनीय विकास" पर जारी दिशा-निर्देशों के तहत यथा अपेक्षित, "निर्वहनीय विकास" पर कंपनी के प्रयासों पर एक अलग अध्याय इस रिपोर्ट, *अनुलग्नक 4* में दी गई है।

41. कर्मचारियों के विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी में ऐसे कोई कर्मचारी नहीं थे जो वित्तीय वर्ष पर्यंत नियोजित थे और जिनका कुल पारिश्रमिक रु. 1.02 करोड़ प्रति वर्ष से अधिक था या जो वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियोजित थे और जिनका कुल पारिश्रमिक रु. 8.50 लाख प्रति माह से अधिक था।

42. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटण

कंपनी में महिलाओं और पुरुषों, सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और लगातार एक ऐसी संस्कृति तैयार करने का प्रयास किया जाता है जिसमें सभी कर्मचारियों का सम्मान किया जाए। कंपनी ने यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की है। वर्ष के दौरान यौन उत्पीड़न संबंधी एक शिकायत प्राप्त हुई और आंतरिक शिकायत समिति ने शिकायत की जाँच-पड़ताल की और संबंधित कार्यपालक को दोषी पाया गया और उसे उचित दंड दिया गया।

43. अन्य प्रकटण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम), जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना, जो ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय से संबंधित है, *अनुलग्नक 6* में दी गई है।

44. आभार

आपके निदेशक सभी ग्राहकों, विशेषकर रक्षा सेवाएँ और परा सैन्य बलों और साथ ही, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन की सराहना करते हैं और भविष्य में उनके सतत् समर्थन एवं सहयोग की अपेक्षा करते हैं। आपके निदेशक बेलॉप में टीओटी के कार्यान्वयन के लिए मे. फोटोनिस द्वारा प्रदान किए गए सहयोग की भी सराहना करते हैं और भविष्य में सार्थक सहयोग जारी रहने की आशा करते हैं। आपके निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, लेखा परीक्षा मंडल के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों, सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी के बैंकर और विक्रेताओं के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आपके निदेशक सभी स्तरों पर सभी कर्मचारियों द्वारा किए गए सच्चे प्रयासों की सराहना करते हैं जिसके कारण आपकी कंपनी वर्ष के दौरान अच्छा कार्य-निष्पादन हासिल करने में सक्षम बनी। आपके निदेशक धारक कंपनी, मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए अपनी सराहना और आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले वर्षों में कंपनी की प्रगति बनाए रखने में उसकी निरंतर सहायता और सहभागिता की आशा करते हैं।

मंडल के लिए तथा उसकी ओर से

-हस्त-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - **21** अगस्त, **2019**

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक सं. **1**

प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

क) उद्योग की संरचना और विकास, शक्तियाँ, कमज़ोरियाँ, सुअवसर एवं जोखिम तथा निर्वहनीय कार्य-निष्पादन तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए किए गए और योजित प्रमुख पहल

(क) अर्थव्यवस्था, उद्योग की सामान्य जानकारी जिसमें कंपनी कार्य करती है, बाजार की दशाएँ तथा ये कंपनी पर कैसे प्रभाव डालती हैं, कंपनी के हित की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदम/ कार्य योजना;;

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.) द्वारा फरवरी 2019 में जारी दूसरे अग्रिम प्राक्कलन के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 2017-18 में लगभग 7.2% की जीडीपी प्रगति दर्ज करने के बाद 2018-19 में 7.0% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2017-18 में इस विकास के साथ, भारत की जीडीपी विकास दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वोच्च है। भारतीय अर्थ व्यवस्था एक सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था और वैश्विक अवरोधों से कम प्रभावित अर्थ व्यवस्था बनी हुई है। मज़बूत समष्टि अर्थव्यवस्था के आधारभूत तत्वों और नीतिगत बदलाव (दिवालियापन और ऋणशोधन क्षमता, बैंक रीकैपिटलीकरण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी नीति सहित) के कारण बाहरी झटकों के प्रभाव से बचा जा सका। वर्ष 2018-19 में जीडीपी विकास के ये अनुमान उपभोग में निरंतर बढ़ोत्तरी और निवेश में वैश्विक दृढ़ता, विशेषकर अवसंरचना विकास में अधिक ध्यान दिए जाने के कारण है।

हालांकि कुछेक देशों में बढ़ते संरक्षणवाद की प्रवृत्तियों को लेकर चिंता ज़रूर व्यक्त की गई, तथापि हमें यह देखना होगा कि भविष्य में परिस्थितियों में क्या परिवर्तन होता है। विश्व की विकास दर में 2019 में नियंत्रित सुधार की संभावना व्यक्त किए जाने से, अन्य बातों के साथ-साथ, जीएसटी में अधिक स्थिरता, निवेश के स्तरों में संभावित वसूली तथा चालू ढांचागत सुधार कार्यों से विकास दर को मज़बूती मिलेगी और संतुलित रूप से, देश की अर्थव्यवस्था में 2019-20 के दौरान सुधार होने की संभावना है। चूँकि निर्माण उद्योग आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन का प्रमुख कारक है, भारत सरकार वर्ष 2022 तक जीडीपी में निर्माण उद्योग का हिस्सा 16% से बढ़ाकर 25% करना चाहती है और लगभग 100 मिलियन नई नौकरियाँ सृजित करना चाहती है।

(ख) एस डबल्यू ओ टी विश्लेषण

❖ शक्तियाँ –:

- उच्च कार्य-निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों का स्वदेशी निर्माण करने के लिए अत्युन्नत प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता ।
- दो दशकों से अधिक का अनुभव जिससे इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूबों के क्षेत्र में उत्कृष्ट ज्ञान और मुख्य सक्षमताएँ प्राप्त हुईं।
- आई.आई. ट्यूबों के निर्वहनीय निर्माण के लिए कच्चे माल और घटकों की आपूर्ति के लिए संस्थापित विक्रेता आधार ।
- ग्राहकों को बेहतर उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रक्रियाओं, निर्माण और परीक्षण अवसंरचना के निरंतर कोटि उन्नयन के लिए मज़बूत डी एंड ई और परियोजना टीम ।
- ग्राहकों को दीर्घकालीन प्रतिबद्धता के कारण मज़बूत ग्राहक समर्थन।
- कार्य की अच्छी पद्धतियाँ।
- आईएसओ 9001:2015 से प्रमाणित गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) और आईएसओ 14001:2015 से प्रमाणित पर्यावरण प्रबंध प्रणाली।

❖ कमज़ोरियाँ –

- विविधीकृत उत्पाद श्रृंखला की कमी, एकल उत्पाद पर निर्भरता।
- प्रमुख कच्चा माल और घटक (आर एम तथा सी) देश में उपलब्ध नहीं । आरएम तथा सी के लिए आयात प्रतिस्थापन की आपूर्ति करने के लिए स्वदेशी स्रोत विकसित करने हेतु अधिक तकनीकी प्रयासों की ज़रूरत।

❖ सुअवसर –

- बढ़ती रक्षा और सुरक्षा ज़रूरतें
- रक्षा और देश की आंतरिक सुरक्षा की बढ़ती ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनतम 8-10 वर्षों के लिए उच्च कार्य-निष्पादन वाले आई.आई. ट्यूबों का संभावित बाज़ार।
- सरकार द्वारा रक्षा उपस्करों के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया पर दिया गया ज़ोर।
- केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के आधुनिकीकरण पर अधिक ज़ोर

❖ जोखिम –

- निजी कंपनियों से अधिक स्पर्धा
- प्रयोक्ता विभाग द्वारा इमेज की गुणता संबंधी आवश्यकता स्पष्ट न किए जाने के कारण, पुन:सज्जित आई.आई. ट्यूब का प्रयोग करते हुए या कम इमेज गुणता वाले आई.आई. ट्यूबों का प्रयोग करते हुए प्रतिस्पर्दा द्वारा एनवीडी की कम कीमत लगाना।
- रात्रि दर्शी प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन।
- निजी क्षेत्र के अनुकूल नीतियों का बनाया जाना।

(ग) निर्वहनीय कार्य-निष्पादन एवं प्रगति सुनिश्चित करने के लिए की गई और योजित प्रमुख पहल

क) प्रौद्योगिकी का कोटि उन्नयन एवं अनु. व वि.

बेलॉप ने दिसंबर 2014 से अपने ग्राहकों के लिए गहन विनिर्माण के माध्यम से एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूबों की आपूर्ति शुरु की है । कंपनी संस्थागत अनु. व वि. के माध्यम से अपनी निर्माणी तथा परीक्षण अवसंरचना की कोटि उन्नत करने के प्रयास भी कर रही है। भारतीय थलसेना द्वारा अधिक वर्धित निष्पादन वाले ट्यूबों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कंपनी ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मे. फोटोनिस फ्रांस एसएएस, फ्रांस तथा उसकी संबद्ध कंपनी मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ एक टीओटी करार किया है । एक्सआर-5 परियोजना पूरी होने वाली है।

कंपनी ग्राहक के आदेश प्राप्त न होने / देरी से प्राप्त होने की अवधि के दौरान बिक्री बढ़ाने / स्थायी व्यय उपगत होने के जोखिम को कम करने के लिए संबद्ध / नए उत्पादों में विविधीकरण करने के सुनियोजित प्रयास भी कर रही है।

(घ) जोखिम प्रबंधन, लागत कटौती तथा स्वदेशीकरण पर किए गए विशिष्ट उपाय

क) जोखिम प्रबंधन

कंपनी में एक संस्थापित जोखिम प्रबंधन नीति है जिसमें प्रौद्योगिकी, उत्पाद, विपणन, मानव संसाधन, वित्त तथा अन्य प्रचालनों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न जोखिमों के अभिचिह्नन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और उपचार का ढांचा तैयार किया गया है । कंपनी में जोखिमों के सतत् अभिचिह्नन, कोटि उन्नयन, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण और प्रबंधन के लिए एक 'व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा' मौजूद है । इस ढांचे के अंतर्गत शीर्षस्थ स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी (बेलॉप) करते हैं और विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन एवं इंजीनियरी, वित्त और मा.सं. जैसे महत्वपूर्ण कार्यशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होते हैं ।

जोखिम चैम्पियन (आरसी) वरिष्ठ उप महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी होते हैं । आरएमसी तिमाही आधार पर समग्र रूप से कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रयासों की समीक्षा करती है । आरएमसी प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को तिमाही रिपोर्ट पेश करती है। कंपनी आरएम की स्थिति के बारे में मंडल को वार्षिक रूप से सूचित करती है ।

कुछेक जोखिम जिन्हें पहचाना गया है, को उचित जोखिम प्रशमन प्रक्रियाएँ शुरु करते हुए निपटा जा रहा है । इसी तरह, किसी प्रमुख प्रबंधकीय निर्णय के मामले में, जोखिम के कारकों को उचित निर्णय लेने के लिए निर्णय लेने वाले प्राधिकारी को सूचित किया जाता है ।

ख) लागत कटौती और स्वदेशीकरण

कंपनी के लागत कटौती के कार्यकलापों में निर्माणी और निर्माणेत्तर दोनों क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता है और उनमें उत्पादन, प्रशासन, वित्त, सेवाएँ आदि जैसे कारोबार के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। कंपनी ने निर्माणी और उप-ठेका के क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए हैं जिससे गुणवत्ता और उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है और इसके फलस्वरूप लागत में कटौती हुई है।

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तता

कंपनी में आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है जो उसके आकार तथा प्रचालनों की प्रकृति के अनुरूप है। इनका अभिकल्प इस प्रकार तैयार किया गया है कि विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रचालनात्मक सूचना दर्ज और प्रदान करने, लागू संविधियों का अनुपालन करने, अनधिकृत इस्तेमाल या हानियों से परिसंपत्तियों की रक्षा करने, उचित प्राधिकरण के साथ लेन-देन करने तथा समय-समय पर जारी कंपनी की नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने की दृष्टि से उपाय किए जा सकें।

वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा बीईएल की आंतरिक लेखा परीक्षा की टीम द्वारा की गई।

आपकी कंपनी में एक लेखा परीक्षा समिति है जो आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करती है और उल्लेखनीय लेखा परीक्षा के प्रेक्षण पेश करती है। लेखा परीक्षा समिति कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ बैठक करती है ताकि कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, लेखा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन, पर्याप्तता और कंपनी द्वारा अनुसरित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता सहित, वित्तीय विवरणों पर उनके विचार जानने के साथ-साथ, उन्हें अभिनिश्चित किया जा सके। आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं की पर्याप्तता की समीक्षा और उसकी रिपोर्ट सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा उनके वार्षिक प्रतिवेदन में की जाती है। एक सरकारी कंपनी होने के नाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा बेलॉप की सरकारी लेखा परीक्षा भी की जाती है।

ग) वित्तीय / प्रचालनात्मक कार्य-निष्पादन

1. <u>रणनीति एवं उद्देश्य</u>

कंपनी की वित्तीय रणनीति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं -

(i) कम से कम उधार लेने और फलस्वरूप कम से कम ब्याज लागत के लिए प्रभावी नकदी प्राप्ति प्रबंधन द्वारा निधियाँ उपलब्ध कराना।
(ii) आवश्यकता पड़ने पर किफायती दरों में निधि जुटाने में सक्षम बनने के लिए अल्प काल में सर्वोच्च क्रेडिट रेटिंग बनाए रखना।
(iii) कर योजना प्रभावी ढंग से करना ताकि कर के बाद की प्राप्ति में सुधार हो।
(iv) विभिन्न पणधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करना।
(v) आज्ञापक लेखा मानकों का अनुसरण करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग के उच्चतम मानकों को बनाए रखना।

प्रत्येक सूचीबद्ध उद्देश्य को बेलॉप द्वारा लगातार सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने जहाँ तक हो सके, अपनी कार्यशील पूँजीगत ज़रूरतों का वित्त-पोषण करने के लिए और आंतरिक संसाधनों से पूँजीगत व्यय का वित्त-पोषण करने का प्रयास किया और बैंकों से कार्यशील पूँजी के लिए उधार लेना न्यूनतम किया। वर्ष के दौरान कंपनी ने धारक कंपनी से प्राप्त कार्यशील पूँजीगत ऋण का आंशिक चुकतान भी किया।

2. कार्य-निष्पादन की झलकियाँ

रु. लाख में

विवरण	2018-19	2017-18
सकल विक्रय	10325	12164
वित्त लागतों से पहले कुल व्यय	9767	12129
वित्त लागत व कर पूर्व लाभ	2275	1783
प्रचालनीय मार्जिन (पीबीआईटी/सकल विक्रय) अनुपात %	22.03	14.65
कर पश्चात् लाभ	1418	1155
वस्तुसूची के दिनों की सं. / उत्पादन का मूल्य (डीपीई विधि)	111	96
दिनों की सं. – व्यापार से प्राप्त/ आवर्त	29	42
चालू अनुपात	1.14	1.08
ऋण साम्या अनुपात	6.10	11.23

3. **2018-19** के वित्तीय कार्य-निष्पादन का विश्लेषण

- विक्रयावर्त (निवल) जो 2017-18 में रु. 11556 लाख था, 10.65% घटकर 2018-19 में रु. 10325 लाख हुआ ।
- उत्पादन का मूल्य जो 2017-18 में रु. 12100 लाख था, रु. 2372 लाख घटकर 2018-19 में रु. 9728 लाख हुआ ।
- पी.ए.टी. जो 2017-18 में रु. 1155 लाख था, 22.77% बढ़कर 2018-19 में रु. 1418 लाख हुआ।
- 2018-19 में पी.ए.टी. से विक्रयावर्त (निवल) का अनुपात 13.73% है ।
- प्रति कर्मचारी विक्रयावर्त (निवल) जो 2017-18 में रु. 84 लाख था, 10.72% घटकर 2018-19 में रु. 75 लाख हुआ ।
- प्रति शेयर अर्जन रु. 21.05 है ।
- निवल मूल्य जो 2017-18 में रु. 18820 लाख था, 12.63% तक बढ़कर 2018-19 में रु. 21196 लाख हुआ।

4. मानव संसाधन विकास

कंपनी ने कुल 310 श्रम दिवसों के लिए तकनीकी और गुणता संबंधी विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जो प्रति कर्मचारी औसतन 2.31श्रमदिवस परिकलित होता है ।

मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक **2**

कार्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन का सिद्धांत और संहिता

कार्पोरेट अभिशासन का बेलॉप का सिद्धांत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, समुचित प्रकटण, विधिक अनुपालन, निर्णय लेने में पारदर्शिता तथा हित संघर्ष का निवारण करने के सिद्धांतों पर आधारित है । बेलॉप ग्राहक तुष्टिकरण, वित्तीय दूरदर्शिता एवं मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता में विश्वास करती है । हमारी कार्पोरेट संरचना, कारोबार तथा प्रकटण की पद्धतियाँ हमारे कार्पोरेट अभिशासन के सिद्धांत के अनुरूप हैं ।

निदेशक मंडल का संघटन

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, बेलॉप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी है और एक 'सरकारी कंपनी' है।

वर्तमान में, निदेशक मंडल में अध्यक्ष सहित चार निदेशक हैं । बीईएल के मंडल के अध्यक्ष ही मंडल तथा बेलॉप के अध्यक्ष हैं । चारों निदेशक (बेलॉप के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार) बीईएल द्वारा नामित किए जाते हैं ।

निदेशक मंडल का संघटन नीचे दिया गया है –

क) श्री एम वी गौतमा, अध्यक्ष	सीएमडी, बीईएल एवं अध्यक्ष, बेलॉप
ख) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
ग) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	निदेशक (वित्त), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप
घ) श्री आर एन बग्दलकर (31.05.2019 तक)	निदेशक (मा.सं.), बीईएल एवं निदेशक, बेलॉप

बैठकें एवं उपस्थिति

31.03.2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, मंडल की पाँच बैठकें आयोजित की गईं और किन्हीं दो बैठकों के बीच का अंतराल 92 दिनों का था । मंडल की बैठकें दिनांक 23.05.2018, 26.07.2018, 22.10.2018, 23.01.2019 और 23.03.2019 को आयोजित की गईं । 2018-19 के दौरान मंडल की बैठकों, वार्षिक सामान्य बैठक में निदेशकों की उपस्थिति तथा उनके द्वारा धारित अन्य कंपनियों में निदेशक के ओहदे / समिति की सदस्यता की संख्या संबंधी ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

क्र.सं.	निदेशक	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	मंडल की बैठकों की संख्या जिनमें शामिल हुए	20 सितंबर 2018 को हुई पिछली एजीएम में उपस्थिति	धारित अन्य निदेशक पद	* सभी कंपनियों में समिति की सदस्यता की संख्या	
	अंशकालिक निदेशक					अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
1	श्री एम वी गौतमा	5	4	हाँ	2	कोई नहीं	कोई नहीं
2	डॉ. अजीत टी. कलघट्गी	1	1	ला.न.	2	2	0
3	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	5	5	हाँ	1	0	1
4	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	5	5	हाँ	3	1	0
5	श्री आर एन बग्दलकर	4	4	हाँ	1	0	2

* केवल लेखा परीक्षा समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति की सदस्यता पर ही विचार किया जाता है।.

आचार संहिता

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने लोक उद्यम विभाग (डीपीई के दिशा-निर्देश) द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए जारी किए गए कार्पोरेट अभिशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है । मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने वर्ष 2018-19 के दौरान इस आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है । इस आशय की एक घोषणा जो अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित है, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है ।

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में विनिर्दिष्टानुसार तीन निदेशक होते हैं । इसके अतिरिक्त, कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक तथा आंतरिक लेखा परीक्षक लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में शामिल होते हैं । कंपनी सचिव इस लेखा परीक्षा समिति के सचिव हैं । लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष दिनांक 20 सितंबर, 2018 को आयोजित कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में शामिल हुए । लेखा परीक्षा समिति के विचारणीय विषय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 में यथा विनिर्दिष्ट तथा डीपीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार होते हैं ।

लेखा परीक्षा समिति द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं -

- कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और वित्तीय सूचना के प्रकटण का पर्यवेक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय सूचना सही, समुचित और विश्वसनीय हैं
- तिमाही लेखा अपरीक्षित वित्तीय विवरणों की समीक्षा करना
- सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुमोदन करना
- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, उनके पारिश्रमिक तथा नियुक्ति की शर्तों की संस्तुति करना
- वित्तीय तथा प्रचालनीय कार्य-निष्पादन पर प्रबंधन के विचार-विमर्श और विश्लेषण रिपोर्ट की समीक्षा करना
- कंपनी की प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण तथा सरकार और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं तथा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करना
- कंपनी के मुख्य वित्तीय जोखिम उद्भासनों तथा ऐसे उद्भासनों की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा करना और उन पर चर्चा करना
- सांविधिक तथा आंतरिक लेखा परीक्षाओं में देखी गई उल्लेखनीय लेखा परीक्षा निष्कर्षों, की गई सिफारिशों और उन पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना
- संबंधित पक्षकार के ऐसे लेन-देन तथा उन पर किए गए अनुवर्ती संशोधनों को अनुमोदन प्रदान करना
- अंतर-कार्पोरेट ऋणों और निवेशों की छानबीन करना
- जहाँ आवश्यक हो, कंपनी की वचनबद्धता या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें दिनांक 23.05.2018, 26.07.2018, 22.10.2018 , 23.01.2019 और 23.03.2019 को हुईं।

लेखा परीक्षा समिति का संघटन इस प्रकार है -

1) डॉ. अजीत टी. कलघट्गी (31.05.2018 तक)	अध्यक्ष **
2) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर (05.07.2018 से)	अध्यक्ष ***
3) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	सदस्य
4) श्री आर एन बग्दलकर (31.05.2019 तक)	सदस्य

** 31.05.2018 तक अध्यक्ष *** 05.07.2018 से अध्यक्ष

उक्त बैठकों में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उपस्थिति के विवरण नीचे दिए गए हैं -

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
डॉ. अजीत टी. कलघट्गी	1	1
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	5	5
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	5	5
श्री आर एन बग्दलकर	4	4

जोखिम प्रबंधन

कंपनी में जोखिमों की निरंतर पहचान करने, अद्यतन करने, मूल्यांकन करने, उनकी प्राथमिकता तय करने और प्रबंधन करने के लिए एक व्यापक 'जोखिम प्रबंधन ढांचा' व्यवस्थित है। इस ढांचे के तहत, शीर्षस्थ स्तर पर एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित है जिसका नेतृत्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (बेलॉप) द्वारा किया जाता है और इसके सदस्य विनिर्माण, विपणन, डिज़ाइन और इंजीनियरी जैसे महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों से होते हैं। जोखिम चैम्पियन (आरसी) वरिष्ठ उ.म.प्र. स्तर के अधिकारी होते हैं। आरएमसी तिमाही आधार पर संपूर्ण कंपनी में जोखिम प्रबंधन के प्रयासों की समीक्षा करती है। आरएमसी तिमाही आधार पर प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करती है । कंपनी आरएम की स्थिति की रिपोर्ट वार्षिक आधार पर मंडल को करती है।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का संघटन इस प्रकार है --

क) डॉ अजीत टी कलघट्गी (31.05.2018 तक)	अध्यक्ष **
ख) श्री आर एन बग्दलकर (05.07.2018 से)	अध्यक्ष ***
ग) श्रीमती आनंदी रामलिंगम	सदस्य
घ) श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	सदस्य

** 31.05.2018 तक अध्यक्ष *** 05.07.2018 से अध्यक्ष

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, एनआरसी समिति की बैठक पाँच बार यानी दिनांक 23.05.2018, 26.07.2018, 22.10.2018, 23.01.2019 और 23.03.2019 को हुई।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की बैठकों में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही –

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
डॉ. अजीत टी. कलघट्गी	1	1
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	5	5
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	5	5
श्री आर एन बग्दलकर	4	4

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के कुछेक कार्य इस प्रकार हैं –

- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई के दिशा-निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों/ मार्गदर्शी बातों के अनुसार मंडल को नीति की सिफारिश करना।
- वेतन संबंधी सभी मामलों की सिफारिश मंडल को करना।

पारिश्रमिक समिति

क) निदेशकों का पारिश्रमिक

बेलॉप जब कभी आवश्यक हो, निदेशकों का पारिश्रमिक इस प्रकार निर्धारित करेगी जो रक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संप्रेषित, भारत सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों के अनुपालन में होंगे ।

ख) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक

बेलॉप मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) तथा अन्य कर्मचारियों का पारिश्रमिक तय करते समय निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित करेगी

(i) कंपनी इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी प्रत्येक दिशा-निर्देश का पालन करने के लिए बंधनकारी होगी ।

(ii) निर्धारित पारिश्रमिक का स्तर और संघटन औचित्यपूर्ण और समुचित होगा ताकि कंपनी को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए कर्मचारियों को आकृष्ट, प्रतिधारित और प्रेरित किया जा सके ।

(iii) पारिश्रमिक का स्तर इस प्रकार होगा कि कार्य-निष्पादन और पारिश्रमिक के बीच स्पष्ट संबंध हो ।

(iv) पारिश्रमिक में नियत वेतन और प्रोत्साहन वेतन उस न्यायिक अनुपात में शामिल होगा जो कंपनी के कामकाज के अनुकूल हो और कंपनी को उसके अल्पकालीन और दीर्घकालीन कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो ।.

निदेशकों का पारिश्रमिक

कंपनी अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक अदा नहीं करती है । कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए स्टॉक का विकल्प नहीं दिया है ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तारतम्य में, कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का गठन किया गया है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआर) के विचारणीय विषय की मुख्य बातें इस प्रकार हैं –

क) मंडल को कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति तैयार कर उसकी सिफारिश करना जिसमें अनुसूची VII में निर्दिष्टानुसार कंपनी द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप दर्शित किए गए हों ।

ख) खंड 'क' में संदर्भित कार्यकलापों को करने पर उपगत होने वाले खर्च की राशि की सिफारिश करना

ग) कंपनी की कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की समय-समय पर निगरानी करना ।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का संघटन इस प्रकार है -

1)	डॉ अजीत टी कलघट्गी (31.05.2018 तक)	अध्यक्ष **
2)	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	अध्यक्ष ***
3)	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	सदस्य
4)	श्री आर एन बग्दलकर (31.05.2019 तक)	सदस्य

** 31.05.2018 तक अध्यक्ष *** 05.07.2018 से अध्यक्ष

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति की बैठकें पाँच बार यानी दिनांक 23.05.2018, 26.07.2018, 22.10.2018, 23.01.2019 और 23.03.2019 को हुई।

बैठकों में कार्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार रही –

नाम	निदेशक के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
डॉ. अजीत टी. कलघट्गी	1	1
श्रीमती आनंदी रामलिंगम	5	5
श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	5	5
श्री आर एन बग्दलकर	4	4

सीएसआर संबंधी विभिन्न कार्यकलापों के विवरण ***अनुलग्नक 3*** में दिए गए हैं।

निदेशकों का शेयरधारण

यथा 31.03.2019 को कंपनी के कोई भी निदेशक कंपनी का इक्विटी शेयर धारित नहीं करते।

मंडल की अन्य उप-समितियाँ

आपके निदेशकों ने मंडल की निम्नलिखित उप-समितियाँ गठित की हैं -

निवेश समिति जिसमें अल्पकालीन अधिशेष निधियों के निवेश को अनुमोदित करने के लिए अध्यक्ष, दो निदेशक, सीईओ तथा वित्त प्रमुख शामिल होते हैं ।

संबंधित पक्षकारों के लेनदेन

संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए सभी लेनदेन कारोबार के सामान्य क्रम में किए गए और दोनों पक्षकार की पारस्परिक मूल्य निर्धारित नीति के आधार पर किए गए।

सामान्य निकाय की बैठकें

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं -

वर्ष	स्थान	तारीख और समय
2015-16	पंजीकृत कार्यालय	16 सितंबर 2016 दोपहर 12.30 बजे
2016-17	पंजीकृत कार्यालय	9 सितंबर 2017 दोपहर 12.30 बजे
2017-18	पंजीकृत कार्यालय	20 सितंबर 2018 दोपहर 14.30 बजे

पिछली तीन वार्षिक सामान्य बैठकों की संबंधित नोटिसों में निर्धारित, विशेष संकल्पों सहित सभी संकल्प शेयरधारकों द्वारा पारित किए गए। पिछले वर्ष कोई भी संकल्प डाक मतदान द्वारा नहीं किया गया।

प्रकटण

(क) कंपनी ने ऐसा कोई उल्लेखनीय रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्षकार का लेनदेन नहीं किया है जिससे व्यापक तौर पर कंपनी के हितों का कोई संभावित संघर्ष होता हो। फिर भी, संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों को वार्षिक प्रतिवेदन में लेखों की टिप्पणी सं. 40 के बिन्दु सं. 6 में प्रकट किया गया है।

(ख) निदेशक मंडल तथा सर्वोच्च प्रबंधन के लिए ऐसा अन्य कोई व्यय नहीं किया गया, जो प्रकृति से निजी है।

(ग) कंपनी के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित या उसके लिए प्रासंगित व्यय तथा कर्मचारियों / पूर्व-कर्मचारियों के कल्याण की ओर किए गए खर्च को छोड़कर, व्यय की कोई भी मद लेखा बहियों में नामें नहीं की गई।

(घ) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक तथा कार्यालयीय व्यय तथा उसमें वृद्धि, यदि कोई हो, के कारण -

पिछले वर्ष के 1.05% के समक्ष वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय कुल व्ययों का 1.24% रहा। वर्ष के दौरान कोई उल्लेखनीय विचलन नहीं हुआ।

एमसीए-21 का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 1956 (एमसीए-21) को कार्यान्वित करने में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल में सार्वजनिक, कार्पोरेट स्वत्वों तथा अन्य लोगों को कार्पोरेट सूचना तक आसान और सुरक्षित ऑनलाइन पहुँच प्रदान किया गया है जिसमें दस्तावेजों की फाइलिंग तथा किसी भी समय और कहीं से भी, संविधि के तहत सार्वजनिक प्रक्षेत्र में रहने के लिए अपेक्षित सूचना तक सार्वजनिक पहुँच शामिल है। कंपनी ने 2018-19 के दौरान एमसीए-21 के तहत सभी आज्ञापक ई-फाइलिंग अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

राष्ट्रपति के निदेश एवं दिशा-निर्देश

कंपनी को अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.व. के आरक्षण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले राष्ट्रपति के निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों का अक्षरत: और भावत: पालन करना होता है। कंपनी ने संपर्क अधिकारी की नियुक्ति जो 2018-19 के दौरान की जाएगी, सहित राष्ट्रपति जी के उपर्युक्त निदेशों एवं दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है।

यथा 31 मार्च 2019 को शेयरधारण की प्रविधि

क्र.सं.	वर्ग	शेयरधारकों की सं.	शेयरों की सं.	% धारण
1	प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1	72,20,543	100.00

यथा 31 मार्च 2019 को सर्वोच्च 10 शेयरधारक

क्र.सं.	वर्ग	शेयरों की सं.	% धारण
1	प्रवर्तक – मे. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	72,20,543	100.00

क्रेडिट रेटिंग

वर्ष 2018-19 के दौरान, आईसीआरए ने वर्ष के लिए कंपनी को निम्नलिखित रेटिंग प्रदान की है –

(i) रु. 4000 लाख की निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]एए+ (जिसे आईसीआरए डबल ए कहा जाता है) की दीर्घकालीन रेटिंग ।

(ii) रु. 600 लाख की गैर-निधि आधारित बैंक सीमा के लिए [आईसीआरए]ए1+ (जिसे आईसीआरए ए वन प्लस कहा जाता है) की अल्पकालीन रेटिंग ।

दीर्घकालीन रेटिंग की दृष्टि 'स्थिर' है । ये 31 अक्तूबर 2019 तक वैध हैं ।

सीईओ/ सीएफओ का प्रमाणीकरण

डीपीई के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, सीईओ/सीएफओ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया है और उसे लेखा परीक्षा समिति और मंडल के समक्ष पेश किया गया है और इस वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया है ।

अनुपालन

कंपनी डीपीई को कार्पोरेट अभिशासन पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट पेश करती आ रही है ।

सीपीएसई के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सीपीएसई का श्रेणीकरण इन दिशा-निर्देशों पर उनके अनुपालन के आधार पर किया जाएगा ।

पंजीकृत कार्यालय / पत्राचार का पता

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि.
पंजीकृत कार्यालय - ईएल-30, 'जे' ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसारी इंडस्ट्रियल एरिया, पुणे- 411 026

फ़ोन - (020) 27130981/2/3/4; फैक्स- (020) 27130589; ई-मेल - info@बेलॉप.co.

घोषणा

डीपीई के का.ज्ञा. सं. 18(8)/2005-जीएम दिनांक 14 मई, 2010 में दिए गए अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तारतम्य में, कंपनी के मंडल के सभी सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के मंडल के सदस्यों, केएमपी तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए निर्धारित कारोबारी आचार संहिता एवं नीति का अनुपालन संपुष्ट किया है ।

कृते बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड

-हस्त-
एम. वी. गौतमा
अध्यक्ष

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक - 21 अगस्त, 2019

मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक सं. **3**

सीएसआर कार्यकलापों पर रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है –**

   क) बेलॉप कार्पोरेट सामाजिक दायित्व को मान्यता प्रदान करती है और उसे स्वीकार करती है जिसके द्वारा कंपनी उस पर्यावरण की सेवा करने का संकल्प लेती है जिसने वर्षों के दौरान बेलॉप के कार्यकलापों और प्रयासों का निर्वाह किया है।

   ख) बेलॉप सीएसआर कार्यकलापों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से ऐसे निर्वहनीय ढंग से जो पारदर्शी और नैतिक हैं, संचालित करने के लिए अपने पणधारकों के प्रति वचनबद्ध है।

   ग) सीएसआर नीति का वेब-लिंक अभी उपलब्ध नहीं है।

2. **सीएसआर समिति का संघटन इस प्रकार है –**

1)	डॉ अजीत टी कलघट्गी (31.05.2018 तक)	अध्यक्ष **
2)	श्रीमती आनंदी रामलिंगम (5.7.2018 से)	अध्यक्ष ***
3)	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	सदस्य
4)	श्री आर एन बग्दलकर (31.5.2019 तक)	सदस्य

** 31.05.2018 तक अध्यक्ष *** 05.07.2018 से अध्यक्ष

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ –**

   औसत निवल लाभ रु. 890.93 लाख है।

4. **निर्धारित सीएसआर खर्च (पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत) –**
   वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी को रु. 17.82 लाख खर्च करना था।

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च के विवरण –**

   i) वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए सीएसआर कार्यकलापों के लिए लेखा बहियों में प्रावधानित कुल राशि रु. 30.53 लाख है। वित्तीय वर्ष 201-19 के दौरान उपगत वास्तविक खर्च रु. 2.40 लाख है।

   ii) खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो
   वर्ष 2018-19 के दौरान खर्च न की गई राशि जिसमें 2017-18 और 2018-19 का सीएसआर बजट शामिल है, रु. 28.13 लाख है।

2016-17, 2017-18 और 2018-19 की सीएसआर निधियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित परियोजनाएँ ली गईं और इनकी योजना बनाई गई –

1) कौशल विकास संबंधी कार्यकलाप

क) आईटीआई, खेड़, पुणे में इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला का विकास (प्राक्कलित लागत रु. 14.16 लाख)

इस प्रयोगशाला का कार्य मई 2018 में पूरा किया गया। (वर्ष 2016-17 के सीएसआर बजट से रु. 11.76 लाख और 2017-18 के बजट से रु. 2.40 लाख का वित्त पोषण)। वितीय वर्ष 2018-19 के दौरान उपगत वास्तविक खर्च रु. 6.15 लाख है।

ख) आईटीआई, खेड़, पुणे में स्मार्ट कक्षा का विकास - प्राक्कलित लागत रु. 8.19 लाख

बेलॉप ने रु. 8.19 लाख की कुल लागत से जुलाई 2019 में आईटीआई, खेड़, पुणे में स्मार्ट कक्षाओं का निर्माण कार्य पूरा किया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपगत वास्तविक खर्च रु. कुछ नहीं और 2019-20 के दौरान रु. 8.19 लाख है।

ग) स्कूल की इमारत

बेलॉप ने पुणे जिले के खेड़ तालुक के जिला परिषद के तहत आने वाले एक स्कूल की पहचान की है। इस स्कूल की मौजूदा कक्षाओं की स्थिति बहुत खराब है और सीएसआर बजट 2018-19 में उपलब्ध निधियों (शेष रु. 15.70 लाख) और सीएसआर बजट 2019-20 (रु. 27.44 लाख) का उपयोग करते हुए सीएसआर कार्य के रूप में नई कक्षाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

मौजूदा स्कूल के कंपाउंड में ज़मीन उपलब्ध है। बेलॉप इस स्कूल की इमारत की डिज़ाइन तैयार कर रही है, जो अंतिम चरण में है। यह प्रस्तावित स्कूल 2019-20 के दौरान तैयार हो जाएगा।

2) स्वच्छ भारत संबंधी कार्यकलाप

क) पिंपरी चिंचवाड़ नगर पालिका (पीसीएमसी) में नगर पालिका के दो बगीचों को श्रेडिंग मशीन की आपूर्ति करने के साथ-साथ दो कंपोज़िट पिट तैयार करना – कुल लागत रु. 4.24 लाख

बेलॉप ने वर्ष 2017-18 के सीएसआर बजट की शेष निधियों का उपयोग करते हुए पिंपरी चिंचवाड़ नगर पालिका (पीसीएमसी) में नगर पालिका के दो बगीचों को श्रेडिंग मशीन की आपूर्ति करने के साथ-साथ दो कंपोज़िट पिट तैयार क परियोजना ली है।

पीसीएमसी द्वारा आबंटित रोज़ गार्डन, पिंपरी में कंपोज़िट पिट तैयार करने का काम लिया गया और उसे 2019-20 के दौरान पूरा किया गया। बहरहाल, पीसीएमसी ने अभी तक बेलॉप को दूसरा गार्डन नहीं दिया है जिसके आबंटन के बाद इसका काम शुरु किया जाएगा।

ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान खर्च की गई राशि की प्रविधि नीचे दी गई है -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	पहचानी गई सीएसआर परियोजना या कार्य	क्षेत्र जिसके तहत यह परियोजना आती है	परियोजना या प्रोग्राम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य का नात बताएँ जहाँ परियोजना या प्रोग्राम किया गया	राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या प्रोग्राम-वार (रु. लाख में)	परियोजना या प्रोग्राम में खर्च की गई राशि, उपशीर्ष - (1) परियोजना या प्रोग्राम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) उपरीव्यय	रिपोर्टिंग की अवधि तक संचयी व्यय (रु. लाख में)	खर्च की गई राशि – सीधे ही या कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा
1.	आईटीआई, खेड़ में इलेक्ट्रॉनिक प्रयोगशाला का विकास **स्थिति- कार्य संपन्न**	कौशल विकास	स्थान – आईटीआई, खेड़, जिला- पुणे, महाराष्ट्र	14.16	14.16	14.16	सीधे
2.	नगर निगम के बगीचे में कंपोज़िट पिट का निर्माण **स्थिति- कार्य चालू**	स्वच्छ भारत	स्थान – नेहरूनगर, पिंपरी, जिला- पुणे, महाराष्ट्र	4.24	0.00	0.00	सीधे
3.	आईटीआई, खेड़ में स्मार्ट कक्षाओं का प्रारंभ **स्थिति- कार्य संपन्न**	कौशल विकास	स्थान – पुणे, महाराष्ट्र	11.50	0.00	0.00	सीधे
4.	उपलब्ध निधियों से खेड़ के प्राथमिक स्कूल भवन का निर्माण **स्थिति- प्रस्तावित**	शिक्षा	स्थान – खेड़ जिला - पुणे, महाराष्ट्र	12.39	0.0	0.00	सीधे

6. वर्ष के दौरान सीएसआर कार्यकलापों पर पिछले तीन वित्तीय वर्षों या इस अवधि के किसी भाग के औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत की राशि खर्च न करने के कारण –

वर्ष 2017-18 और 2018-19 में सीएसआर संबंधी कार्यकलापों के लिए लेखा बहियों में प्रावधानित कुल राशि रु. 30.53 लाख है। इसमें से आज की तारीख तक बेलॉप ने 2017-18 के बजट से रु. 11.06 लाख और 2018-19 के बजट से रु. 2.12 लाख खर्च किया है। 2017-18 के बजट की शेष राशि कंपोज़िट पिट बनाने के लिए रखी गई है जिसे 2019-20 में पूरा किया जाना है और 2018-19 के बजट की शेष राशि रु. 15.70 लाख को खेड़ के प्राथमिक स्कूल भवन निर्माण के लिए रखा गया है। बेलॉप समय की कमी के कारण 2018-19 के दौरान संपूर्ण राशि खर्च नहीं कर सकी, बहरहाल, 2017-18 और 2018-19 के सीएसआर बजट में योजित कार्यकलाप वर्ष 2019-20 में पूरे किए जाएँगे।

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में हैं, नीचे दिया गया है –

उत्तरदायित्व कथन

बेलॉप की सीएसआर समिति एतद्वारा यह संपुष्ट करती है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है ।

-हस्ता.-
(डीसीएन श्रीनिवास राव)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बेलॉप

-हस्ता.-
(आनंदी रामलिंगम)
अध्यक्ष, सीएसआर समिति, बेलॉप

स्थान – बेंगलूरु
दिनांक - 21 अगस्त, 2019

मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक **4**

निर्वहनीयता रिपोर्ट

भारत सरकार, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 3(9)-2010-डीपीई (एमओयू) दिनांक 23 सितंबर 2011 द्वारा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के लिए निर्वहनीय विकास पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

डीपीई के उपर्युक्त दिशा-निर्देशों में, "निर्वहनीय विकास" को "ऐसा विकास जो भावी पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता से समझौता किए बिना, वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है" के रूप में परिभाषित किया गया है। निर्वहनीय विकास में आर्थिक कार्य, समाज की प्रगति और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व के प्रति सहनशील और संतुलित दृष्टिकोण शामिल है।

बेलॉप जो आईएसओ 14001:2004 प्रणामित कंपनी है, संवृद्धि के साथ पर्यावरण को बचाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने परिसरों में हरित वातावरण बनाए रखती है और इसने पर्यावरणीय संबंधी विभिन्न प्रबंध पद्धतियों को कार्यान्वित किया है।

निर्वहनीय विकास पहल

वायु में उत्सर्जन

प्रक्रमों से होने वाले वायु उत्सर्जन को समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वायु उत्सर्जन के स्टेक की निगरानी तिमाही आधार पर वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अनुसार की जाती है।

जल प्रबंधन

एमपीसीबी के अनुमोदन के अनुसार, कंपनी ने उपयुक्त स्थलों पर पानी के मीटर लगाए हैं और दैनंदिन आधार पर पानी की खपत की निगरानी करती है।

ध्वनि प्रदूषण

कारखाने के परिसरों में ध्वनि प्रदूषण को एमपीसीबी के मानदंडों के अनुसार तिमाही आधार पर मापा जाता है।

जल प्रदूषण

ईटीपी संयंत्र में औद्योगिक निस्सारी का उपचार किया जाता है और एमपीसीबी के मानदंडों के अनुसार उसे निपटाया जाता है। कंपनी ने निस्सारी के उपचार के लिए सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) भी स्थापित किया है और पुन:चक्रित पानी का इस्तेमाल बगीचों में किया जाता है।

इसके अलावा, पानी के प्रभावी प्रयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, हम उपचारित निस्सारी शुद्धिकरण प्रणाली शुरु करना चाहते हैं जिससे हम उपचारित निस्सारी पानी का उपयोग कूलिंग टॉवर के लिए कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइन को अनुमोदन प्रदान किया जा रहा है।

हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

कंपनी अपने हानिकारक अपशिष्टों का निपटान हानिकारक अपशिष्ट नियम, 2008 के अनुसार एमपीसीबी के प्राधिकृत रिसाइक्लर को करती है। प्रत्येक वर्ष फार्म IV में नियमित विवरणियाँ पेश की जाती हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्माणी प्रक्रियाओं में प्रयुक्त कुछेक हानिकारक पदार्थों का उपभोग और पर्यावरण पर उनके संभावित प्रभाव को कम करने के लिए उनका पुन:प्रयोग करने के प्रयास भी किए हैं।

स्थल पर आपात योजना और प्रणालियाँ

स्थल और कंपनी भर में छद्म अभ्यास आवधिक रूप से संचालित की जाती है और कारखाने के परिसरों में प्रमुख स्थलों पर स्थल पर आपात योजना प्रदर्शित की जाती है।

पारिस्थितिकी निर्वहनीयता

कंपनी वृक्षारोपण करने और हरा-भरा पर्यावरण बनाए रखने पर ध्यान केन्द्रित करती है।

स्वच्छ ऊर्जा

बेलॉप में पानी की ज़रूरतों के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम और बगीचों में पानी देने के लिए सोलर पावर पम्प का इस्तेमाल किया जाता है।

मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक **5**

फार्म सं. एमजीटी-**9**

वार्षिक विवरणी का सार

31/03/2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष को
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा **92(3)** और कंपनी **(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014**
के नियम **12(1)** के तारतम्य में**]**

I. पंजीकरण तथा अन्य विवरण –

i)	सीआईएन	U32100PN1990GOI058096
ii)	पंजीकरण की तारीख	10 सितंबर 1990
iii)	कंपनी का नाम	बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड
iv)	कंपनी का वर्ग/उप-वर्ग	कंपनी सीमित शेयर / केंद्र सरकारी कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे	ईएल-30, 'जे' ब्लॉक, एमआईडीसी, भोसारी औद्योगिक क्षेत्र, पुणे- 411 026 टेलीफ़ोन नं. 020-27130981/2/3
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	पंजीयक और शेयर अंतरण एजेंट, यदि हैं, का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे	लागू नहीं

II. कंपनी के मुख्य कारोबारी कार्यकलाप -

ऐसे सभी कारोबारी कार्यकलाप जो कंपनी के कुल कारोबार का 10% से अधिक का योगदान देते हैं, बताएँ जाएँ --

क्र.सं.	मुख्य उत्पाद / सेवा का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब	3320	100.00%

III. धारक कंपनी, सहायक कंपनी, एसोसिएट कंपनियों के विवरण –

क्र.सं.	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन/जीएलएन	धारक / सहायक / एसोसिएट	धारित शेयरों का %	लागू धारा
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	L32309KA1954GOI000787	Holding	100%	2(46)

IV. शेयरधारण की प्रविधि (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूँजी के अलग-अलग विवरण)

(i) वर्ग-वार शेयर धारण

शेयरधारकों का वर्ग	वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % में बदलाव कुल
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
क) व्यक्ति/एच.यू.एफ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) कार्पोरेट निकास	-	66,31,367	66,31,367	100.00	-	72,20,543	72,20,543	100.00	8.88
ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (क) (1)	-	66,31,367	66,31,367	100.00	-	72,20,543	72,20,543	100.00	8.88
(2) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) एनआरआई - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) अन्य - व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) कार्पोरेट निकास	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप कुल (क) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक का कुल शेयरधारण (क) = [(क)(1)+(क)(2)]	-	66,31,367	66,31,367	100.00	-	72,20,543	72,20,543	100.00	8.88
ख. सार्वजनिक शेयरधारण									
1. संस्थान									
क) म्युच्युअल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) केंद्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ङ) वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
च) बीमा कंपनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
छ) एफ.आई.आई.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-
झ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (ख)**(1):-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. संस्थान इतर									
क) कार्पोरेट निकाय	-	-	-	-	-	-	-	-	
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) समुद्रपार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) व्यक्ति	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) वैयक्तिक शेयरधारक जो रु. 1 लाख तक के नाममात्र की शेयर पूँजी धारित करते हैं	-	-	-	-	-	-	-		-
ii) वैयक्तिक शेयरधारक जो रु. 1 लाख तक के नाममात्र की शेयर पूँजी धारित करते हैं	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य (उल्लेख करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप-कुल (ख) (2):-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल सार्वजनिक शेयरधारण (ख) = [(ख)(1)+ (ख)(2)]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग. जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा धारित शेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग (क+ख+ग)	**-**	**66,31,367**	**66,31,367**	**100**	**-**	**72,20,543**	**72,20,543**	**100**	**8.88**

(ii) प्रवर्तक का शेयरधारण

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण			वर्ष के अंत में शेयरधारण			वर्ष के दौरान शेयरधारण में परिवर्तन का %
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए / भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी रखे गए / भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि.	66,31,367	100.00	-	72,20,543	100.00	-	-
	कुल	**66,31,367**	**100.00**	-	**72,20,543**	**100.00**	-	-

(iii) प्रवर्तक के शेयरधारण में परिवर्तन **(**यदि कोई परिवर्तन न हो, तो कृपया बताएँ**)**

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	----------कोई परिवर्तन नहीं----------				

(iv)सर्वोच्च दस शेयरधारकों का शेयरधारण (निदेशकों, प्रवर्तकों तथा जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) -

क्र.सं.	सर्वोच्च **10** शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण **(01.04.2018)**		वर्ष के दौरान शेयरधारण **(31.03.2019)**	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	----------शून्य----------				

(v) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का शेयरधारण -

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशकों तथा केएमपी के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारण	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के प्रारंभ में	कोई भी निदेशक या केएमपी कंपनी का शेयर धारित नहीं करते हैं			
2	वर्ष के दौरान प्रवर्तक के शेयरधारण में तारीख-वार बढ़ोत्तरी / कमी, ऐसी बढ़ोत्तरी / कमी का कारण बताते हुए (जैसे आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि)	कोई भी निदेशक या केएमपी कंपनी का शेयर धारित नहीं करते हैं			
3	वर्ष के अंत में	कोई भी निदेशक या केएमपी कंपनी का शेयर धारित नहीं करते हैं			

ऋणग्रस्तता

V. कंपनी की ऋणग्रस्तता, ऐसे बकाया/प्रोद्भूत ब्याज सहित जो भुगतान के लिए देय नहीं हुआ है

विवरण	रक्षित ऋण, जमा राशि को छोड़कर	अरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता (रु. लाख में)
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	1,370.00	3,339.00	-	4,709.00
ii) देय ब्याज जो अदा नहीं की गई	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं हुई	3.00	18.00	-	21.00
कुल (i+ii+iii)	**1,373.00**	**3,357.00**	-	**4,730.00**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
* परिवर्धन	-	-	-	-
* कटौती	1,373.00	(404.00)	-	969.00
निवल परिवर्तन	(1,373.00)	404.00	-	(969.00)
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूलधन	-	2,937.00	-	2,937.00
ii) देय ब्याज जो अदा नहीं की गई	-	-	-	-
iii) प्रोद्भूत ब्याज जो देय नहीं हुई	-	16.00	-	16.00
कुल **(i+ii+iii)**	-	**2,953.00**	-	**2,953.00**

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा / या प्रबंधक को पारिश्रमिक -

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डबल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
1	सकल वेतन			
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	स्टॉक का विकल्प	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	स्वेट इक्विटी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	- लाभ के % के रूप में	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	- अन्य, बताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (क)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक -

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम		कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक			
	मंडल/समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख) (1)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	मंडल/समिति की बैठक में शामिल होने का शुल्क	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कमीशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख) (2)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल (ख)= (ख)(1)+(ख)(2)	कुछ नहीं		

ग. एमडी/ प्रबंधक / डबल्यूटीडी के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक रु. लाख में

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	सीईओ	कंपनी सचिव एवं सीएफओ	कुल
1	सकल वेतन			
	(क) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) के प्रावधानों के अनुसार वेतन	21	7	28
	(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलब्धियों का मूल्य	1	-	1
	(ग) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर लाभ	14	3	17
2	स्टॉक का विकल्प	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन			
	- लाभ के % के रूप में	-	-	-
	- अन्य, बताएँ	-	-	-
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-	-
6	सेवानिवृत्ति अनुलाभ	7	2	9
7	कुल	**43**	**12**	**55**

VII. जुर्माना / अर्थ दंड / दोष सिद्धि -

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अधिरोपित जुर्माने / अर्थदंड / दोषसिद्धि के विवरण	प्राधिकरण [आरडी /एनसीएलटी / न्यायालय]	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी						
जुर्माना	कोई नहीं					
अर्थदंड						
दोषसिद्धि						
ख. निदेशक						
जुर्माना	कोई नहीं					
अर्थदंड						
दोषसिद्धि						
ग. अन्य दोषी अधिकारी						
जुर्माना	कोई नहीं					
अर्थदंड						
दोषसिद्धि						

मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक **6**

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **134(3)**(एम) जिसे कंपनी (लेखा) नियम, **2014** के नियम **8(3)** के साथ पढ़ा जाना है, के अनुसार प्रकट की जाने वाली सूचना

क) ऊर्जा संरक्षण

i) वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए ऊर्जा संरक्षण के उपाय

विखनीजीकृत जल संयंत्र के लिए उच्च दक्षता वाला पम्प लगाया गया।

ii) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का उपयोग करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए उपाय

बेलॉप में पानी की ज़रूरतों के लिए सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम और बगीचों में पानी देने के लिए सोलर पावर पम्प का इस्तेमाल किया जाता है।

iii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूँजीगत निवेश

विखनीजीकृत जल संयंत्र के लिए उच्च दक्षता वाला पम्प लगाने के लिए रु. 0.63 लाख का पूँजीगत निवेश किया गया।

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण

iv) प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन तथा नवोन्मेष की ओर किए गए प्रयास, संक्षेप में

- एक्सआर-5 ट्यूबों का निर्माण करने की टीओटी परियोजना पूरी होने को है। इस टीओटी की प्रमुख उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं।

v) उपर्युक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप प्राप्त अनुलाभ

- ग्राहकों को आई.आई.ट्यूबों, टाइप एक्सआर-5 के उच्च कार्य-निष्पादन की सुपुर्दगी करने के लिए स्वदेशी निर्माण के कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ।

- बेहतर उत्पादकता, प्रक्रम की निरंतरता और प्रक्रम डेटा प्राप्त करने की अवसंरचना का कोटि उन्नयन जिसके कारण समग्र ग्राहक तुष्टिकरण प्राप्त हुआ और विद्यमान परिसंपत्तियों का जीवनकाल बढ़ा।

vi) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी संबंधी सूचना

भारतीय थलसेना द्वारा अधिक वर्धित कार्य-निष्पादन वाले ट्यूबों की आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से, कंपनी ने एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों का निर्माण करने के लिए मई, 2014 के दौरान मे. फोटोनिस एसएएस, फ्रांस और उसकी सहायक संस्था मे. इमेजिंग सेन्सर्स इंटरनेशनल, फ्रांस के साथ वृद्धिशील टीओटी किया है। एक्सआर-5 परियोजना समाप्ति की ओर है।

vii) अनु. व वि. पर खर्च

कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान लगभग रु. 61 लाख का खर्च किया ।

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

भारत सरकार, कंपनी कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत आवेदन के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय संबंधी कोई प्रकटण नहीं किया गया ।

मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक **7**

फार्म सं. एमआर-**3**
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं उनका पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार]

प्रतिष्ठा में,
सदस्यगण,
बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड,
ई.एल. 30, जे ब्लॉक, एम.आई.डी.सी. भोसारी, पुणे 411026

मैंने बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड **(सीआईएन - U32100PN1990GOI058096)** (जिसे यहाँ इसके बाद "कंपनी" कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों तथा सुशासन की पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। उक्त सचिवीय लेखा परीक्षा इस प्रकार से की गई है कि इससे मुझे कार्पोरेट आचरण / सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उन पर अपने विचार व्यक्त करने का औचित्यपूर्ण आधार प्राप्त हुआ है।

कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा दाखिल की गई विवरणियों एवं अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर तथा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं तथा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुझे दी गई जानकारियों के आधार पर तथा अनुलग्नक के रूप में इसके साथ लगे अलग पत्र स्वरूप मैं निम्नप्रकार से रिपोर्ट करता हूँ कि मेरी राय में, कंपनी के पास, दिनांक 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा के दौरान सूचीबद्ध प्रावधानों के साथ तथा यह मानते हुए की कंपनी की अपनी एक प्रचलित समुचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं नियम अनुपालन व्यवस्था है।

मैंने कंपनी की बहियों, कागजातों, कार्यवृत्त बहियों, प्रारूपों तथा प्रस्तुत विवरणियों एवं अन्य दस्तावेजों की 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है : -

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियम;
(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") तथा उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली(समीक्षाधीन वर्ष के लिए यह कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि कंपनी के शेयर अभौतिक रूप में नहीं हैं);
(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम एवं उपनियम
(iv) विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्य ऋण (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान यह कंपनी पर लागू नहीं हे क्योंकि कंपनी ने कोई विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक ऋण नहीं लिया है) के बारे में उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;
(v) भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी एक्ट') के हत वर्णित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश -
   (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों का सारभूत अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

   (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

   (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और इसकी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है);

   (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी अनुलाभ) विनियम, 2014 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

(ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूति जारी करना और उनका सूचीकरण) विनियम, 2008 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है और ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने का प्रस्तवा नहीं है);

(च) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से व्यवहार करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इश्यू पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी इश्यू के पंजीयक तथा शेयर अंतरण एजेंटों की सेवाएँ प्राप्त नहीं करती है);

(छ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक से व्यवहार करने संबंधी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को सूची से हटाना) विनियम, 2009 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने शेयरों को सूची से नहीं हटाया है); तथा

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998 (समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर लागू नहीं क्योंकि कंपनी सूचीबद्ध कंपनी नहीं है);

(vi) हमें दी गई जानकारी के अनुसार, कोई अन्य विधि कंपनी पर विशेष रूप से लागू नहीं होती है। हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की भी जाँच की है -

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवी मानक।

हमने निम्नलिखित लागू खंडों के अनुपालन की जाँच नहीं की है क्योंकि यह समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं -

(ii) कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण करार;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने निम्नलिखित प्रेक्षणों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन किया है -

मैं इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट करता हूँ कि

ऊपर बताए गए प्रेक्षणों के अधीन, कंपनी का निदेशक मंडल विधिवत् गठित है। निदेशक मंडल के संघटन में हुए परिवर्तन जो समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए, अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए किए गए।

सभी निदेशकों को मंडल की बैठक, कार्यसूची पर विचार करने के लिए पर्याप्त सूचना दी गई और कार्यसूची के विस्तृत बिंदु अग्रिम रूप से, कम से कम सात दिन पहले भेजे गए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर अतिरिक्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त करने की प्रणाली विद्यमान है।

मंडल के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। कंपनी द्वारा रखे गए अभिलेखों के अनुसार, मंडल का कोई भी सदस्य बैठक में पारित किसी भी संकल्प पर असहमत नहीं है।

मैं इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट करता हूँ कि कंपनी में ऐसी समुचित प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं जो लागू विधि, नियमों, विनियमों तथा दिशा-निर्देशों के अनुपालन की मानीटरी करने और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप हैं।

मैं इसके अतिरिक्त यह रिपोर्ट करता हूँ कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने –

(क) अधिकार आधार पर 589176 इक्विटी शेयर रु. 100/- प्रत्येक पर आबंटित किया जिसके कारण चुकता पूँजी रु. 66,31,36,700/- से बढ़कर रु. 72,20,54,300/- हुई।

(ख) कंपनी जिन नए क्षेत्रों में विविधीकरण करना चाहती है उन्हें शामिल करने के लिए संस्थान के अंतर्नियमों के उद्देश्य खंड में परिवर्तन किया गया।

-हस्ता.-

अभिजित दाखवे

कंपनी सचिव

एफसीएस # 6126

सीपी नं. # 4474

स्थान - पुणे

दिनांक – 21 अगस्त, **2019**

मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 8

फार्म सं. ए.ओ.सी.-II

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संबंधित पक्षकार जिसमें उसके तृतीय शर्त के तहत निष्पक्ष पक्षकार के लेनदेन भी शामिल हैं, के संबंध में कंपनी द्वारा की गई संविदाओं / करार के विवरण प्रकटण करने का फार्म –

1. ऐसी संविदाओं या करारों अथवा लेनदेनों के विवरण जो निष्पक्ष पक्षकार आधार के तहत नहीं आते –

(क) संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध की प्रकृति – लागू नहीं
(ख) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति - लागू नहीं
(ग) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि - लागू नहीं
(घ) मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों की प्रमुख बातें - लागू नहीं
(ङ) ऐसी संविदा या करार अथवा लेनदेन करने का औचित्य - लागू नहीं
(च) मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तारीख - लागू नहीं
(छ) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि हो - लागू नहीं
(ज) धारा 188 की पहली शर्त के तहत यथा अपेक्षित, सामान्य बैठक में विशेष संकल्प के पारित होने की तारीख - लागू नहीं

2. निष्पक्ष पारस्परिक पक्ष आधार पर की गई महत्वपूर्ण संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों के विवरण

(क) संबंधित पक्षकार का नाम तथा संबंध की प्रकृति - लागू नहीं
(ख) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की प्रकृति - लागू नहीं
(ग) संविदा / व्यवस्था / लेनदेन की अवधि - लागू नहीं
(घ) मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदाओं या व्यवस्थाओं अथवा लेनदेनों की प्रमुख बातें- लागू नहीं
(ङ) मंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान करने की तारीख - लागू नहीं
(च) अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि हो - कोई नहीं

मंडल के लिए व उसकी ओर से

-हस्ता.-

एम वी गौतमा
अध्यक्ष

स्थान - बेंगलूरु
दिनांक - 21 अगस्त, 2019

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण – 31 मार्च 2019

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण

- तुलन-पत्र
- लाभ व हानि का विवरण
- नकदी प्राप्ति विवरण
- इक्विटी में परिवर्तन का विवरण
- वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

यथा 31 मार्च, 2019 को तुलन-पत्र

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
	परिसंपत्तियाँ			
(1)	**गैर-चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	1	7,487	8,028
	(ख) पूँजीगत चालू कार्य	2	5,010	4,936
	(ग) अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3	13,425	14,676
	(घ) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	4	7,016	5,132
	(ङ) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) व्यापार प्राप्य	5	-	-
	(ii) ऋण	6	36	33
	(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	7	90	23
	(च) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	21	86	-
	(छ) वस्तुसूचियाँ	8	-	-
	(ज) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	9	1,001	1,441
	उप कुल गैर चालू परिसंपत्तियाँ [(क) से (ज)]		**34,151**	**34,269**
(2)	**चालू परिसंपत्तियाँ**			
	(क) वस्तुसूचियाँ	10	2,966	3,196
	(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
	(i) व्यापार प्राप्य	11	956	1,387
	(ii) नकद व नकद समतुल्य	12	2,869	6,100
	(iii) बैंक शेष (उपर्युक्त (ii) के अलावा)	13	2,442	268
	(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	14	13	25
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	15	64	80
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	16	284	584
	उप कुल चालू परिसंपत्तियाँ [(क) से (घ)]		**9,594**	**11,640**
	कुल परिसंपत्तियाँ		**43,745**	**45,909**
	इक्विटी और देयताएँ			
	इक्विटी			
	(क) इक्विटी शेयर पूँजी	17	7,220	6,631
	(ख) अन्य इक्विटी		13,976	12,189
	उप कुल इक्विटी ((क) + (ख))		**21,196**	**18,820**
	देयताएँ			
(1)	**गैर-चालू देयताएँ**			
	(क) वित्तीय देयताएँ			
	(i) उधार	18	1,293	2,114
	(ख) सरकारी अनुदान - आस्थगित	19	12,645	13,973
	(ग) प्रावधान	20	221	144
	(घ) आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	21	-	99
	उप कुल गैर-चालू देयताएँ ((क) से (घ))		**14,159**	**16,330**
(2)	**चालू देयताएँ**			
	(क) वित्तीय देयताएँ			
	(i) उधार	22	622	2,595
	(ii) व्यापार देय	24		
	क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		80	145
	ख) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देय		415	1,597
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	25	2,892	2,965
	(ख) सरकारी अनुदान - आस्थगित	23	1,328	1,328
	(ग) अन्य चालू देयताएं	26	506	862
	(घ) प्रावधान	27	2,262	1,076
	(ङ) चालू कर देयता (निवल)	28	285	191
	उप कुल चालू देयताएँ ((क) से (ङ))		**8,390**	**10,759**
	उप कुल देयताएँ (1+2)		**22,549**	**27,089**
	कुल इक्विटी और देयताएँ		**43,745**	**45,909**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ और साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकर
फर्म पंजी.सं. 112219 W

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994

स्थान-पुणे
दिनांक - 23 मई, 2019

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक

-हस्ता-
डीसीएन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान- बेंगलूरु
दिनांक - 21 मई, 2019

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
आर.एन. बग्दलकर
निदेशक

-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव व सीएफओ

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का विवरण

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
I	प्रचालनों से राजस्व	29	11,729	13,793
II	अन्य आय	30	313	119
III	**कुल आय (I+II)**		**12,042**	**13,912**
IV	व्यय			
	(क) खपत सामग्री की लागत	31	3,783	6,346
	(ख) तैयार माल, व्यापारगत माल और चालू कार्य की वस्तुसूचियों में परिवर्तन	32	545	(46)
	(ग) कर्मचारी अनुलाभ व्यय	33	1,363	1,265
	(घ) उत्पाद शुल्क		-	608
	(ङ) वित्त लागत	34	409	515
	(च) मूल्यह्रास एवं परिशोधन के व्यय	35	2,101	2,054
	(छ) तकनीकी सहायता शुल्क एवं यात्रा व्यय	36	318	397
	(ज) अन्य व्यय	37	1,657	1,505
	कुल व्यय (IV) ((क) से (ज))		**10,176**	**12,644**
V	असाधारण मदों तथा कर (III -IV) से पहले लाभ		**1,866**	**1,268**
VI	असाधारण मद		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**1,866**	**1,268**
VIII	कर व्यय -			
	(a) चालू कर		734	-
	(ii) चालू कर (वर्ष का एम.ए.टी.)		-	345
	(iii) आस्थगित कर (एम.ए.टी. क्रेडिट की हकदारिता सहित)		(286)	(232)
	कुल कर व्यय (i+ii+iii)		**448**	**113**
IX	**वर्ष का लाभ (VII-VIII)**		**1,418**	**1,155**
(X)	**अन्य व्यापक आय**			
(A)	**मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत नहीं किया जाएगा**			
	(i) निर्धारित अनुलाभ योजनाओं का पुनर्मापन		(128)	17
	(ii) उपर्युक्त पर आय कर का प्रभाव		37	(2)
(B)	**मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुन:वर्गीकृत किया जाएगा**		-	-
	वर्ष की अन्य व्यापक आय, कर का निवल (क+ख)		**(91)**	**15**
(XI)	**अवधि की कुल व्यापक आय (IX + X) (जिसमें लाभ (हानि) तथा अवधि की कुल व्यापक आय शामिल है)**		**1,327**	**1,170**
(XII)	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जन**			
	(1) मूल	**38(1)**	**21.05**	**19.20**
	(2) परिवर्तित		**21.05**	**19.20**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ और साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 112219 W

-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994

स्थान-पुणे
दिनांक - 23 मई, 2019

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष

-हस्ता-
कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक

-हस्ता-
डीसीएन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान- बेंगलूरु
दिनांक - 21 मई, 2019

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक

-हस्ता-
आर.एन. बग्दलकर
निदेशक

-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव व सीएफओ

01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के लिए नकदी प्राप्ति विवरण रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालनीय कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति		
कर पूर्व लाभ	1,866	1,268
इनके लिए समायोजन -		
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	2,101	2,054
ब्याज से आय	(112)	(111)
वित्त लागत	409	515
सरकारी अनुदान का परिशोधन - आस्थगित	(1,329)	(1,457)
निर्धारित अनुलाभ योजनाओं का पुनर्मापन	(128)	17
ऋण के उचित मूल्यांकन के लिए समायोजन	51	41
प्रचालनीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन		
व्यापार प्राप्य में (बढ़ोत्तरी)/कमी	432	4,675
वस्तुसूचियों में (बढ़ोत्तरी)/कमी	230	(244)
व्यापार देयों में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(1,247)	265
अन्य वित्तीय देयताओं में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(1,112)	(1,853)
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/कमी	(59)	27
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/कमी	440	434
अन्य चालू परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/कमी	301	(36)
प्रावधानों में बढ़ोत्तरी/(कमी)	1,263	403
अन्य चालू देयताओं में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(355)	678
प्रचालनों से / में (प्रयुक्त) नकदी प्राप्ति	**2,751**	**6,676**
अदा किया गया आय कर	(488)	(428)
अति सामान्य मदों से पहले नकदी प्राप्ति	-	-
प्रचालनीय कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति – (क)	**2,263**	**6,248**
निवेश संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की खरीद	(383)	(161)
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	(1,872)	(1,793)
मीयादी जमा में निवेश	(2,174)	(48)
प्राप्त ब्याज	112	111
निवेश संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति – (ख)	**(4,317)**	**(1,891)**
वित्त संबंधी कार्यकलापों से नकदी प्राप्ति –		
प्राप्त अनुदान	-	348
उधार से प्राप्ति / (चुकतान) – मीयादी ऋण	817	492
उधार से प्राप्ति / (चुकतान) – कार्यशील पूँजी	(2,617)	(1,497)
वित्त लागत	(409)	(515)
अदा किया गया लाभांश (लाभांश कर सहित)	(417)	(174)
शेयर जारी करने से हुई प्राप्ति	1,449	1,743
वित्त संबंधी कार्यकलापों से / में (प्रयुक्त) निवल नकदी प्राप्ति – (ग)	**(1,177)**	**397**
नकद व नकद समतुल्य में निवल बढ़ोत्तरी / (कमी) ((क)+(ख)+(ग))	(3,231)	4,754
वर्ष के प्रारंभ में नकद व नकद समतुल्य	6,100	1,346
वर्ष के अंत में नकद व नकद समतुल्य	**2,869**	**6,100**
नकदी प्राप्ति विवरण के अनुसार नकद व नकद समतुल्य का समाधान		
उपर्युक्त के अनुसार नकद व नकद समतुल्य के समाधान में निम्नलिखित शामिल है -		
नकद व नकद समतुल्य (टिप्पणी 12)	2,869	6,100
नकदी प्राप्ति के विवरण के अनुसार शेष	**2,869**	**6,100**

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ और साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकर
फर्म पंजी.सं. 112219 W
-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994

स्थान-पुणे
दिनांक - 23 मई, 2019

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष
-हस्ता-
कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक
-हस्ता-
डीसीएन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान- बेंगलूरु
दिनांक - 21 मई, 2019

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक
-हस्ता-
आर.एन. बग्दलकर
निदेशक
-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव व सीएफओ

वित्त संबंधी कार्यकलापों से उत्पन्न वित्तीय देयताओं के लिए तुलन-पत्र में प्रारंभिक व अंतिम शेष के बीच समाधान

रु. लाख में

विवरण	01.04.2018 को शेष	वर्ष के दौरान नकदी प्राप्ति	वर्ष के दौरान नकद-इतर परिवर्तन		31.03.2019 को शेष
			विदेशी मुद्रा विनिमय का संचलन	विदेशी मुद्रा विनिमय का संचलन	
अल्पकालीन उधार (क्रेता क्रेडिट)	1,370	(1,345)	(25)	-	-

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

रु. लाख में

01.04.2018 को शेष		टिप्पणी सं.	वर्ष के दौरान इक्विटी पूंजी में परिवर्तन		**31.03.2019** को शेष	
शेयरों की सं.	राशि	17	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
66,31,367	6,631		5,89,176	589	72,20,543	7,220

ख. अन्य इक्विटी

रु. लाख में

विवरण	टिप्पणी सं.	प्रारक्षण व अधिशेष		अन्य व्यापक आय की मदें	अन्य प्रारक्षण	कुल इक्विटी
		प्रतिभूति प्रीमियम प्रारक्षण	प्रतिधारित अर्जन			
1 अप्रैल 2018 को शेष		6,352	5,700	(53)	190	12,189
वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज (उचित मूल्य) का समायोजन		-	14	-	-	14
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयर		860	-	-	-	860
वर्ष का लाभ		-	1,418	-	-	1,418
वर्ष की अन्य व्यापक आय (कर का निवल)		-	-	(91)	-	(91)
बाज़ार दर से कम दर पर उधार के कारण पूँजी अंशदान		-	-	-	21	21
31 मार्च 2019 को शेष		**7,212**	**7,132**	**(144)**	**211**	**14,411**
कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय	38(2)	-	(18)	-	-	**(18)**
लाभांश	17	-	(346)	-	-	**(346)**
लाभांश वितरण कर	17	-	(71)	-	-	**(71)**
31 मार्च 2019 को शेष		**7,212**	**6,697**	**(144)**	**211**	**13,976**

1.कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अनिवार्य बनाए गए अनुसार प्रतिभूतियों के प्रीमियम का उपयोग किया जाएगा।
2. प्रतिधारित अर्जन कंपनी की मुक्त प्रारक्षण निधि है।

उल्लेखनीय लेखा नीतियाँ और साथ में दी गई टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न हिस्सा हैं।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकर
फर्म पंजी.सं. 112219 W
-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994

स्थान-पुणे
दिनांक - 23 मई, 2019

-हस्ता-
एम वी गौतमा
अध्यक्ष
-हस्ता-
कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक
-हस्ता-
डीसीएन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान- बेंगलूरु
दिनांक - 21 मई, 2019

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक
-हस्ता-
आर.एन. बग्दलकर
निदेशक
-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव व सीएफओ

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

कार्पोरेट सूचना

इस रिपोर्ट के साथ में दिए गए वित्तीय विवरणों में बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लि., पुणे (बेलॉप) (कंपनी) के वित्तीय विवरण दिए गए हैं। कंपनी भारत में स्थित एक सरकारी कंपनी है और यह भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के पूर्व स्वामित्व की सहायक कंपनी है। यह कंपनी रक्षा प्रणालियों में प्रयोग किए जाने वाले इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब और संबंधित उच्च वोल्टता की पावर सप्लाई यूनिटों का निर्माण करती है।

1. तैयार करने का आधार तथा अनुपालन संबंधी विवरण

वित्तीय विवरणों को लेखांकन के प्रोद्भवन आधार पर, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार और प्रस्तुत किया गया है। जीएएपी में आज्ञापक भारतीय लेखा मानक (भारतीय-एएस) [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाना है], जहाँ तक लागू हैं, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान शामिल हैं और इनका सतत् रूप से पालन किया गया है।

2. प्राक्कलनों का उपयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इस बात की आवश्यकता होती है कि प्रबंधन इस प्रकार के प्राक्कलन और मान्यताएँ करे जो वित्तीय कथनों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं, आकस्मिक देयताओं के प्रकटण तथा रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्ययों की रिपोर्ट की गई राशियों को प्रभावित करते हैं । यद्यपि ऐसे प्राक्कलन सभी उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण तथा दूरदर्शी आधार पर किए गए हैं, तथापि वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं और ऐसे अंतरों को उस अवधि में अभिचिह्नित किया गया है जिसमें परिणाम अभिनिश्चित किए गए हैं ।

3. मापन का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत आधार पर तैयार किए गए हैं सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देयताओं के, जिन्हें उचित मूल्य में मापा गया है -

1. व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख, यदि कोई हो
2. वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जो उनके उचित मूल्य में मापे जाने हेतु अर्हताप्राप्त हैं।
3. निर्धारित हितलाभ परिसंपत्ति/ देयता को निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य में से योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाकर अभिचिह्नित किया गया है।

4. कार्यशील तथा प्रचलित मुद्रा

इन वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपए (आईएनआर) में दर्शाया गया है जो कंपनी की कार्यशील और प्रचलित मुद्रा है।

5. राजस्व का अभिचिह्नन

क. <u>ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं से राजस्व-</u>

i. राजस्व को तब अभिचिह्नित किया जाता है जब (या जैसे) कंपनी ग्राहक को किए गए वायदे के अनुसार उसे माल या सेवाएँ (जैसे कोई परिसंपत्ति) अंतरित करते हुए कार्य-निष्पादन की देयता पूरा करती है।

ii. किसी निश्चित समय पर कार्य-निष्पादन की देयता पूरा करना

क) कंपनी उस समय राजस्व को अभिचिह्नित करती है जब वह कार्य-निष्पादन की देयता को पूरी करती है।

ख) कार्य-निष्पादन की देयता तब पूरी की जाती है जब ग्राहक को परिसंपत्ति पर नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। नियंत्रण अंतरित करने के सूचकांक में निम्नलिखित शामिल हैं -

- कंपनी ने परिसंपत्ति का वास्तविक अधिकार अंतरित किया है
- ग्राहक का परिसंपत्ति पर कानूनी हक है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
- जब कंपनी को परिसंपत्ति का भुगतान करने का वर्तमान अधिकार है
- ग्राहक को परिसंपत्ति के संबंध में उल्लेखनीय जोखिम और प्रतिफल हैं। उल्लेखनीय जोखिमों और प्रतिफलों के स्वामित्व का अंतरण संविदाओं के इन्को-निबंधनों के आधार पर निर्धारित होता है।

कारखाना-बाह्य संविदा – कारखाना-बाह्य संविदा के मामले में, राजस्व को तब अभिचिह्नित किया जाता है जब विशिष्ट माल को पूर्व निरीक्षण और स्वीकृति, यदि आवश्यक हो, के बाद संविदा में निशर्त रूप से विनियोजित किया जाता है।

एफ.ओ.आर. संविदाएँ – एफ.ओ.आर. संविदाओं के मामले में, जब माल पूर्व निरीक्षण एवं स्वीकृति, यदि निर्दिष्ट हो, के बाद खरीददार को पारेषण हेतु वाहक को सौंपा जाता है और एफ.ओ.आर. गंतव्य स्थल की संविदाओं के मामले में, यदि इस बात की औचित्यपूर्ण अपेक्षा हो कि माल लेखा अवधि के भीतर गंतव्य स्थल तक पहुंच जाएगा। ग्राहक के अनुरोध पर माल को कंपनी में रखे जाने पर भी राजस्व को अभिचिह्नित किया जाता है।

iii. मापन

क. राजस्व को लेनदेन की कीमत की उस राशि पर अभिचिह्नित किया जाता है जो कार्य-निष्पादन देयता में आबंटित की गई है।

लेनदेन की राशि प्रतिफल की वह राशि होती है जिसके लिए कंपनी तृतीय पक्षकारों की ओर से एकत्रित राशि को छोड़कर, वचनबद्ध माल या सेवाओं को अंतरित करने हेतु विनिमय करने के लिए हकदार होने की अपेक्षा करती है।

कीमत बढ़ोत्तरी तथा ई.आर.वी. जहाँ अतिरिक्त प्रतिफल निर्धारित किया जाना है और ग्राहकों द्वारा उसे अनुमोदित किया जाना है, के मामले में, ऐसे अतिरिक्त राजस्व को ग्राहक (ग्राहकों) से पुष्टिकरण प्राप्त होने पर अभिचिह्नित किया जाता है।

ख. <u>जुर्माना</u>

किसी संविदा में निर्दिष्ट जुर्माने (सुपुर्दगी में देरी के लिए निर्णीत हर्जाने की उगाही सहित) को लेनदेन की कीमत का अंतर्निहित हिस्सा नहीं माना जाता यदि इसकी उगाही ग्राहक द्वारा समीक्षा के अधीन हो।

ग. <u>उल्लेखनीय वित्तीय घटक</u>

रक्षा संबंधी परियोजनाओं से प्राप्त अग्रिम को उल्लेखनीय वित्तीय घटक निर्धारित करने के लिए विचार में नहीं लिया जाता क्योंकि इसका उद्देश्य संविदा करने वाले पक्षकारों के हित की रक्षा करना है।

अन्य संविदाओं के संबंध में, उल्लेखीय वित्तीय घटकों की विद्यमानता की समीक्षा मामला-दर-मामला आधार पर की जाती है।

ख. अन्य आय

अन्य आय को इस प्रकार अभिचिह्नित किया जाता है -

i. <u>ब्याज से प्राप्त आय</u>

ब्याज से प्राप्त आय को प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए अभिचिह्नित किया जाता है।

ii. <u>अन्य आय</u>

ऊपर विशिष्ट रूप से न बताई गई अन्य आय को प्रोद्भवन आधार पर अभिचिह्नित किया जाता है।

6. वस्तुसूचियाँ

(i) कच्चे माल, भंडार एवं पुर्जे तथा मार्गस्थ माल का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है तथा माल की लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया गया है ।

(ii) चालू कार्य का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है। लागत में सामग्री की लागत और यथा लागू, रूपांतरण की लागत शामिल हैं।

(iii) तैयार माल का मूल्य निर्धारण निम्नतर लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया है।

7. मूल्यह्रास / परिशोधन

मूल्यह्रास

मूल्यह्रास का परिकलन परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा आधार पर किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित विधि से परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवनकाल का प्राक्कलन करती है। प्रबंधन का मानना है कि ये प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल वास्तविक हैं और उस अवधि के उचित अनुमान को दर्शाते हैं जिसमें परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाना संभावित है।

जहाँ किसी परिसंपत्ति के किसी भाग की लागत उसकी कुल लागत में उल्लेखनीय होती है और ऐसे भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल शेष परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल से अलग होता है तो ऐसे उल्लेखनीय भाग का प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल अलग से निर्धारित किया जाता है और ऐसे उल्लेखनीय भाग का मूल्यह्रास उसके प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा विधि द्वारा किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवनकाल और मूल्यह्रास की विधियों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और उचित समझे जाने पर उन्हें भविष्यलक्षी रूप से समायोजित किया जाता है।

संयंत्र और मशीनरी की कुछेक मदों का मूल्यह्रास प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर प्रभारित किया जाता है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में वर्णित उपयोगी जीवनकाल से अलग होते हैं।

परिशोधन

परिशोधन का परिकलन अमूर्त परिसंपत्तियों के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल में सीधी-रेखा विधि का प्रयोग करते हुए उनकी लागत को बट्टा खाते में डालने के लिए किया जाता है और आम तौर पर लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है। परिशोधन की विधियों, उपयोगी जीवनकाल की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख में की जाती है और उचित समझे जाने पर उन्हें समायोजित किया जाता है।

8. संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों का निपटान

संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की कोई मद और उसका कोई महत्वपूर्ण हिस्सा जिसे प्रारंभ में अभिचिह्नित किया गया है, उसे निपटान करने पर या उसके प्रयोग अथवा निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक हितलाभ अपेक्षित न हो, उसे अभिचिह्नित मदों से हटा दिया जाता है। परिसंपत्ति का अभिचिह्नित वर्ग से हटाने से होने वाले लाभ या हानि (निवल निपटान की प्राप्तियों और परिसंपत्ति की वहनीय राशि के बीच के अंतर के रूप में परिकलित) को लाभ व हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

9. कर्मचारी अनुलाभ

(i) कर्मचारियों के सभी अनुलाभ जो संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह प्रदेय होते हैं, को अल्पकालीन कर्मचारी अनुलाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनमें मुख्यत: निम्नलिखित अनुलाभ शामिल होते हैं -

क) मजदूरी और वेतन; ख) अल्पकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ; ग) प्रोत्साहन एवं बोनस जिनका मूल्य-निर्धारण बट्टारहित आधार पर किया जाता है और जिन्हें ऐसी अवधि के दौरान अभिचिह्नित किया जाता है जिसमें संबंधित सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

(ii) वार्षिक अवकाश जैसी दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियों के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्राक्कलित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य और तुलन-पत्र में शामिल प्रावधान के वहनीय मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है और इसका प्रावधान किया जाता है।

(iii) कर्मचारी भविष्य निधि तथा पेंशन योजना की ओर निर्धारित अंशदान लागू दरों पर मासिक प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है। अधिवार्षिता योजना के प्रति अंशदान लागू दरों पर वार्षिक आधार पर किया जाता है।

(iv) उपदान – कर्मचारियों को उपदान के भुगतान के लिए वृद्धिशील देयता का निर्धारण प्राक्कलित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए बीमांकिक आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित देयता के वर्तमान मूल्य तथा इस प्रयोजनार्थ स्थापित अनुमोदित न्यास में वित्त-पोषित योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में किया जाता है।

(v) बीमांकक लब्धियाँ और हानियाँ तथा योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्त (ब्याज छोड़कर) तथा परिसंपत्ति की निर्दिष्ट सीमा के प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज छोड़कर) को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में तुरंत अभिचिह्नित किया जाता है। निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्तियाँ) पर निवल ब्याज व्यय (आय) का परिकलन वर्ष के दौरान किए गए अंशदान और हितलाभ भुगतानों के परिणामस्वरूप, किसी परिवर्तन को ध्यान में रखने के बाद, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निवल निर्धारित देयता (परिसंपत्ति) की माप करने में प्रयुक्त, बट्टागत दर लागू करते हुए किया जाता है।

जब किसी योजना के हितलाभों में परिवर्तन होता है या योजना को सीमित किया जाता है तो हितलाभ में इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तन जो पिछली सेवा या योजना को सीमित करने पर लाभ या हानि से संबंधित होते हैं, उन्हें लाभ व हानि के विवरण में तत्काल अभिचिह्नित किया जाता है।

10. आयकर

आयकर में चालू और आस्थगित कर शामिल होते हैं –

(i) चालू आय कर

चालू कर परिसंपत्तियों और देयताओं को वसूली किए जाने योग्य अथवा कराधान प्राधिकारियों को अदा की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। इस राशि का परिकलन करने में प्रयुक्त कर की दरें या कर नियम वे होते हैं जो अधिनियमित होते हैं या रिपोर्टिंग की तारीख में बाद में अधिनियमित होते हैं। इक्विटी में सीधे अभिचिह्नित मदों से संबंधित चालू कर को इक्विटी में अभिचिह्नित किया जाता है, लाभ व हानि के विवरण में नहीं।

लाभ व हानि के विवरण से बाहर अभिचिह्नित मदों से संबंधित आस्थगित कर को लाभ व हानि के विवरण से बाहर अभिचिह्नित किया जाता है।

(ii) आस्थगित कर

परिसंपत्तियों एवं देयताओं के कर आधार तथा रिपोर्टिंग की तारीख में वित्तीय रिपोर्टिंग के प्रयोजनार्थ उनकी वहनीय राशियों के बीच के अस्थायी अंतरों पर तुलन-पत्र विधि का प्रयोग करते हुए आस्थगित कर का प्रावधान किया जाता है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतरों, आगे ले जाने योग्य अप्रयुक्त कर क्रेडिटों तथा अप्रयुक्त कर हानियों, जहाँ तक यह संभाव्य हो कि ऐसा करयोग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थाई अंतरों का उपयोग किया जा सकता है, के लिए अभिचिह्नित किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहनीय राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख पर की जाती है और इस सीमा तक की जाती है कि यह तब तक संभाव्य न हो कि सभी या आंशिक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अनुमत करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे।

11. विदेशी मुद्रा के लेनदेन

विदेशी मुद्रा के संव्यवहारों को प्रारंभिक रूप से उस तारीख पर उनकी संबंधित मुद्रा विनिमय दरों द्वारा दर्जकिया जाता है जिसमें ऐसे संव्यवहार अभिचिह्नित करने के लिए पहली बार अर्ह बनते हैं। विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर कार्यशील मुद्रा विनियम दर पर रूपांतरित किया जाता है। आर्थिक मदों के निपटान या रूपांतरण से पैदा होने वाले अंतरों को लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है। मौद्रिक – इतर मदें जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के परिप्रेक्ष्य में मापा जाता है, उन्हें प्रारंभिक संव्यवहारों की तारीखों पर कार्यशील मुद्रा विनियम दर का प्रयोग करते हुए रूपांतरित किया जाता है।

12. वायदा ठेके

विदेशी मुद्रा के जोखिम का बचाव करने के लिए प्रयुक्त व्युत्पन्नी वित्तीय विलेख जैसे वायदा मुद्रा संविदाएँ, को प्रारंभिक रूप से उस तारीख पर उचित मूल्य पर अभिचिह्नित किया जाता है जिसमें ऐसा व्युत्पन्नी संविदा किया जाता है और तदुपरांत उचित मूल्य पर उनका दोबारा मापन किया जाता है। उचित मूल्य धनात्मक हो व्यत्पन्नी को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में आगे ले जाया जाता है और ऋणात्मक होने पर वित्तीय देयता के रूप में आगे ले जाया जाता है।

13. उधार संबंधी लागतें

उधार की लागतें जो एक परिसंपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं जो इसके आशयित प्रयोग या विक्रय के लिए तैयार होने में सारभूत समय लेती हैं, उन्हें परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में पूँजीकृत किया जाता है। सामान्य उधार की लागतों को ऐसी परिसंपत्ति पर खर्च की पूँजीकरण दर लागू करते हुए अर्हक परिसंपत्तियों पर पूँजीकृत किया जाता है। पूँजीकरण की दर विशिष्ट उधारों को छोड़कर, सामान्य बकाया उधार पर लागू उधार की लागतों का भारित औसत होता है। उधार की अन्य सभी लागतों को उपगत होने वाली अवधि में खर्च किया जाता है। उधार की लागतों में ऐसे ब्याज तथा अन्य लागतें शामिल की जाती हैं जो एक स्वत्व निधियों के उधार लेने के संबंध में करता है। उधार की लागत में उधार की लागतों के समायोजन के रूप में होने वाले विनिमय दर अंतर भी शामिल होते हैं।

14. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर, पूँजीगत चालू कार्य

संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों को प्रारंभ में लागत पर मूल्यांकित किया जाता है तदपुरांत उन्हें उनकी लागत में से संचित मूल्यह्रास और अनर्जक हानि, यदि कोई हो, को घटाते हुए मूल्यांकित किया जाता है।

इस प्रयोजनार्थ लागत में परिसंपत्ति को उसकी स्थिति और परिस्थिति में लाने के लिए उपगत सभी लागत शामिल होती है। परिसंपत्ति काप्रयोग करने के बाद, उसका कार्यारंभ बंद करने की अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य संबंधित परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है, यदि इस प्रावधान संबंधी अभिचिह्नन मानदंड पूरे किए जाते हों।

पूँजीगत चालू कार्य

अचल परिसंपत्तियाँ, जो प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख में अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं थीं, की लागत को पूंजीगत चालू कार्य के रूप में प्रकट किया गया है।

पूँजीगत चालू कार्य में आपूर्ति-सह-निर्माण ठेके, स्थल पर प्राप्त पूँजीगत आपूर्तियों का मूल्य तथा स्वीकृत पूँजीगत मार्गस्थ माल जो निरीक्षण के अंतर्गत हैं तथा ऐसी अचल परिसंपत्तियाँ जो तुलन-पत्र की तारीख पर आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, की लागत शामिल हैं ।

15. अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अर्जित लाइसेंस शुल्क, तकनीकी जानकारी जो भावी आर्थिक हितलाभ में परिणामित हुए, की लागत को, प्रयोग में तैयार होने पर लेखा बहियों में अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है । अमूर्त परिसंपत्तियाँ जो तुलन-पत्र की तारीख में अपने आशयित प्रयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

विकास कार्य जो पूरे कर लिए गए हैं, जहाँ पात्र हैं, की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

चालू विकास कार्यों की लागत, यहाँ पात्र हैं, को "विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

16. तकनीकी जानकारी पर खर्च

तकनीकी जानकारी पर उपगत खर्च को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है जब तक कि ऐसा खर्च स्वयं अलग से या किसी अन्य परिसंपत्ति / व्यय के संयोजन से, अमूर्त परिसंपत्ति / मूर्त परिसंपत्ति के भाग के रूप में अभिचिह्नित करने के योग्य न हो।

17. अनुसंधान व विकास पर खर्च

(i) अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों पर खर्च को उपगत होने वाली अवधि में व्यय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

(ii) विकास खर्च (विशिष्ट-सह-बिक्री संविदाएँ तथा विकासीय, परियोजनाओं के अलावा जो ग्राहक के अनुरोध पर किए जाते हैं) को उपगत होने पर खर्च के रूप में प्रभारित किया जाता है। विकास-सह-बिक्री संविदाओं पर विकासीय खर्च तथा ग्राहक के अनुरोध पर की गई विकासीय परियोजनाओं पर खर्च को अन्य बिक्री संविदाओं के समतुल्य माना जाता है।

जब ऐसी विकासीय परियोजनाएँ ग्राहक के आदेश में फलीभूत नहीं होती हैं तो ऐसी परियोजनाओं पर दर्ज कुल खर्च को ऐसी परियोजना के बंद करने वाले वर्ष में प्रभारित किया जाता है।

(iii) अन्य विकासीय कार्यकलाप (बाहरी एजेंसियों के सहयोग से किए गए संयुक्त विकास कार्य सहित) पर किए गए खर्च जहाँ किए गए अनुसंधान के परिणाम या प्राप्त अन्य ज्ञान को नए या वर्धित उत्पाद या प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, उन्हें अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है यदि भारतीय-एएस में निर्दिष्ट अभिचिह्नन मानदंड पूरे किए जाते हैं और जब विकसित उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रयोग करने योग्य हों, कंपनी के पास विकास कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों और बाद में अमूर्त परिसंपत्ति का प्रयोग या विक्रय किया जा सकता हो औरऐसा उत्पाद या प्रक्रिया से भावी आर्थिक हितलाभ जनित करने की संभावना हो।

(iv) अचल परिसंपत्तियों पर अनु. व वि. व्यय को पूँजीकृत किया जाता है।

18. सरकारी अनुदान

सरकार से प्राप्त सभी अनुदान को उचित मूल्य पर मापा जाता है और प्रारंभिक रूप से आस्थगित आय के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है ।

अचल परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण आस्थगित आय में रखी राशि को अधिग्रहण के लिए उपयोग किए गए सरकारी अनुदान की आरोप्य सीमा तक संबंधित परसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्यह्रास के अनुपात में लभ व हानि खाते के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है ।

राजस्व व्ययों के कारण आस्थगित आय में रखी राशि को प्राप्त अनुदान की सीमा तक, कुल स्वीकृत लागत के लिए वित्त-पोषण के अनुपात में उपगत व्यय की सीमा तक लाभ व हानि खाते के जमा पक्ष में अंतरित किया जाता है ।

19. वित्तीय परिसंपत्तियाँ

प्रारंभिक अभिचिह्नन तथा मापन

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य में अभिचिह्नित किया जाता है। यदि वित्तीय परिसंपत्तियों को लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया जाता है तो वित्तीय परिसंपत्ति के अर्जन के कारण आने वाली संव्यवहार लागतों को परिसंपत्ति की लागत में शामिल किया जाता है।

उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार वर्गों में बांटा जाता है -

- परिशोधित लागत पर ऋण विलेख,
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर (एफवीटीओसीआई) ऋण विलेख,
- लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर ऋण विलेख, व्युत्पन्नी तथा इक्विटी विलेख (एफवीटीपीएल),
- अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य पर इक्विटी विलेख (एफवीटीओसीआई)।

अभिचिह्नन हटाना

वित्तीय परिसंपत्ति या उसके किसी भाग को तब अभिचिह्नित से हटा दिया जाता है जब ऐसी परिसंपत्ति से नकदी प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं।

व्यापार से प्राप्तियाँ तथा अन्य प्राप्य राशि

प्राप्य राशियों को प्रारंभ में उनके उचित मूल्य पर अभिचिह्नित किया जाता है जो ज्यादातर मामलों में नाममात्र मूल्य के लगभग होता है। यदि बाद में ऐसा कोई संकेत मिलता है कि ऐसी परिसंपत्तियाँ अनर्जक हो सकती हैं तो अनर्जकता के लिए उनकी समीक्षा की जाती है।

20. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हस्तस्थ नकद और मांग जमा राशियाँ शामिल होती हैं। नकदी समतुल्य अल्पकालीन अत्यंत चलनिधि के निवेश होते हैं जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम की होती है और जिन्हें ज्ञात नकद राशि में तुरंत रूपांतरित किया जा सकता है जिसमें मूल्य में परिवर्तन करने के बैंक ओवरड्राफ्ट, यदि कोई हो, का कम जोखिम होता है, तुलन-पत्र में चालू देयताओं के तहत उधार के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं।

21. वित्तीय परिसंपत्तियों की अनर्जकता

भारतीय-एएस 109 के अनुसार, कंपनी क्रेडिट जोखिम एक्सपोज़र वाली वित्तीय परिसंपत्तियों में अनर्जकता हानि के मापन और अभिचिह्नन के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल को अपनाती है।

क. सरकार / सरकारी विभागों / सरकारी कंपनियों से कालातीत देय राशियों का सामान्य रूप से ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के क्रेडिट जोखिम में बढ़ोत्तरी नहीं माना जाता।

ख. जहाँ देय राशि कानूनी कार्यवाही के तहत विवाद में है तो मामले की अपील उच्चतर अधिकारियों / न्यायालयों में करने के बावजूद, कंपनी के विरुद्ध निर्णय दिए जाने का भी प्रावधान किया जाता है ।

ग. उल्लेखनीय अवधि तक बकाया रहने वाली देय राशियों की समीक्षा की जाती है और मामला-दर-मामला आधार पर प्रावधान किया जाता है।

अनर्जक हानि स्वीकृति (या व्युत्क्रमण) को लाभ या हानि के विवरण में व्यय / (आय) के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है।

22 वित्तीय देयताएँ

(i) प्रारंभिक अभिचिह्नन तथा मापन

वित्तीय देयताओं को ऋण, उधार, देय राशि या परिवर्त, जैसा उचित हो, के रूप में लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर प्रारंभिक अभिचिह्नन पर वर्गीकृत किया जाता है।

ऋण, उधार या देय राशियों को निवल संव्यवहार लागतों पर दर्शाया जाता है।.

(ii) उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं का मापन नीचे वर्णितानुसार, उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है –
लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ।.

लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ऐसी वित्तीय देयताएँ शामिल होती हैं जो लाभ या हानि द्वारा उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक अभिचिह्नन करने पर निर्धारित की जाती हैं। इस वर्ग में कंपनी द्वारा किए गए ऐसे परिवर्ती वित्तीय विलेख भी शामिल किए जाते हैं जिन्हें भारतीय-एएस 109 में यथा परिभाषित, बचाव संबंध में बचाव विलेख नहीं माना जाता है। पृथक किए गए अंतर्निर्मित परिवर्तों को भी व्यापार में धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी बचाव विलेख नहीं माना जाता। व्यापार के लिए धारित देयताओं पर लब्धि या हानि को लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित किया जाता है।

(iii) ऋण तथा उधार

प्रारंभिक अभिचिह्नन के बाद, ब्याज वाले ऋणों तथा उधार को तदुपरांत प्रभावी ब्याज दर विधि का प्रयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लब्धियों और हानियों को लाभ या हानि में तब अभिचिह्नित किया जाता है जब देयताओं कोई आईआर परिशोधन प्रक्रिया द्वारा अमान्य माना जाताहै।

एक वित्तीय देयता का अभिचिह्नन तब हटाया जाता है जब देयता के तहत बाध्यता पूरी कर ली जाती है या रद्द या समाप्त कर दी जाती है।

(iv) व्यापार तथा अन्य देय राशियाँ

पूर्तिकर्ता द्वारा बिल तैयार करने या न करने पर भी, प्राप्त माल या सेवा के लिए भविष्य में अदा की जाने वाली राशियों के लिए देयताएँ अभिचिह्नित की जाती हैं।

23. वित्तीय विलेखों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक अभिचिह्नन पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का वर्गीकरण तय करती है। प्रारंभिक अभिचिह्नन के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों का कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता जो इक्विटी विलेख और वित्तीय देयताएँ होती हैं। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण विलेख होती हैं, केवल तभी पुनर्वर्गीकरण किया जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों की व्यवस्था करने के कारोबारी मॉडल में परिवर्तन किया गया हो। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण करती है तो वह भविष्यलक्षी प्रभाव से ऐसे पुनर्वर्गीकरण को लागू करती है।

24. वित्तीय विलेखों का समंजन

वित्तीय परिसंपत्तियाँ और वित्तीय देयताएँ समंजन होती हैं और इसकी निवल राशि तुलन-पत्र में दर्शाई जाती है बशर्ते कि अभिचिह्नित राशियों का समंजन करने का वर्तमान में प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार हो और परिसंपत्तियोंको वसूल करने और देयताओं को निपटाने के लिए, निवल आधार पर एक साथ निपटाने का आशय हो।

25. पट्टे

पट्टे को प्रारंभ करने की तारीख पर वित्त पट्टा या प्रचालनीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी, पट्टेदार के रूप में

पट्टे के प्रारंभ पर वित्त पट्टों को उचित मूल्य के न्यूनतम स्तर पर और न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूँजीकृत किया जाता है। वित्त प्रभारों को लाभ व हानि के विवरण में वित्त लागतों में अभिचिह्नित किया जाता है। पट्टाधृत परिसंपत्ति का मूल्यह्रास परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवन अथवा पट्टे की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, पर किया जाता है।

26. इक्विटी शेयरधारकों को नकद लाभांश और नकद-रहित वितरण

कंपनी इक्विटीधारकों को नकद या नकदरहित वितरण करने की देयता को अभिचिह्नित करती है जब ऐसे वितरण को प्राधिकृत किया जाता है और वितरण कंपनी के विवेक पर निर्भर नहीं होता।

27. वारंटियों का प्रावधान

कार्य-निष्पादन गारंटी तथा बेचे गए माल के प्रतिस्थापन / मरम्मत के कारण हुए व्यय का प्रावधान प्रवृत्ति आधारित प्राक्कलनों के आधार पर किया जाता है ।

28. प्रावधान

i. प्रावधानों को तब अभिचिह्नित किया जाता है जब कंपनी में पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता (विधिक या इतर) होता है, इसकी संभावना है कि देयता को निपटाने के लिए आर्थिक हितलाभ देने वाले संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता हो और ऐसी देयता की राशि का विश्वसनीय प्राक्कलन किया जा सकता हो।जब कंपनी कुछेक या सभी प्रावधानों की प्रतिपूर्ति अपेक्षित करती है, उदाहरण के लिए, बीमा संविदा के तहत, प्रतिपूर्ति को एक अलग परिसंपत्ति के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है लेकिन ऐसा केवल तभी किया जाता है जब प्रतिपूर्ति करनाआभासी रूप से निश्चित हो।इस प्रावधान से संबंधित व्यय को निवल प्रतिपूर्ति के रूप में लाभ व हानि के विवरण में दिखाया जाता है।यदि धन राशि के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है तो दायित्व विशिष्ट जोखिम को प्रतिबिंबित करने वाले चालू पूर्व-कर दर, जब उचित हो, का प्रयोग करते हुए प्रावधानों को भुनाया जाता है। जब भुनाने का विकल्प लिया जाता है तो समयावधि के कारण प्रावधान में बढ़ोत्तरी को वित्तीय लागत के रूप में अभिचिह्नित किया जाता है। आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में अभिचिह्नित नहीं किया जाता लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है।

ii. निर्माण संविदाओं के अलावा दुर्वह संविदाओ के प्रावधानों को अभिचिह्नित किया जाता है जब ऐसी किसी संविदा से कंपनी को प्राप्त होने वाले अपेक्षित हितलाभ संविदा के तहत इसकी देयताओं को पूरी करने की अपरिहार्य लागत से कम हो। इस प्रावधान का मूल्यांकन संविदा को समाप्त करने की अपेक्षित लागत तथा संविदा को जारी रखने के अपेक्षित निवल लागत के वर्तमान मूल्य पर किया जाताहै। किसी प्रकार का प्रावधान करने से पहले कंपनी ऐसी संविदा से जुड़ी परिसंपत्ति पर अनर्जक लागत को अभिचिह्नित करती है।

29. आकस्मिक देयताएँ / परिसंपत्तियाँ

आकस्मिक देयताएँ / परिसंपत्तियाँ जहाँ तक प्रबंधन को जानकारी है, वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ द्वारा प्रकट की जाती हैं।

30. नकदी प्राप्ति विवरण

नकदी प्राप्ति विवरण को नकदी प्राप्ति विवरण पर भारतीय-एएस 7 में वर्णित परोक्ष विधि के अनुसार तैयार किया गया है।

31. रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ

समायोजनीय घटनाएँ ऐसी घटनाएँ होती हैं जिनसे आगे की परिस्थितियों के साक्ष्य मिलते हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होते हैं। ऐसी घटनाओं के लिए वितीय विवरणों को जारी करने के प्राधिकरण से पहले समायोजित किया जाता है। गैर-समायोजनीय घटनाएँ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो ऐसी परिस्थितियों का संकेत देती हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के समाप्त होने के बाद घटती हैं। रिपोर्टिंग की तारीख के बाद की गैर-समायोजनीय घटनाओं का लेखा नहीं किया जाता लेकिन प्रकट किया जाता है।

32 प्रति शेयर अर्जन

कंपनी अपने साधारण शेयरों को लिए मूल व परिवर्तित अर्जन प्रति शेयर डेटा प्रस्तुत करती है। प्रति शेयर मूलअर्जन का परिकलन कंपनी केसामान्य इक्विटी धारकों को हुए लाभ या हानि को वर्ष के दौरान बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर किया जाता है जिसे धारित स्वयं के शेयरों में समायोजित किया जाता है। सभी परिवर्तित संभावित सामान्य शेयरों के प्रभाव के लिए, परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का निर्धारण सामान्य इक्विटी धारकों तथा धारित स्वयं के शेयरों के लिए समायोजित, बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या को समायोजित करते हुए किया जाता है।

33. परिसंपत्तियों की अनर्जकता -

कंपनी [नकद उत्पन्न करने वाली इकाई (सीजीयू)] के संदर्भ में परिसंपत्तियों की अनर्जकता का मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर किया जाता है यदि आंतरिक या बाहरी कारकों के आधार पर परिस्थितियों में किसी प्रकार के परिवर्तन यह दर्शाता है कि वहनीय मूल्य की पूरी वसूली नहीं की जा सकती । अनर्जकता के कारण कोई हानि, जो वहनीय राशि और वसूली-योग्य राशि के बीच का अंतर है, का तदनुसार लेखा किया जाता है । सीजीयू में वसूली योग्य राशि निवल विक्रय कीमत या प्रयोग में मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होती है । प्रयोग में मूल्य का परिकलन कंपनी की कर उधार-पूर्व दर पर बट्टागत प्राक्कलित भावी नकदी प्राप्तियों के आधार पर होता है ।

34. त्रुटियाँ व प्राक्कलन

भारतीय-एएस में परिवर्तन के कारण यदि लेखा नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो या वित्तीय विवरणों के प्रयोक्ताओं को अधिक संगत तथा विश्वसनीय सूचनाएं प्रदान करने के लिए कोई परिवर्तन करना हो तो कंपनी अपनी लेखा नीतियों में संशोधन करती है। लेखा नीतियों में ऐसे परिवर्तन पूर्वव्यापी प्रभाव से किए जाते हैं।

लेखा प्राक्कलन में कोई परिवर्तन जिससे अभिचिह्नित परिसंपत्तियों या देयताओं की वहनीय राशियों में या लाभ व हानि के विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो उसे परिवर्तन की अवधि में भविष्यलक्षी रूप से लागू किया जाता है।

यदि ऐसी महत्वपूर्ण त्रुटियाँ मिलती हैं जिनसे पूर्वावधि जिसमें ऐसी त्रुटियों का पता चला था, की परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी की तुलनात्मक राशियों को दोबारा बताते हुए पूर्वव्यापी ढंग से पुनरीक्षण किए जाते हैं। पूर्व की अवधि के प्रारंभिक शेष को भी दोबारा बताया जाता है।

संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी.सं. 112219 W
-हस्ता-
श्रीधर पाठक
साझेदार
सदस्यता सं. 041994

स्थान-पुणे
दिनांक - 23 मई, 2019

-हस्ता-
एम बी गौतमा
अध्यक्ष
-हस्ता-
कोशी एलेक्ज़ाण्डर
निदेशक
-हस्ता-
डीसीएन श्रीनिवास राव
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
स्थान- बेंगलूरु
दिनांक - 21 मई, 2019

-हस्ता-
आनंदी रामलिंगम
निदेशक
-हस्ता-
आर.एन. बग्दलकर
निदेशक
-हस्ता-
प्रिया एस अय्यर
कंपनी सचिव व सीएफओ

टिप्पणी 1 - 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष को संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर

रु. लाख में

विवरण	सकल वहनीय मूल्य				संचित मूल्यह्रास				निवल वहनीय मूल्य	
	1अप्रैल, 2018 को	परिवर्धन/समायोजन	कटौती / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च, 2019 को	1अप्रैल, 2018 को	वर्ष का प्रभार	कटौती / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2019 को	31मार्च, 2018 को
मूर्त परिसंपत्तियाँ										
पट्टाधारित भूमि	18	-	-	18	1	-	-	1	17	17
भवन	474	7	1	480	83	30	-	113	367	391
संयंत्र व मशीनरी	9,654	219	-	9,873	2,127	795	-	2,922	6,951	7,527
कार्यालयीन उपस्कर	18	3	-	21	5	4	-	9	12	13
वैद्युत संस्थापना	66	64	-	130	27	9	-	36	94	39
फर्नीचर व जुड़नार	43	6	-	49	14	5	-	19	30	29
कंप्यूटर प्रणाली	24	12	-	36	12	8	-	20	16	12
कुल	10,297	311	1	10,607	2,269	851	-	3,120	7,487	8,028
पिछले वर्ष	10,026	271	-	10,297	1,450	804	14	2,269	8,028	8,576

1. संयंत्र व मशीनरी (सकल वहनीय मूल्य) में रु. 33/- (पिछले वर्ष रु. रु. 33/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें टीपीडीयूपी परियोजना के तहत प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया गया।
2. संयंत्र व मशीनरी (सकल वहनीय मूल्य) में रु. 5,611/- (पिछले वर्ष रु. 5,611/-) तक की परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिन्हें एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूब की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया गया।
3. संयंत्र व मशीनरी पर रु. 795/- के मूल्यह्रास में रु. 538/- के टीओटी उपस्करों (एक्सडी-4) का मूल्यह्रास शामिल है।
4. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (एस.एल.एम.) द्वारा किया जाता है।
5. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अलावा मूल्यह्रास के परिकलन हेतु परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवनकाल इस प्रकार है –

   I) संयंत्र व मशीनरी (निरंतर प्रक्रम संयंत्र) 15 वर्ष

   प्रौद्योगिकी लाइसेंस करार की शर्तों के अनुसार, रैखिक अंतरण रेखा (निरंतर प्रक्रम संयंत्र) का समर्थन 15 वर्षों की अवधि के लिए टीओटी प्रदाता द्वारा किया जाता है।

   प्रबंधन द्वारा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर यह अभिनिश्चित किया जाता है कि रैखिक अंतरण रेखा का उपयोग 15 वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा।
6. दो पाली के कार्य तथा तीन पाली के कार्य के संबंध में संयंत्र व मशीनरी की मदों पर क्रमश: 50% और 100% का अतिरिक्त मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।
7. कंपनी ने दिनांक 25.11.1991 को रु. 21/- की लागत पर 95 वर्षों के लिए एमआईडीसी से 13680 वर्ग मीटर की भूमि अर्जित की है जिसे नए निबंधन व शर्तों पर अतिरिक्त 95 वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकता है। पट्टाधारित भूमि की लागत को रु. 23/- में पूँजीकृत किया गया और सकल वहनीय राशि रु. 18/- है।
8. चालू वर्ष के संबंध में पट्टाधारित भूमि पर संचित मूल्यह्रास रु. 24,660/- है जिसे पूर्णांकित किया गया है।
9. कार्यालयीन उपस्कर की सकल वहनीय राशि के संबंध में कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन रु. 5/- है जिसे पूर्णांकित किया गया है।
10. फर्नीचर व जुड़नार की सकल वहनीय राशि के संबंध में कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन रु. 47,163/- है और संचित मूल्यह्रास के संबंध में रु. 22,086/- को पूर्णांकित किया गया है।
11. भवन से संबंधित संचित मूल्यह्रास के संबंध में कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन रु. 10,284/- है जिसे पूर्णांकित किया गया है।
12. संयंत्र व मशीनरी की सकल वहनीय राशि के संबंध में कटौती / पुनर्वर्गीकरण और समायोजन रु. 33,662/- है और संचित मूल्यह्रास के संबंध में रु. 29,412/- को पूर्णांकित किया गया है।
13. दृष्टिबंधन टिप्पणी के लिए टिप्पणी सं. 40 देखें।

टिप्पणी 2 – चालू पूँजीगत कार्य

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
1. सिविल निर्माण		
प्रारंभिक शेष	-	48
जोड़ें- वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	46
घटाएँ – वर्ष के दौरान पूँजीकृत राशि	-	94
कुल (1)	-	-
2. संयंत्र व मशीनरी		
प्रारंभिक शेष	4,936	4,982
जोड़ें- वर्ष के दौरान परिवर्धन	128	44
घटाएँ – वर्ष के दौरान पूँजीकृत राशि	54	90
कुल (2)	5,010	4,936
कुल (1+2)	5,010	4,936

1. संयंत्र और मशीनरी में मुख्य रूप से रु. 4,896 के एलटीएल शामिल हैं।

रु. लाख में

टिप्पणी 3 – 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की अमूर्त परिसंपत्तियाँ

विवरण	सकल वहनीय मूल्य				संचित मूल्यह्रास				निवल वहनीय मूल्य	
	1 अप्रैल, 2018 को	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च, 2019 को	1 अप्रैल, 2018 को	वर्ष का प्रभार	कटौती / पुनर्वर्गीकरण एवं समायोजन	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च 2019 को	1 अप्रैल, 2018 को
लाइसेंस शुल्क	18,424	-	-	18,424	3,750	1,250	-	5,000	13,424	14,674
कंप्यूटर प्रचालन प्रणाली	2	-	-	2	1	-	-	1	1	2
कुल	18,426	-	-	18,426	3,751	1,250	-	5,001	13,425	14,676
पिछले वर्ष	18,426	-	-	18,426	2,500	1,250	-	3,750	14,676	15,926

1. अमूर्त परिसंपत्तियों (सकल वहनीय राशि) में रु. 13,689/- (पिछले वर्ष रु. 13,689/-) शामिल है जिन्हें एक्सडी-4 आई.आई. ट्यूब की प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त प्राप्त अनुदान से वित्त पोषित किया गया।
2. परिशोधन का परिकलन परिसंपत्ति के प्राक्कलित उपयोगी जीवनकाल पर सीधी-रेखा आधार पर किया जाता है।
3. चालू वर्ष के संबंध में कंप्यूटर प्रचालन प्रणाली का परिशोधन रु. 18,863/- है जिसे पूर्णांकित किया गया है।

टिप्पणी 4 – विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2018 को
टीओटी (एक्सआर-5)		
प्रारंभिक शेष	5,132	3,342
जोड़ें – वर्ष के दौरान परिवर्धन	1,884	1,790
घटाएँ – वर्ष के दौरान पूँजीकृत राशि	-	-
कुल	7,016	5,132

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में परिवर्धन एक्सआर-5 करार के तहत अदा किए गए लाइसेंस शुल्क के कारण है।

टिप्पणी 5 – व्यापार प्राप्य – चालू इतर

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
व्यापार प्राप्य – रक्षित जिन्हें खरा माना गया	-	-
व्यापार प्राप्य – अरक्षित जिन्हें खरा माना गया	-	-
व्यापार प्राप्य जिनसे क्रेडिट जोखिम पर उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी होती है	-	-
व्यापार प्राप्य, क्रेडिट ह्रास		
1. संबंधित पक्षकार से	140	140
घटाएँ- संदिग्ध ऋणों का प्रावधान	140	140
उप कुल (1)	-	-
2. अन्य से	22	217
घटाएँ- संदिग्ध ऋणों का प्रावधान	22	217
उप कुल (2)	-	-
कुल	-	-

संदिग्ध प्राप्यों की स्वीकृति में संचलन नीचे दिया गया है -

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2017 को
वर्ष के प्रारंभ में शेष	357	357
वर्ष के दौरान अपेक्षित क्रेडिट हानि का प्रावधान	21	-
वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाला गया	216	-
लाभ या हानि को जमा	-	-
वर्षांत में शेष	162	357

संबंधित पक्षकारों के प्रकटण के लिए टिप्पणी सं. 40 देखें

टिप्पणी 6 – ऋण – चालू इतर

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
- सुरक्षा जमा		
- रक्षित जिन्हें खरा माना गया	-	-
- अरक्षित जिन्हें खरा माना गया		
एमएसईबी के पास जमा	31	31
जल संदाय के लिए जमा	1	1
अन्य जमा	4	1
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
- क्रेडिट ह्रास	-	-
कुल	36	33

उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें

टिप्पणी 7 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ - चालू इतर

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
12 महीनों से अधिक की परिपक्वता वाला मीयादी जमा	19	23
बैंक के पास मार्जिन राशि	70	-
मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	1	-
कुल	90	23

उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें

1. 12 महीनों से अधिक की परिपक्वता की उक्त मीयादी जमा में कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।
2. बैंक के पास धारित उक्त मार्जिन राशि के प्रत्यावर्ती प्रतिबंध हैं।
3. पिछले वर्ष से संबंधित रु. 7,582/- की मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज को पूर्णांकित किया गया।

टिप्पणी 8 – वस्तुसूचियाँ – गैर चालू

₹ लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वस्तुसूचियाँ		
कच्चा माल	20	20
घटाएँ – अप्रचलन का प्रावधान	20	20
कुल	-	-

टिप्पणी 9 – अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
पूँजीगत अग्रिम		810		1,178
पूर्वदत्त व्यय		1		6
एक्सआर-5 पर दत्त अग्रिम सेवा कर अग्रिम		53		79
टीडीएस (एक्सआर-5)		80		121
पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	22		20	
अरक्षित जिन्हें संदिग्ध माना गया	22	-	20	-
घटाएँ – संदिग्ध अग्रिम का प्रावधान	-		-	
जमा राशियां	-		-	
उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा	14		14	
विक्रय कर प्राधिकारियों के पास जमा	23		23	
न्यायालय में जमा (चुँगी)	20	57	20	57
चुँगी के लिए जमा सेवा कर प्राधिकारियों के पास जमा				
कुल		1,001		1,441

1. उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के पास जमा चालू व पिछले वर्ष से संबंधित रु. 1,000/- को पूर्णांकित किया गया।
2. विक्रय कर प्राधिकारियों के पास जमा चालू व पिछले वर्ष से संबंधित रु. 10,000/- को पूर्णांकित किया गया।

टिप्पणी 10 – वस्तुसूचियाँ – चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2019 को		31 मार्च, 2018 को	
कच्चा माल	916		587	
मार्गस्थ माल (आर.एम.सी.)	89		169	
स्टोर व उपभोज्य	204		121	
मार्गस्थ माल (स्टोर तथा उपभोज्य)	-		3	
चालू कार्य	1,712	2,921	2,257	3,137
मशीनरी के पुर्जे		45		59
कुल		2,966		3,196

टिप्पणी

1) कच्चे माल और घटकों में रु. 7/- (पिछले वर्ष रु.5/-) शामिल है जो उप-ठेकेदारों के पास है और जो पुष्टिकरण एवं समाधान के अधीन हैं।

टिप्पणी 11 – व्यापार प्राप्य – चालू

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया - रक्षित	-	-
व्यापार प्राप्य जिन्हें खरा माना गया - अरक्षित		
- संबंधित पक्षकार से	377	248
- अन्य से	579	1,139
व्यापार प्राप्य जिनसे क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई	-	-
व्यापार प्राप्य, क्रेडिट ह्रास	-	-
कुल	956	1,387

1. उचित मूल्य के मापन तथा वित्तीय विलेखो के वर्गीकरण के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।
2. संबंधित पक्षकारों के प्रकटण तथा सुरक्षा दृष्टिबंधन के लिए टिप्पणी सं. 40 देखें।
3. वर्ष 2018-19 के व्यापार प्राप्यों का संचलन

रु. लाख में

विवरण	उत्पादों से बिक्री	सेवाओं से आय
निवल देनदारों का प्रारंभिक शेष (क)	**1,386**	**1**
परिवर्धन		
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित बिक्री के समक्ष	12,122	62
कुल - (ख)	12,122	62
कटौतियाँ		
वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	12,045	61
अभिचिह्नित राजस्व से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	235	-
देनदारों का ह्रास (प्रावधान)	21	-
पिछले वर्ष के दौरान अभिचिह्नित लेनदेन कीमतों में परिवर्तन	-	-
अन्य (यदि कोई हो)	252	1
कुल - (ग)	**12,553**	**62**
सकल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख-ग)	**955**	**1**

वर्ष 2017-18 के व्यापार प्राप्यों का संचलन

रु. लाख में

विवरण	उत्पादों से बिक्री	सेवाओं से आय
निवल देनदारों का प्रारंभिक शेष (क)	**6,034**	**28**
परिवर्धन		
वर्ष के दौरान अभिचिह्नित बिक्री के समक्ष	14,049	21
कुल - (ख)	**14,049**	**21**
कटौतियाँ		
वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	18,469	48
अभिचिह्नित राजस्व से वर्ष के दौरान समायोजित अग्रिम	25	-
देनदारों का ह्रास (प्रावधान)	-	-
पिछले वर्ष के दौरान अभिचिह्नित लेनदेन कीमतों में परिवर्तन	-	-
अन्य (यदि कोई हो)	203	-
कुल - (ग)	**18,697**	**48**
सकल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख-ग)	**1,386**	**1**

4. भुगतान के समक्ष कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना

भुगतान के निबधन -

क. सरकार / सरकारी विभागों, पीएसयू की संविदाओं के सामान्य भुगतान निम्नलिखित में से किसी एक निबंधन में किए जाते हैं -

i) सात दिनों के भीतर 90% और निरीक्षण व स्वीकृति के बाद 10%

ii) आदेश देने के साथ 15% अग्रिम भुगतान, थोक सामग्री खरीदने के बाद 35%, थोक असेंबली के समापन तथा संविरचित पुर्जों के बाद 35%, स्टोर्स प्राप्त करने के साठ दिनों के भीतर निरीक्षण पूरा होने के बाद 5%

ख. निजी ग्राहकों के साथ की गई संविदाएँ – माल प्रेषित करने से पहले अग्रिम भुगतान।

ग. ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को संविदा की देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और कार्य-निष्पादन देयता पूरी होने पर प्रगामी रूप से समायोजित किया जाता है। अग्रिम को समायोजित करने के बाद प्राप्य शेष राशि को व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

टिप्पणी 12- नकद व नकद समतुल्य

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
1. नकद व नकद समतुल्य		
क. बैंकों के पास शेष		
चालू खातों में	35	27
नकद क्रेडिट खाता	10	36
मीयादी जमा में	2,822	6,036
(3 महीनों तक की मूल परिपक्वता)		
ख. हस्तस्थ नकद व स्टैम्प	2	1
कुल	2,869	6,100

1. नकद व नकद समतुल्य में तीन महीनों तक की परिपक्वता अवधि की मीयादी जमा शामिल हैं। मीयादी जमा जिनकी परिपक्वता अवधि तीन महीनों से अधिक लेकिन 12 महीनों तक की अवधि की हैं, उन्हें टिप्पणी से. 13 में बैंक शेष में शामिल किया गया है।
   उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।
2. उक्त नकद व नकद समतुल्य में कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है।
   नकदी प्राप्ति विवरण के प्रयोजनार्थ, नकद व नकद समतुल्यों में निम्नलिखित शामिल हैं -:

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
बैंकों में शेष	2,867	6,099
हस्तस्थ नकद व स्टैम्प	2	1
कुल	**2,869**	**6,100**

टिप्पणी 13- बैंक शेष

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
मीयादी जमा में		
(जिनकी मूल परिपक्वता अवधि 3 महीनों से अधिक	2,223	158
लेकिन 12 महीनों से कम है)		
बैंक के पास धारित मार्जिन राशि	219	110
कुल	**2,442**	**268**

1. 12 महीनों से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि वाले मीयादी जमा टिप्पणी सं. 7 में दर्शाए गए हैं।
2. 3 महीनों तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले मीयादी जमा टिप्पणी सं. 12 में दर्शाए गए हैं।
3. बैंक के पास धारित मार्जिन राशि के सिवाय उक्त बैंक शेष का कोई प्रत्यावर्ती प्रतिबंध नहीं है ।
4. कंपनी की नकद प्रबंधन नीतियों को समझने के लिए टिप्पणी सं. 39 (vi), चलनिधि जोखिम देखें।
5. उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 14 – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
मीयादी जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	11	23
अन्य प्राप्य	-	-
प्राप्य छात्रवृत्ति (प्रशिक्षु)	2	2
कुल	13	25

1. चालू वर्ष से संबंधित रु. 6,763/- के अन्य प्राप्तियों के पूर्णांकित किया गया है
2. उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 15 – चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
धन वापसी की ओर आय कर प्राधिकारियों के पास शेष	64	80
कुल	**64**	**80**

टिप्पणी **16** – अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
पूर्वदत्त व्यय		19		20
पूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		237		287
अन्य अग्रिम				
अग्रिम टीडीएस (एक्सआर-5)		15		23
एक्सआर-5 पर अदा किया गया अग्रिम सेवा कर		10		14
राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष				
देय एफबीटी वापसी	-		-	
जीएसटी निर्वेश कर क्रेडिट	2		240	
जीएसटी टीडीएस	1		-	
		3		240
कुल		**284**		**584**

1. चालू और पिछले वर्ष से संबंधित रु. 45,928/- की देय एफबीटी वापसी को पूर्णांकित किया गया है।

टिप्पणी 17 – इक्विटी शेयर पूँजी

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
प्राधिकृत पूँजी - 1,00,00,000/- (पिछली अवधि में 1,00,00,000/-) इक्विटी शेयर, रु. 100/- प्रत्येक	10,000	10,000
जारी पूँजी - 72,20,543 (पिछली अवधि में 66,31,367) इक्विटी शेयर, रु. 100/- प्रत्येक	7,220	6,631
अभिदत्त एवं चुकता पूँजी - 72,20,543 (पिछली अवधि में 66,31,367) पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर, रु. 100/- प्रत्येक	7,220	6,631

रु. लाख में

वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का समाधान-	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की सं.	6,631,367	6,631	5,922,635	5,923
जोड़ें – वर्ष के दौरान जारी अतिरिक्त इक्विटी शेयर	589,176	589	708,732	709
घटाएँ – वर्ष के दौरान समपहृत/पुनर्खरीद किए गए इक्विटी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की सं.	7,220,543	7,220	6,631,367	6,631

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त में से, रु. 100 प्रत्येक के 72,20,543/- इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 66,31,367) धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि. (बीईएल) और उसके द्वारा नामित व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा धारित हैं। बेलॉप दिनांक 30 जुलाई, 2015 से बीईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

2 कंपनी में 5% से अधिक के शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं -

रु. लाख में

विवरण	2018-19		2017-18	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारण का %
इक्विटी शेयर - भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	7,220,543	100	6,631,367	100

प्रत्येक वर्ग के शेयरों के साथ संबद्ध निबंधन, अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

(क)कंपनी में केवल एक वर्ग के शेयर यानी इक्विटी शेयर हैं।

(ख) इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक हाथ दिखाकर अपना मत देने और धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में मतदान में भाग लेने का हकदार है।

(ग) प्रत्येक शेयरधारक को कंपनी द्वारा घोषित लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है।

(घ) कंपनी को समाप्त करने पर, इक्विटी शेयरधारक विधि अनुसार सभी अधिमान राशियों के वितरण के बाद, कंपनी की शेष परिसंपत्तियों, यदि कोई हो, के वसूल किए गए मूल्य को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

अंतिम लाभांश

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2016-17 का अंतिम लाभांश	346	144
वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2016-17 का लाभांश वितरण कर	71	29

टिप्पणी 18- उधार

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
संबंधित पक्षकार से ऋण		
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी)		
सावधि ऋण	1,293	1,490
कार्यशील पूँजी ऋण	-	624
कुल	1,293	2,114

विवरण के लिए टिप्पणी सं. 40(1) (ii) and (iii) देखें।
उचित मूल्य मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 19 – सरकारी अनुदान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
टीओटी (एक्सडी-4) परियोजना	12,645	13,973
कुल	12,645	13,973

टिप्पणी 20 - प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	221	144
कुल	**221**	**144**

वर्ष के दौरान प्रावधानों में संचलन नीचे दिए गया है -

रु. लाख में

विवरण	01.04.2018 को	परिवर्धन	उपयोगिता	31.03.2019 को	
				दीर्घकालीन	अल्पकालीन
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	158	90	11	221	16
कुल	158	90	11	221	16

टिप्पणी 21 -

I) आस्थगित कर देयताएँ/ (परिसंपत्तियाँ)

रु. लाख में

समय अंतर की प्रकृति	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आस्थगित कर देयताएँ	928	1,014
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	1,014	915
कुल	**(86)**	**99**

II) लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित राशि

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आय कर के व्यय		
चालू कर (मैट क्रेडिट सहित)	734	-
न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट)	-	345
आस्थगित कर घटाएँ	235	16
मैट क्रेडिट की हकदारिता घटाएँ	51	216
आय कर के व्यय	448	**113**

1.रु. (51/-) की मैट क्रेडिट की हकदारिता पिछले वर्षों से संबंधित है।

III) अन्य व्यापक आय में अभिचिह्नित आय कर

रु. लाख में

विवरण	31.03.2019			31.03.2018		
	कर से पहले	कर (व्यय) अनुलाभ	निवल कर	कर से पहले	कर (व्यय) अनुलाभ	निवल कर
नियोजन के बाद निर्धारित अनुलाभ योजनाओं का पुनर्मापन (हानि) / लब्धि	(128)	37	(91)	17	(2)	15
कुल	**(128)**	**37**	**(91)**	**17**	**(2)**	**15**

आस्थगित कर देयता (निवल)

IV) आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ एवं देयताएँ निम्नलिखित के कारण हैं -

रु. लाख में

विवरण	आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)		आस्थगित कर देयता		निवल आस्थगित कर (परिसंपत्तियाँ)/देयता	
	31.03.2019	**31.03.2018**	**31.03.2019**	**31.03.2018**	**31.03.2019**	**31.03.2018**
व्यापार प्राप्य - प्रावधान	(47)	(118)	-	-	(47)	(118)
प्रावधान, अन्य	(425)	(231)	-	-	(425)	(231)
कर्मचारी अनुलाभ	(69)	(52)	-	-	(69)	(52)
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	-	-	593	623	593	623
व्यापार देय	(6)	(6)	-	-	(6)	(6)
संयंत्र, संपत्ति और उपकरण	-	-	335	391	335	391
बोनस	(1)	-	-	-	(1)	-
अधिवार्षिता	(7)	-	-	-	(7)	-
मैट क्रेडिट	(459)	(508)	-	-	(459)	(508)
कुल	**(1,014)**	**(915)**	**928**	**1,014**	**(86)**	**99**

टिप्पणी सं. 21

V) आस्थगित कर परिसंपत्तियों एवं देयताओं का संचलन

रु. लाख में

विवरण	01.04.2019 को शेष	2018-19 के दौरान लाभ व हानि में अभिचिह्नित	2018-19 के दौरान ओ.सी.आई. में अभिचिह्नित	31.03.2019 को शेष
व्यापार प्राप्य - प्रावधान	(118)	71	-	(47)
प्रावधान, अन्य	(231)	(194)	-	(425)
कर्मचारी अनुलाभ	(52)	(17)	-	(69)
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	623	(30)	-	593
व्यापार देय	(6)	-	-	(6)
संयंत्र, संपत्ति और उपकरण	391	(56)	-	335
बोनस	-	(1)	-	(1)
अधिवार्षिता	-	(7)	-	(7)
मैट क्रेडिट	(508)	49	-	(459)
कुल	**99**	**(185)**	**-**	**(86)**

1. 2018-19 के दौरान लाभ व हानि में अभिचिह्नित मैट क्रेडिट में पूर्व के वर्षों का (रु 51/-) शामिल है।

2. वर्ष के दौरान प्रयुक्त मैट क्रेडिट रु. 100 है।

रु. लाख में

2018-19

vi) प्रभावी कर दर का समाधान

क्र.सं.	विवरण	राशि	कर का प्रभाव	कर दर
I	सामान्य दर पर कर			
1	बही का लाभ	1,866		
2	कर दर @29.12%		543	29.10
	बहियों के अनुसार कर प्रावधान व्यय			
3	चालू वर्ष के लिए कर का प्रावधान		734	
4	घटाएँ – आस्थगित कर (मैट क्रेडिट सहित)		(286)	
5	कर का निवल प्रावधान		448	24.01
	अंतर (2-5)		**95**	**5.09%**
	निम्न का प्रभाव			
	कटौती न करने योग्य व्यय		(95)	(5.09)
	पृथकित हानि		-	-
	कुल		**(95)**	**5.09%**

रु. लाख में

2017-18

vi) प्रभावी कर दर का समाधान

क्र.सं.	विवरण	राशि	कर का प्रभाव	कर दर
I	सामान्य दर पर कर			
1	बही का लाभ	1,268		
2	कर दर @33.06%		419	33.06
	बहियों के अनुसार कर प्रावधान व्यय			
3	चालू वर्ष के लिए कर का प्रावधान		345	
4	घटाएँ – आस्थगित कर (मैट क्रेडिट सहित)		(232)	
5	कर का निवल प्रावधान		113	8.87
	अंतर (2-5)		**306**	**24.13%**
	निम्न का प्रभाव			
	कटौती न करने योग्य व्यय		46	3.63
	पृथकित हानि		(352)	(27.78)
	कुल		**(306)**	**-24.13%**

vii) **कर की हानियाँ, जिन्हें आगे ले जाया गया**

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	कर की हानियाँ, जिन्हें आगे ले जाया गया	कुछ नहीं	कुछ नहीं

viii) ऐसी कोई मद नहीं है जिस पर आस्थगित कर सृजित नहीं किया गया।

टिप्पणी 22 – उधार

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
बैंक से ऋण		
एसबीआई क्रेता क्रेडिट	-	348
एक्सिस क्रेता क्रेडिट	-	1,022
उप-कुल (1)	-	1,370
संबंधित पक्षकार से ऋण		
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (धारक कंपनी)	622	1,225
उप-कुल (2)	622	1,225
कुल (1+2)	622	2,595

विवरण के लिए टिप्पणी सं. 40(1) (ii) & (iii) देखें।
उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 23- सरकारी अनुदान

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
टीओटी (XD-4) परियोजना	1,328	1,328
कुल	1,328	1,328

टिप्पणी 24 - व्यापार देय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
(1) सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को देय	80	145
(2) सूक्ष्म उद्यमों तथा लघु उद्यमों के अलावा लेनदार	415	1,597
कुल (1+2)	**495**	**1,742**

i) सूक्ष्म व लघु उद्यम (एमएसई)

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत सूचना उस सीमा तक प्रकट की गई है जिस सीमा तक ऐसे पूर्तिकर्ताओं को वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अभिचिह्नित किया गया है। कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर उन्हें बकाया राशियों के विवरण इस प्रकार हैं - रु. लाख में

विवरण	2018-19	2017-18
वर्षांत में देय और प्रदेय राशि		
- मूलधन	-	-
- उक्त मूलधन पर ब्याज	-	-
वर्ष के दौरान नियत तारीख के बाद किए गए भुगतान		
- मूलधन	23	84
- ब्याज	-	-
पहले से अदा किए गए मूलधन पर देय और प्रदेय ब्याज	-	1
वर्षांत में प्रोद्भूत कुल ब्याज तथा जो अदत्त रहा	-	1
ब्याज जो अनुवर्ती वर्षों में भी देय और प्रदेय उस तारीख तक बना रहा, जिस तारीख को उपर्युक्तानुसार देय ब्याज का वास्तविक भुगतान लघु उद्यमों को एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृत करने के प्रयोजनार्थ कर दिया गया।	-	-

ii) चालू वर्ष से संबंधित रु. 6,595/ की राशि जिसे मूलधन पर देय और प्रदेय ब्याज के लिए पहले से अदा किया गया है, को पूर्णांकित किया गया और 31.03.2019 को रु. 21,745/- की राशि पूर्णांकित की गई।

iii) वर्ष के दौरान पिछले वर्ष अदा किए गए ब्याज के लिए रु. 1,32,779/- के प्रावधान को व्युत्क्रमित किया गया चूँकि बाद में किए गए सत्यापन पर यह पाया गया कि उक्त राशि देय नहीं थी।

iv) यह सूचना ऐसे पूर्तिकर्ताओं के संबंध में उस सीमा तक दी गई है जिस सीमा तक कंपनी में उपलब्ध सूचना के आधार पर उन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के रूप में अभिचिह्नित किया जा सका।

v) उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 25 - अन्य वित्तीय देयताएँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
दीर्घकालीन कर्ज (बीईएल से ऋण) की चालू परिपक्वताएँ	1,022	-
पूँजीगत लेनदार	1,715	2,835
क्रेता क्रेडिट पर प्रोद्भूत ब्याज	-	3
बीईएल के ऋण पर प्रोद्भूत ब्याज	16	18
ईएमडी जमा	2	6
सुरक्षा जमा	51	41
बकाया देयता	86	61
एमएसएमई को प्रदेय ब्याज	-	1
कुल	**2,892**	**2,965**

1. एमएसएमई को चालू वर्ष से संबंधित प्रदेय रु. 21,745/- के ब्याज को पूर्णांकित किया गया।

उचित मूल्य के मापन के लिए टिप्पणी सं. 39 देखें।

टिप्पणी 26 – अन्य चालू देयताएँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	-			236
देय सांविधिक देयता				
देय टीडीएस	33		33	
देय जीएसटी	463		583	
देय अन्य सांविधिक देयता	10	506	10	626
कुल		**506**		**862**

1. चालू वर्ष से संबंधित ग्राहकों से प्राप्त रु. 37,994/- की अग्रिम राशि को पूर्णांकित किया गया है।

2.ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों का संचलन

रु. लाख में

विवरण	2018-19	2017-18
प्रारंभिक शेष (क)	236	26
वर्ष के दौरान ग्राहकों से अग्रिम प्राप्ति	-	235
कुल – (ख)	-	235
प्रारंभिक शेष में से वर्ष के दौरान अभिचिह्नित राजस्व के समक्ष समायोजित संविदा देयता	235	25
कुल – (ग)	235	25
कुल योग (अंतिम शेष) घ = (क+ख-ग)	-	236

1. चालू वर्ष से संबंधित ग्राहकों से प्राप्त रु. 37,994/- की अग्रिम राशि को पूर्णांकित किया गया है।

टिप्पणी 27 - प्रावधान रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को	
कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान		1,461		698
कर्मचारी अनुलाभ के प्रावधान				
दीर्घकालीन प्रतिपूरक अनुपस्थितियाँ	16		15	
उपदान	145		4	
वार्षिक प्रोत्साहन	168		87	
बोनस का प्रावधान	2		2	
वेतन पुनरीक्षण	470	801	270	378
कुल		**2,262**		**1,076**

वर्ष 2018-19 के प्रावधानों का संचलन

रु. लाख में

I) कार्य-निष्पादन वारंटी का प्रावधान

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
वर्ष के प्रारंभ में वहनीय राशि	698	477
जोड़ें – वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	945	239
घटाएँ – वर्ष के दौरान प्रयुक्त राशि	182	18
घटाएँ – वर्ष के दौरान व्युत्क्रमित अप्रयुक्त राशि	-	-
वर्ष के अंत में वहनीय राशि	**1,461**	**698**

देयता की प्रकृति तथा आर्थिक अनुलाभों के किसी परिणामी बहिर्वाह का अपेक्षित समय का संक्षिप्त विवरण-

1) वारंटी का प्रावधान -
उत्पादों की बिक्री के समय लागत प्रोद्भूत होता है। वारंट के प्रावधान विगत अनुभव पर आधारित हैं। ये प्रावधान बिक्री की तारीख से 24/48 महीनों की वारंटी अवधि पर किए जाते हैं।

प्रबंधन के आंकलन के आधार पर, वर्ष के दौरान वारंटी के लिए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं।

II) कर्मचारी अनुलाभ का प्रावधान

रु. लाख में

विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन	बोनस का प्रावधान	वेतन पुनरीक्षण
01.04.2018 को वर्ष के प्रारंभ में वहनीय राशि	87	2	270
जोड़ें – वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	93	2	260
घटाएँ – वर्ष 2018-19 के दौरान प्रयुक्त राशियाँ	6	2	-
घटाएँ – वर्ष 2018-19 के दौरान व्युत्क्रमित, अप्रयुक्त राशियाँ	6	-	60
वर्ष 31.03.2019 के अंत में वहनीय राशियाँ	**168**	**2**	**470**

रु. लाख में

विवरण	वार्षिक प्रोत्साहन	बोनस का प्रावधान	वेतन पुनरीक्षण
01.04.2017 को वर्ष के प्रारंभ में वहनीय राशि	96	-	13
जोड़ें – वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	87	2	270
घटाएँ – वर्ष 2017-18 के दौरान प्रयुक्त राशियाँ	76	-	-
घटाएँ – वर्ष 2017-18 के दौरान व्युत्क्रमित, अप्रयुक्त राशियाँ	20	-	13
वर्ष 31.03.2018 के अंत में वहनीय राशियाँ	**87**	**2**	**270**

कर्मचारी अनुलाभ

भारतीय ए.एस.-19

रु. लाख में

उपदान

भारतीय ए.एस. 19 द्वारा यथा अपेक्षित कर्मचारी अनुलाभ के विवरण इस प्रकार हैं -

निर्धारित अनुलाभ योजना

i) लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ या हानि रु. 17/- (पिछले वर्ष रु. 21-/) है।

ii) अन्य व्यापक आय के विवरण में अभिचिह्नित निर्धारित अनुलाभ योजनाओं के संबंध में बीमांकिक लाभ या हानि रु.128/- (पिछले वर्ष रु. 17/-) है।

iii) उपदान पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के अंतिम आहरित वेतन के 15 दिनों के आधार पर कर्मचारी को दिए जाने वाला अनुलाभ है।

iv) उपदान योजना वित्त-पोषित है।

रु. लाख में

	विवरण	उपदान	
(क)	निर्धारित देयता जो प्रारंभिक और अंतिम शेषों का समाधान दर्शाते हैं, के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन इस प्रकार हैं -	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	अवधि के प्रारंभ में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	343	316
2.	ब्याज की लागत	27	23
3.	चालू सेवा लागत	16	16
4.	विगत सेवा लागत	-	-
5.	अंतरित देयता / अधिग्रहण	-	-
6.	(बाहर अंतरित देयता / अनावरण)	-	-
7.	काट-छांट पर हानि (लब्धि)	-	-
8.	(बंदोबस्त पर प्रशमित देयताएँ)	-	-
9.	(नियोक्ता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अदा किए गए अनुलाभ)	-	-
10.	(निधि से अदा किए गए अनुलाभ)	-	-
11.	विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
12.	देयताओं पर बीमांकक (लब्धि) / हानि – जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	-	-
13.	देयताओं पर बीमांकक (लब्धि) / हानि – वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण	117	(16)
14.	देयताओं पर बीमांकिक (लब्धि) / हानि – अनुभव के कारण	12	3
15.	तुलन-पत्र की तारीख में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	515	343

रु. लाख में

(ख)	योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य जो प्रारंभिक और अंतिम शेषों का समाधान दर्शाते हैं, में परिवर्तन इस प्रकार हैं -	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	अवधि के प्रारंभ में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	339	238
2.	ब्याज की आय	26	17
3.	कर्मचारियों द्वारा वास्तविक अंशदान	4	78
4.	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-
5.	अंतरित/अधिग्रहित परिसंपत्तियाँ	-	-
6.	(अंतरित परिसंपत्तियाँ / अनावरण)	-	-
7.	(निधि से अदा किए गए अनुलाभ)	-	-
8.	(बंदोबस्त पर वितरित परिसंपत्तियाँ)	-	-
9.	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा के प्रभाव	-	-
10.	विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
11.	आयकर सहित, योजित परिसंपत्तियों पर प्राप्ति	-	5
12.	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	369	339

रु. लाख में

(ग)	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशि	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य	(515)	(343)
2.	वर्ष के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	369	339
3.	वित्त पोषण की स्थिति [अधिशेष/(कमी)]	(146)	(4)
4.	तुलन-पत्र में अभिचिह्नित निवल परिसंपत्ति/(देयता)	(146)	(4)

रु. लाख में

(घ)	**निर्धारित अनुलाभ देयता के वर्तमान मूल्य और योजित परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का समाधान जो तुलन-पत्र में अभिचिह्नित राशि दर्शाता है**	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	अवधि के अंत में निर्धारित अनुलाभ देयता का वर्तमान मूल्य	(515)	(343)
2.	अवधि के अंत में योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	369	339
3.	वित्त पोषण की स्थिति [अधिशेष/(कमी)]	(146)	(4)
4.	अनभिचिह्नित विगत की सेवा लागत	-	-
5.	**तुलन-पत्र में अभिचिह्नित निवल परिसंपत्ति/(देयता)**	(146)	(4)

रु. लाख में

(ङ)	**चालू अवधि के लाभ या हानि के विवरण में अभिचिह्नित व्यय**	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	चालू सेवा लागत	17	16
2.	ब्याज की लागत	-	6
3.	विगत सेवा लागत	-	-
4.	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
5.	अनावरण व बंदोबस्त पर हानि (लब्धि)	-	-
6.	विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
7.	**उपदान निधि में अंशदान के तहत लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित कुल व्यय**	**17**	**21**

रु. लाख में

(च)	**चालू अवधि के अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में अभिचिह्नित व्यय**	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	अवधि की देयता पर बीमांकिक (लब्धि)/हानि	(128)	(12)
2.	वापस की गई योजित परिसंपत्तियां, ब्याज की आय छोड़कर	-	(5)
3.	परिसंपत्ति की ऊपरी सीमा में परिवर्तन	-	-
4.	**ओसीआई में अभिचिह्नित अवधि के लिए निवल (आय)/ व्यय**	(128)	(17)

(छ) उपदान तथा अधिवार्षिता संबंधी वित्त-पोषित अनुलाभों के संबंध में, योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य "बीमाकर्ता द्वारा व्यवस्थित निधियाँ" द्वारा निवेश की गई राशि को दर्शाते हैं।

(ज)	मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ -	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	बट्टे की दर (%)	7.76%	7.78%
2.	योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित प्राप्ति (%)	7.76%	7.78%
3.	वेतन में बढ़ोत्तरी (%)	8.00%	5.00%
4.	कर्मचारी आवर्त की दर	2.00%	2.00%

(क) बट्टे की दर देयताओं के प्राक्कलित समय के दौरान तुलन-पत्र की तारीख पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर बाज़ार की प्रचलित लब्धि पर आधारित है।

(ख) योजित परिसंपत्तियों की वापसी की अपेक्षित दर – यह दर देयताओं के प्राक्कलित समय के दौरान निधि के निवेश पर अपेक्षित प्राप्ति की औसत दीर्घकालीन दर की अपेक्षा पर आधारित है।

(ग) वेतन में बढ़ोत्तरी की दर – भावी वेतन बढ़ोत्तरी का प्राक्कलन मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

रु. लाख में

(झ)	संवेदनशीलता विश्लेषण		
		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	चालू मान्यताओं पर प्रक्षेपित अनुलाभ देयता	**515**	**343**
1.	डेल्टा प्रभाव + बट्टे की दर में 1% परिवर्तन	(42)	(28)
2.	डेल्टा प्रभाव - बट्टे की दर में 1% परिवर्तन	48	32
3.	डेल्टा प्रभाव + वेतन बढ़ोत्तरी की दर में 1% परिवर्तन	47	33
4.	डेल्टा प्रभाव - वेतन बढ़ोत्तरी की दर में 1% परिवर्तन	(43)	(29)
5.	डेल्टा प्रभाव + कर्मचारी आवर्त की दर में 1% परिवर्तन	(1)	6
6.	डेल्टा प्रभाव - कर्मचारी आवर्त की दर में 1% परिवर्तन	1	(7)

(ञ) उपदान निधि का निवेश बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है।

छुट्टी का नकदीकरण

भारतीय एएस-19

कंपनी में छुट्टी नकदीकरण की योजना है जो वित्त-पोषण रहित योजना है।

इस योजना के अनुसार, कंपनी के सभी कर्मचारी प्रत्येक श्रेणी के लिए यथा निर्धारित न्यूनतम छुट्टी को प्रतिधारित करने की शर्त पर, अपनी संचित वार्षिक छुट्टी का नकदीकरण करने के हकदार हैं। नकदीकृत छुट्टी (मूल वेतन + डी.ए.)/30 प्रति दिन की दर से देय होती है।

दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थिति जैसे वार्षिक छुट्टी के भुगतान की देयता का मूल्यांकन बीमांकिक आधार पर यथा 31.03.2019 को रु. 221/- है। बीमांकिक मूल्यांकन पीयूसी विधि का प्रयोग करते हुए किया गया है।

विवरण	31.03.2019	31.03.2018
सेवानिवृत्ति की आयु	58 वर्ष	58 वर्ष
संनिघर्षण दर	2%	2%
भावी वेतन वृद्धि	8%	5%
बट्टे की दर	7.76%	7.78%
मृत्युदर टेबल	भारतीय आश्वस्त मृत्यु दर (2006-08)	भारतीय आश्वस्त मृत्यु दर (2006-08)

दीर्घकालीन क्षतिपूरक अनुपस्थितियों पर देयता की राशि को बीमांकिक की रिपोर्ट के आधार पर चालू तथा गैर-चालू के बीच विभाजित किया गया है।

चालू देयता - रु. 16/-

गैर-चालू देयता - रु. 221/-

कुल - रु. 237/-

टिप्पणी 28 – चालू कर देयताएँ

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आयकर का प्रावधान (अग्रिम कर का निवल)	266	176
आय कर पर ब्याज	19	15
कुल	**285**	**191**

टिप्पणी 29 – प्रचालनों से राजस्व

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
(क) उत्पादों की बिक्री *	10,273		12,146	
(ख) सेवाओं की बिक्री	52	10,325	18	12,164
(ग) अन्य प्रचालनीय राजस्व				
(i) वापस लिए गए अतिरिक्त प्रावधान				
- वस्तुसूची	-		137	
- पीपीआई और पीआरपी	6		19	
- वेतन पुनरीक्षण	60		13	
- अन्य	9	75	3	172
(घ) सरकारी अनुदान		1,329		1,457
कुल राजस्व (क+ख+ग+घ)		11,729		**13,793**

*दिनांक 01.07.2017 से माल व सेवा कर (जीएसटी) शुरु किए जाने के परिणामस्वरूप, माल के निर्माण पर उत्पादन शुल्क की उगाही अब नहीं की जाती है, इसलिए, दिनांक 1 जुलाई, 2017 से यह सकल आवर्त का भाग नहीं है। बहरहाल, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए उत्पादों की बिक्री के मूल्य में उत्पाद शुल्क शामिल है।

1. 2017-18 के सरकारी अनुदान में टीपीडीयूपी परियोजना से संबंधित रु. 2/- शामिल है।

i) 2018-19 के लिए ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं के समक्ष अभिचिह्नित राजस्व के अलग-अलग आंकड़े

रु. लाख में

विवरण	भारत सरकार / पीएसयू				अन्य
	रक्षा	रक्षा-इतर	देशीय	निर्यात	
					ऑफसेट कारोबार
उत्पादों की बिक्री	9,207	2	1,064	-	-
सेवाओं से आय	-	52	-	-	-
कुल	**9,207**	**54**	**1,064**	-	-

i) 2017-18 के लिए ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं के समक्ष अभिचिह्नित राजस्व के अलग-अलग आंकड़े

रु. लाख में

विवरण	भारत सरकार / पीएसयू				अन्य
	रक्षा	रक्षा-इतर	देशीय	निर्यात	
					ऑफसेट कारोबार
उत्पादों की बिक्री	11,896	26	200	24	-
सेवाओं से आय	-	18	-	-	-
कुल	**11,896**	**44**	**200**	**24**	-

ii) 2018-19 के लिए संविदा की कीमतों के लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित राजस्व का समाधान

रु. लाख में

विवरण	राशि	राशि
लाभ व हानि के विवरण के अनुसार राजस्व		
उत्पादों की बिक्री	10,273	
सेवाओं से आय	52	
कुल (क)		10,325
समायोजन (ख)		-
संविदा की कीमत (क-ख)		**10,325**

ii) 2017-18 के लिए संविदा की कीमतों के लाभ व हानि के विवरण में अभिचिह्नित राजस्व का समाधान.

विवरण	Amount	Amount
उत्पादों की बिक्री	12,146	
सेवाओं से आय	18	
कुल (क)		12,164
समायोजन (ख)		-
संविदा की कीमत (क-ख)		**12,164**

iii) कार्य-निष्पादन देयता पूरा करना

क) अधिकांश संविदा कार्य-निष्पादन में, देयता को "एक निश्चित समय पर" पूरा किया जाता है जिसे प्राथमिक रूप से ग्राहक द्वारा परिसंपत्ति का नियंत्रण प्राप्त करने पर निर्धारित किया जाता है। इस पर विचार करने का एक प्रमुख सूचक उल्लेखनीय जोखिम का अंतरण और इन्को शर्तों के आधार पर ग्राहक को दिए जाने वाले प्रतिफल हैं।

ख) कंपनी की संविदा में आम तौर पर कोई उल्लेखनीय वित्तीय घटक शामिल नहीं होता है और ग्राहक द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान और / या उनके द्वारा प्रतिधारित राशि संविदा के पक्षकारों के हितों की रक्षा करने उद्देश्य से है।

ग) कंपनी के कुल कारोबार में मुख्य रूप से इमेज इनटेंसीफायर ट्यूबों की आपूर्ति करना है।.

घ) ग्राहकों के साथ की गई संविदा में विशेष रूप से कोई वापसी / धन-वापसी का खंड शामिल नहीं होता है।

ङ) दी गई वारंटियाँ मुख्य रूप से कार्य-निष्पादन वारंटी की प्रकृति की हैं।

च) "एक निश्चित समय पर" पूरी की गई कार्य-निष्पादन देयता के संबंध में राजस्व को अभिचिह्नित करने के लिए, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या ग्राहक ने संविदा के अनुसार सुपुर्दगी के निबंधन में "परिसंपत्ति का नियंत्रण" प्राप्त कर लिया है या नहीं, निम्नलिखित मानदंड का इस्तेमाल किया जाता है -

- संविदा के अनुसार सुपुर्दगी के निबंधन
- ग्राहक का परिसंपत्ति पर कानूनी हक है
- संस्थान ने परिसंपत्ति के वास्तविक अधिकार को अंतरित किया है
- ग्राहक ने परिसंपत्ति को स्वीकार किया है
- संस्थान के पास परिसंपत्ति का भुगतान करने का मौजूदा अधिकार है

छ) लेनदेन की कीमत का निर्धारित सामान्य रूप से ग्राहक के साथ की गई संविदा पर आधारित होता है।

ज) चालू / पिछले वर्ष के दौरान नकद-इतर कोई प्रतिफल लिया /दिया नहीं गया।

टिप्पणी 30 – अन्य आय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
मीयादी जमा पर ब्याज	99	105
अन्य ब्याज	13	6
विदेशी मुद्रा के लेन-देन तथा रूपांतरण पर निवल लब्धि (निवल) @	192	-
विविध आय	7	7
रद्दी की बिक्री	2	1
कुल	**313**	**119**

@ विदेशी मुद्रा विनिमय की लब्धि / (हानि) ऐसे लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा के लेनदेनों के कारण दर विचलन के कारण है।

टिप्पणी 31 – खपत सामग्री की लागत

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
1) खपत कच्चा माल और घटक		
प्रारंभिक स्टॉक जोड़ें	607	536
- खरीद	3,831	6,092
	4,438	6,628
घटाएँ – अंतिम स्टॉक	936	607
उप-कुल (1)	**3,502**	**6,021**
2) खपत स्टोर और उपभोज्य		
प्रारंभिक स्टॉक	121	112
जोड़ें - खरीद	364	334
	485	446
घटाएँ – अंतिम स्टॉक	204	121
उप-कुल (2)	**281**	**325**
कुल (1+2)	**3,783**	**6,346**

टिप्पणी 32 – तैयार माल, व्यापारगत स्टॉक और चालू कार्य की वस्तुसूचियों में परिवर्तन

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कार्य				
प्रारंभिक स्टॉक	2,257		2,211	
अंतिम स्टॉक	1,712	545	2,257	(46)
तैयार माल				
प्रारंभिक स्टॉक	-		-	
अंतिम स्टॉक	-	-	-	-
कुल कमी / (बढ़ोत्तरी)		**545**		**(46)**

टिप्पणी 33 – कर्मचारी अनुलाभ व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए	
वेतन व भत्ते		1,138		1,111
छुट्टी नकदीकरण		94		28
भविष्य निधि तथा अन्य निधियों में अंशदान				
भविष्य निधि	63		59	
अधिवार्षिता निधि	12		11	
उपदान	17		21	
अन्य निधियाँ	4	96	3	94
पी.एफ. पर प्रशासन एवं ईडीएलआई प्रभार		4		4
स्टाफ़ कल्याण व्यय		31		28
कुल		**1,363**		**1,265**

टिप्पणी 34 - वित्त लागत

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज, अन्य	1	1
बीईएल के अल्पकालिक वित्त-पोषण पर ब्याज	221	221
बीईएल से लिए ऋण पर ब्याज	133	211
नकद क्रेडिट पर ब्याज	7	-
क्रेता क्रेडिट पर ब्याज	1	9
आय कर पर ब्याज	19	15
आईजीएसटी तथा बीसीडी के विलंबित भुगतान पर लिया गया ब्याज	1	-
एमएसएमई को विलंबित भुगतान पर लिया गया ब्याज	-	1
जीएसटी पर ब्याज	-	-
उप-कुल (1)	**383**	**458**
अन्य उधार की लागत		
ऋण प्रसंस्करण प्रभार	26	57
उप-कुल (2)	**26**	**57**
कुल (1+2)	**409**	**515**

1. पिछले वर्ष से संबंधित रु. 41,929/- के नकद क्रेडिट पर ब्याज को पूर्णांकित किया गया है।
2. पिछले वर्ष से संबंधित रु. 9,281/- के आईजीएसटी और बीसीटी के विलंबित भुगतान पर लिए गए ब्याज को पूर्णांकित किया गया है।
3. चालू वर्ष से संबंधित रु. 6,595/- के एमएसएमई पर ब्याज को पूर्णांकित किया गया।
4. चालू वर्ष से संबंधित रु. 5,611/- के जीएसटी पर ब्याज को पूर्णांकित किया गया।
5. वर्ष के दौरान बीईएल से ऋण पर पूँजीगत ब्याज की राशि रु. 131/- (पिछले वर्ष - रु. 84/-) की राशि जिसे ऊपर शामिल नहीं किया गया है। पूँजीकरण दर 8.86% प्रतिवर्ष (पिछले वर्ष प्रतिवर्ष 8.21%) है।

टिप्पणी 35 – मूल्यह्रास / परिशोधन

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास / परिशोधन	851	804
अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	1,250	1,250
कुल	**2,101**	**2,054**

टिप्पणी 36 – तकनीकी सहायता शुल्क एवं यात्रा व्यय (एक्स-आर-5 टीओटी)

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
तकनीकी सहायता शुल्क	318	311
यात्रा व्यय	-	86
कुल	**318**	**397**

टिप्पणी 37 – अन्य व्यय

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली और ईंधन प्रभार	299	285
जल प्रभार	3	4
रॉयल्टी	19	19
यात्रा और वाहन	23	28
संचार	7	9
मुद्रण व लेखन सामग्री	5	5
बीमा	13	18
दर व कर	31	22
बैंक प्रभार	9	43
कानूनी व पेशेवर प्रभार	19	14
विदेशी मुद्रा विनियम में हानि (निवल)**	-	456
बट्टा खाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियाँ	1	-
मरम्मत		
मशीनरी	98	211
भवन	3	4
सामान्य रख-रखाव के व्यय	133	130
संदिग्ध ऋण का प्रावधान	21	-
अशोध्य ऋण	1	-
संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान	2	1
वारंटी अवधि के दौरान मरम्मत का प्रावधान	945	239
विविध व्यय	25	17
कुल	**1,657**	**1,505**

1. ** विदेशी मुद्रा विनिमय की लब्धि / (हानि) ऐसे लेनदेन को दर्ज करने की तारीख और निपटान / रिपोर्टिंग की तारीख के बीच विदेशी मुद्रा के लेनदेनों के कारण दर विचलन के कारण है।

टिप्पणी 38(1) – प्रति शेयर अर्जन

(क) मूल व परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में अंश के रूप में प्रयुक्त राशि लाभ व हानि के विवरण में प्रकट वर्ष हेतु कर पश्चात् निवल लाभ है।

(ख) मूल व परिवर्तित दोनों प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में हर के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या 67,37,903 शेयर है।

रु. लाख में

प्रति शेयर अर्जन	2018-19	2017-18
चालू प्रचालन से प्रति शेयर अर्जन (मूल व परिवर्तित)	21.05	19.20
बंद प्रचालन से प्रति शेयर अर्जन (मूल व परिवर्तित)	-	-
मूल व परिवर्तित प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में अंश के रूप में प्रयुक्त राशि	1,418	1,155
मूल व परिवर्तित दोनों प्रति शेयर अर्जन का परिकलन करने में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	67,37,903	60,15,838

टिप्पणी 38(2)- सीएसआर व्यय से संबंधित प्रकटण

रु. लाख में

विवरण	नकद रूप में	नकद रूप में अदा किया जाना है	कुल	खर्च न की गई राशि का विनियोजन	कुल सीएसआर अनुदान
i. किसी परिसंपत्ति पर निर्माण / अधिग्रहण	-	-	-	-	-
ii. उक्त (i) के अलावा प्रयोजन	-	-	-	18	18
	-	-	-	(13)	(13)

टिप्पणी सं. 39
वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) जोखिम प्रबंधन का ढांचा और नीति

कंपनी वित्तीय विलेखों के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से क्रेडिट जोखिम, चलनिधि के जोखिम और बाज़ार के जोखिम (विनिमय दरों, ब्याज दरों तथा कीमत के जोखिम का उतार-चढ़ाव) के अधीन है।

कंपनी के जोखिम प्रबंधन ढांचे की संस्थापना, निगरानी और पर्यवेक्षण की समग्र जिम्मेदारी निदेशक मंडल की है। इस प्रयोजनार्थ, मंडल ने एक जोखिम प्रबंध समिति गठित की है जो जोखिम प्रबंध नीतियों को विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है । कंपनी ने ऐसी संस्थापित जोखिम प्रबंध नीति तैयार की है जिसमें जोखिम प्रबंधन की संरचना निर्धारित की गई है और जिसमें वित्त तथा प्रचालनों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्राथमिकता और उपचार करने का व्यापक ढांचा तैयार किया गया है।

(ii) बाज़ार का जोखिम

बाज़ार का जोखिम वह जोखिम होता है जो बाज़ार की कीमतों में परिवर्तन से होता है जैसे विदेशी मुद्रा विनिमय की दर, ब्याज की दर, जो कंपनी की आय अथवा इसके वित्तीय विलेखों के मूल्य को प्रभावित करते हैं । बाज़ार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य प्राप्तियों को अनुकूलतम करते हुए स्वीकार्य परिमापियों के भीतर बाज़ार के जोखिमों का प्रबंध और नियंत्रण करना होता है।

कंपनी के कार्यकलापों से कंपनी प्राथमिक रूप से, विदेशी मुद्रा विनियम की दरों तथा ब्याज की दरों संचलनों में परिवर्तन से जुड़े वित्तीय जोखिम के अधीन होती है (मुद्रा जोखिम तथा ब्याज जोखिम पर नीचे दी गई टिप्पणियाँ देखें)।

(iii) मुद्रा का जोखिम

बेलॉप यूएस डॉलर (यूएसडी), यूरो, एसजीडी, सीएचएफ जैसी विदेशी मुद्राओं में किए गए खरीद और बिक्री से संबंधित प्राथमिक विदेशी मुद्रा के लेनदेनों से पैदा होने वाली विदेशी मुद्रा जोखिम के अधीन है। विद्यमान तथा भावी वाणिज्यिक लेनदेनों तथा कंपनी की कार्यशील मुद्रा (आईएनआर) से अलग मुद्रा में अभिचिह्नित परिसंपत्तियों और देयताओं से विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम पैदा होते हैं।

कंपनी की जोखिम प्रबंध समिति नियमित रूप से इस जोखिम के प्रति कंपनी के एक्सपोज़र की समीक्षा करती है।

कंपनी को निर्यात से होने वाली प्राप्तियाँ जिन्हें यूएसडी में अभिचिह्नित किया जाता है, निर्यात अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी) में प्राप्त किए जाते हैं जिसका प्रयोग यूएसडी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए किया जाता है और इस तरह, निर्यातों पर मुद्रा संबंधी जोखिम को कम किया जाता है।

ग्राहक के आदेशों के मामले में, संविदा में ईआरवी खंड शामिल किया जाता है जिससे विदेशी मुद्रा के उतार-चढ़ाव का जोखिम कम किया जाता है।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान की व्युत्पन्नी संविदा नहीं की है। यथा 31 मार्च 2019 को, कोई बकाया व्युत्पन्नी संविदा नहीं था।

मुद्रा जोखिम पर कंपनी का एक्सपोज़र नीचे दिया गया है - रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
	यूरो	यूएसडी	यूरो	यूएसडी
बैंक शेष	-	-	-	-
₹	-	-	-	-
बैंक ऋण - रक्षित	-	-	12/-	5/-
₹	-	-	1,022/-	347/-
व्यापार देय	25/-	-	51/-	-
₹	1,812/-	25/-	4,154/-	8/-
अभिचिह्नित परिसंपत्तियों और देयताओं के संबंध में निवल एक्सपोज़र	25/-	-	63/-	5/-
₹	**1,812/-**	**25/-**	**5,176 /-**	**355 /-**

1. चालू वर्ष के बैंक शेष रु. 48,767/- और पिछले वर्ष के बैंक शेष रु. 46,779/- को पूर्णांकित किया गया।
2. चालू वर्ष के व्यापार देय यूएसडी 34,596 और पिछले वर्ष के व्यापार देय यूएसडी 11,907 को पूर्णांकित किया गया।
3. चालू वर्ष के निवल एक्सपोज़र यूएसडी 33,883 को पूर्णांकित किया गया।

(iv) विदेशी मुद्रा की संवेदनशीलता

यथा 31 मार्च 2019 को प्रमुख मुद्रा यूरो के समक्ष भारतीय रुपए के औचित्यपूर्ण संभावित सशक्तीकरण / (दुर्बलीकरण) से विदेशी मुद्रा के मूल्य वर्ग के वित्तीय विलेखों को प्रभावित किया होगा और नीचे दी गई राशियों तक लाभ व हानि तथा इक्विटी को प्रभावित किया होगा। इस विश्लेषण में यह माना गया है कि अन्य सभी परिवर्त, विशेषकर ब्याज दरें, स्थिर रहती हैं और इसमें पूर्वानुमान करने योग्य किसी बिक्री या खरीद के प्रभाव को महत्ता नहीं दी गई है -

रु. लाख में

विवरण	लाभ और इक्विटी पर प्रभाव	
	31.03.2019	31.03.2018
मुद्रा वार - यूरो दर में वृद्धि 5% तक	-98.09	-208
मुद्रा वार - यूरो दर में वृद्धि 5% तक	98.09	208

(v) ब्याज दर का जोखिम

ब्याज की दर का जोखिम उचित मूल्य वाला ब्याज दर या नकदी प्राप्ति वाला ब्याज दर का जोखिम हो सकता है। उचित मूल्य वाला ब्याज दर जोखिम ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण निश्चित ब्याज वाले निवेशों के उचित मूल्यों में परिवर्तनों का जोखिम होता है। नकदी प्राप्ति वाला ब्याज दर का जोखिम वह जोखिम होता है जो अस्थावी ब्याज वाले विलेखों की भावी नकदी प्राप्ति, बाज़ार की ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के कारण परिवर्तित होगी।

क) कंपनी को बीईएल द्वारा रु. 5,000 की कार्यशील पूंजी का ऋण मंजूर किया गया है। इस पर ब्याज बीईएल द्वारा बैंक में जमा राशि पर पिछले महीने तक अर्जित लब्धि की दर पर मासिक रूप से प्रभारित होता है।

ख) कंपनी को बीईएल द्वारा एक्सआर-5 परियोजना के निष्पादन के लिए रु. 4,600 का मीयादी ऋण मंजूर किया गया है। इस पर ब्याज बीईएल द्वारा बैंक में जमा राशि पर पिछले महीने तक अर्जित लब्धि की दर पर मासिक रूप से अथवा पाँच वर्षों की अवधि के भारत सरकार के बांड पर लब्धि की ब्याज दर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, प्रभारित होता है।

ग) बेलॉप को एसबीआई (अग्रणी बैंक) के संघीय बैंकों और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 4,600 की निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित कार्यशील पूँजी सीमा भी मंजूर की गई है। इसकी ब्याज दर 8.80% प्रति वर्ष (एक्सिस बैंक) और 8.30% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है। एसबीआई और एक्सिस बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज दर अपने बेस दर से जुड़ी होती हैं जिसमें उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। यथा 31 मार्च 2019 को कुछ नहीं है जिसके संबंध में देय ब्याज एसबीआई और एक्सिस बैंक की बेस दर (निबंधन व शर्तों के अनुसार, एसबीआई और एक्सिस बैंक दोनों आवधिक आधार पर प्रभारित ब्याज को दोबारा निर्धारित करने के पात्र हैं) पर आधारित है।

(vi) चलनिधि का जोखिम

चलनिधि का जोखिम ऐसा जोखिम होता है जिसका सामना कंपनी को तब करना पड़ता है जब उसे नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति सुपुर्द करते समय वित्तीय देयताओं से जुड़ी देयताओं को पूरा करते समय कठिनाई होती है या ऐसा जोखिम जब कंपनी को अपनी प्रतिबद्धताएँ पूरी करने के लि आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाते समय सामना करना पड़ता है। चलनिधि के जोखिम के लिए कंपनी का एक्सपोज़र बहुत कम होता है क्योंकि कंपनी में एक दूरदर्शी चलनिधि जोखिम प्रबंध प्रक्रिया विद्यमान होती है जिसमें देय दायित्वों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नकदी बनाए रखना सुनिश्चित किया जाता है। निरंतर वित्त-पोषण सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी के पास चालू कार्यशील पूँजी संबंधी ज़रूरतों का वित्त-पोषण करने की नकद क्रेडिट सुविधा की प्रकृति में अल्पकालीन बैंक सुविधाएँ उपलब्ध रहती हैं।

कंपनी मुख्यत: आंतरिक रूप से सृजित नकदी प्राप्ति द्वारा अपनी चलनिधि की आवश्यकताएं पूरी करती है जिसकी निगरानी देयताओं को पूरा करने के लिए, अपेक्षित नकदी प्राप्ति का आंकलन करते हुए की जाती है।

प्रकट की गई राशियाँ संविदाजन्य प्रकट न की गई नकदी प्राप्तियाँ होती हैं। नीचे दिए गए टेबल में संविदाजन्य परिपक्व राशियों के आधार पर कंपनी की वित्तीय देयताओं का विश्लेषण किया गया है -

टिप्पणी सं. 39 –वित्तीय जोखिम प्रबंधन – चलनिधि का जोखिम (बिंदु सं. VI)

(I) वित्तीय देयताओं की परिपक्वता -

नीचे दिए गए टेबल में सभी वित्तीय देयताओं को उनकी संविदाजन्य परिपक्व राशियों के आधार पर संबंधित परिपक्वता समूह में दर्शाया गया है। यहाँ प्रकट की गई राशियाँ सकल तथा प्रकट न की गई नकदी प्राप्तियाँ हैं।

यथा 31 मार्च 2019 को

रु. लाख में

क्र.सं.	वित्तीय देयताओं की संविदाजन्य परिपक्व राशियों के शीर्ष	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	कुल
I	उधार	312	310	-	1,293	-	1,915
II	दीर्घकालीन कर्ज (बीईएल से ऋण) पर चालू परिपक्वता	-	255	767	-	-	1,022
III	व्यापार देय	495	-	-	-	-	495
IV	अन्य वित्तीय देयताएँ-						
क	अन्य देय	1,715	-	-	-	-	1,715
ख	सुरक्षा जमा	53	-	-	-	-	53
ग	बकाया व्यय	86	-	-	-	-	86
घ	उधार पर ब्याज	16	-	-	-	-	16
ङ	एमएसएमई पर ब्याज	-	-	-	-	-	-

नोट – चालू वर्ष के एमएसएमई पर ब्याज रु. 21,745/- को पूर्णांकित किया गया ।

यथा 31 मार्च 2018

रु. लाख में

क्र.सं.	वित्तीय देयताओं की संविदाजन्य परिपक्व राशियों के शीर्ष	3 महीनों से कम	3 से 6 महीने	6 महीनों से 1 वर्ष	1 से 2 वर्षों के बीच	2 से 5 वर्षों के बीच	कुल
I	उधार	1,682	312	624	1594	497	4,709
II	व्यापार देय	1,742	-	-	-	-	1,742
III	अन्य वित्तीय देयताएँ-						
क	अन्य देय	2,835	-	-	-	-	2,835
ख	सुरक्षा जमा	47	-	-	-	-	47
ग	बकाया व्यय	61	-	-	-	-	61
घ	उधार पर ब्याज	21	-	-	-	-	21
ङ	एमएसएमई पर ब्याज	1	-	-	-	-	1

(vii) क्रेडिट का जोखिम

क्रेडिट जोखिम का अर्थ ऐसे जोखिम से है जिसमें प्रति पक्षकार अपनी संविदाजन्य देयताओं में चूक करता है जिसके कारण कंपनी को वित्तीय हानि होती है। क्रेडिट का जोखिम ग्राहकों, बैंकों के पास नकद और नकद समतुल्य, सुरक्षा जमा और ऋण के एक्सपोज़र से पैदा होता है।

कंपनी के क्रेडिट जोखिम का प्रबंध जोखिम प्रबंध समिति के निर्देशों से कार्पोरेट स्तर पर किया जाता है।

सरकारी / सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) से व्यापार प्राप्तियों की उल्लेखनीय राशि देय है जिसके कारण कंपनी में ऐसी लेनदारियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम नहीं है। गैर-सरकारी व्यापार लेनदारियों के मामले में, आम तौर पर ग्राहक द्वारा संस्थापित साख-पत्र के आधार पर बिक्री की जाती है और इस तरह क्रेडिट का जोखिम कम किया जाता है।

बहुत विशेष मामलों में मंडल की अनुमति प्राप्त करने के बाद बैंक गारंटी के बिना अग्रिम भुगतान किए जाते हैं लेकिन कुल भुगतानों की तुलना में अग्रिम भुगतान की राशि बहुत कम होती है। वित्तीय परिसंपत्तियों पर अनर्जक हानियाँ (जो मुख्य रूप से विलंबित सुपुर्दगियों तथा अन्य अस्वीकृतियों की उगाही योग्य परिनिर्धारित हानियों को बताती हैं) संविदाजन्य निबंधनों आदि को ध्यान में रखने तथा अपेक्षित क्रेडिट हानि को प्रतिबिंबित करने के अन्य संसूचकों को ध्यान में रखने के बाद हिसाब में लिया गया है।

बैंकों के पास नकद और नकद समतुल्य अल्पकालिक जमाओं के रूप में हैं जिनकी परिपक्वता अवधि 1 वर्ष तक की है। कंपनी अपनी अल्पकालिक जमा राशियाँ केवल राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों तथा उनके संघीय बैंकों में ही रखती है । कंपनी को जमा राशियों पर बैंकों की चूक के कारण कोई हानि नहीं हुई है। अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में क्रेडिट जोखिम नाममात्र की है क्योंकि इसमें बैंकों द्वारा धारित मीयादी जमा राशियाँ शामिल हैं।

(viii) पूँजीगत प्रबंधन

कंपनी का पूँजी प्रबंधन उद्देश्य एक मज़बूत पूँजी आधार तथा अनुकूलतम पूँजी संरचना बनाए रखना है ताकि शेयरधारकों के लिए सक्रिय औरलाभप्रद व्यवसाय बना रहे और इस रूप में जारी रखने में कंपनी की क्षमता सुनिश्चित हो सके। ऋण के माध्यम से पूँजी जुटाने के लिए कंपनी संतुलित दृष्टिकोण अपनाती है। एक्सआर-5 परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, कंपनी ने 2018-19 और 2017-18 के दौरान राइट इश्यू द्वारा 2016-17 और 2017-18 के दौरान ऋण के माध्यम से वित्त-पोषण जुटाया है।

कंपनी ऐसी लाभांश वितरण नीति अपनाने की योजना बना रही है जिसमें भावी विकास और शेयर धारकों की संपदा बढ़ाने के लिए लाभांश का भुगतान करने और अधिशेष की राशि को प्रतिधारित किया जाता है।

यथा 31 मार्च 2019 को कंपनी का उधार इस प्रकार है -

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019 को बकाया राशि रु.	अभ्युक्तियाँ
1	बीईएल से प्राप्त कार्यशील पूँजी ऋण	622	तुलन-पत्र की टिप्पणी सं. 22 देखें
2	बीईएस से मीयादी ऋण (एक्सआर-5 परियोजना)	2,315	तुलन-पत्र की टिप्पणी सं. 18 और 25 देखें

गियरिंग अनुपात नीचे दिए गया है -

रु. लाख में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
निवल ऋण	2,937	4,709
कुल इक्विटी	21,196	18,820
निवल ऋण से इक्विटी का अनुपात	0.14	0.25

टिप्पणी सं. 39 – वित्तीय जोखिम प्रबंधन (ix)

वित्तीय विलेख – उचित मूल्य के मापन

1. लेखा वर्गीकरण तथा उचित मूल्य

निम्नलिखित टेबल में वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयताओं की वहनीय राशि तथा उचित मूल्य दर्शाए गए हैं -

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019			31 मार्च 2018		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
	उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-
	उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
I	व्यापार प्राप्य	-	-	956	-	-	1,387
II	ऋण						
क	सुरक्षा जमा	-	-	36	-	-	33
III	नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	2,869	-	-	6,100
IV	अन्य बैंक शेष	-	-	2,442	-	-	268
V	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
क	मीयादी जमा	-	-	89	-	-	23
ख	मीयादी जमा पर ब्याज	-	-	12	-	-	23
	कुल	-	-	**6,404**	--	-	**7,834**

ख) वित्तीय देयताएँ

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2019			31 मार्च 2018		
		FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत	FVPL	FVOCI	परिशोधित लागत
	उचित मूल्य पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियाँ	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-
	उचित मूल्य पर मापी न गई वित्तीय परिसंपत्तियाँ						
I	उधार	-	-	1,915	-	-	4,709
II	दीर्घकालीन कर्ज (बीईएल से ऋण) पर चालू परिपक्वता	-	-	1,022	-	-	-
III	व्यापार देय	-	-	495	-	-	1,742
IV	अन्य वित्तीय देयताएँ						
क	अन्य देय	-	-	1,715	-	-	2,835
ख	सुरक्षा जमा	-	-	53	-	-	47
ग	बकाया व्यय	-	-	86	-	-	61
घ	उधार पर ब्याज	-	-	16	-	-	21
ङ	एमएसएमई पर ब्याज	-	-	-	-	-	1
	कुल	-	-	**5,302**	-	-	**9,416**

नोट – चालू वर्ष के एमएसएमई पर ब्याज रु. 21,745/- को पूर्णांकित किया गया।

लेखों की सामान्य टिप्पणियाँ

टिप्पणी सं. 40

रु. लाख में

1 उधार

i) बैंकों से कार्यशील पूँजी ऋण

क) कंपनी को एसबीआई (अग्रणी बैंक) के संघीय बैंकरों और एक्सिस बैंक द्वारा रु. 4,600/- करोड़ की कार्यशील पूँजी सीमा मंजूर की गई है। ब्याज की दर 8.80% प्रतिवर्ष (एक्सिस बैंक) और 8.30% प्रतिवर्ष (एसबीआई) है।

ख) यथा 31.03.2019 को क्रेता क्रेडिट की उपयोगिता रु. कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु. 1,370/-) है।

ग) उपर्युक्त स्वीकृत सीमाएँ नीचे दर्शाए गए अनुसार पहले प्रभार द्वारा कच्चे माल, चालू स्टॉक, तैयार स्टॉक, भंडार एवं पुर्जे, पुस्त ऋण तथा अन्य चालू परिसंपत्तियों (संयंत्र एवं मशीनरी से संबंधित कलपुर्जों को छोड़कर) के दृष्टिबंधन द्वारा रक्षित भी हैं। स्वीकृत सीमाएँ भूमि व भवन पर साम्य गिरवी द्वारा समरूप प्रभार द्वारा भी रक्षित हैं।

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	वस्तुसूचियाँ	2,966	3,196
2	व्यापार प्राप्य	956	1,387
3.	नकद व नकद समतुल्य	2,869	6,100
4	बैंक शेष	2,442	268
5	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	13	25
6	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	284	584
	कुल चालू परिसंपत्तियाँ	**9,529**	**11,560**

ii) बीईएल से कार्यशील पूँजी ऋण

बेलॉप ने बीईएल से रु.5,000 का कार्यशील पूँजी ऋण प्राप्त किया है। पुनर्निर्धारण के बाद, मूलधन के भुगतान अक्तूबर 2017 से जुलाई 2019 तक देय हैं। यथा 31.3.2019 को बकाया ऋण राशि रु. 622/- (रु. 1,849/-). है। ब्याज बीईएल द्वारा पिछले महीने तक बैंकों के पास जमा राशियों पर अर्जित लब्धि की दर पर मासिक रूप से प्रभारित किया जाता है।

iii) बीईएल से एक्सआर-5 परियोजना के लिए मीयादी ऋण

बेलॉप ने एक्सआर-5 परियोजना के लिए बीईएल से रु. 4,600 का मीयादी ऋण प्राप्त किया है। पुनर्निर्धारण के बाद, मूलधन का भुगतान अगस्त 2019 से 36 समान किस्तों में देय हैं। यथा 31.3.2019 को बकाया ऋण राशि रु. 2,315/- (रु. 1,490/-) है। ब्याज बीईएल द्वारा पिछले महीने तक बैंकों के पास जमा राशियों पर अर्जित लब्धि की दर पर अथवा पाँच वर्ष की अवधि के भारत सरकार के बांड पर लब्धि की ब्याज दर, इनसे जो भी अधिक हो, मासिक रूप से प्रभारित किया जाता है।

2) एक्सआर-5 परियोजना का विवरण

वर्ष के दौरान एक्सआर-5 परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है। अदा किया गया लाइसेंस शुल्क विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान परियोजना के अधीन दी गई तकनीकी सहायता को लाभ व हानि के विवरण में प्रभारित किया गया है।

<u>एक्सआर-5 परियोजना का वित्त-पोषण</u>

ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आई.आई.ट्यूबों के विनिर्देश बढ़ाने के लिए, बेलॉप ने मई 2014 के दौरान एक्सआर-5 आई.आई. ट्यूबों की टीओटी के लिए मेसर्स फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक करार किया । बीईएल इक्विटी के ज़रिए 22.95 मिलियन यूरो की मूल परियोजना लागत का वित्त-पोषण करने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रस्तावित है कि संबंधित कर और शुल्क तथा बेलॉप में अवसंरचना के कोटि उन्नयन के प्रति परियोजना लागत की शेष राशि जो लगभग रु. 4,600 बनती है, ऋण द्वारा पूरी की जाएगी।

<u>राइट इश्यू</u>

वर्ष के दौरान, एक्सआर-5 परियोजना के वित्त-पोषण के भाग के रूप में, बेलॉप ने प्रीमियम पर इक्विटी शेयरों के 5,89,176 (7,08,732) राइट इश्यू जारी किए जिसका अभिदान किया गया और शेयर आबंटित किए गए।

<u>ऋण प्राप्त करना</u>

वर्ष के दौरान, एक्सआर-5 परियोजना के वित्तपोषण के भाग के रूप में, बेलॉप ने इस परियोजना के वित्त-पोषण हेतु बीईएल से रु. 817/- (रु. 492/-) का ऋण प्राप्त किया (रु. 4,600 के स्वीकृत मीयादी ऋण के समक्ष)।

3. पूँजी खाते में निष्पादित करने के लिए शेष, जिसका प्रावधान नहीं किया गया, संविदाओं की प्राक्कलित राशि रु. 17/- (पिछले वर्ष रु. 169/-) है।

4. टीओटी (एक्सडी-4) के संबंध में अनुदान अंतरण के ब्यौरे रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	₹ लाख में	
		2018-19	**2017-18**
1	मूल्यह्रास	538	540
2	लाइसेंस शुल्क का परिशोधन	1,250	1,250
3	मरम्मत और अनुरक्षण	-	169
4	कुल	**1,788**	**1,959**
5	अनुदान अंतरण का %	**74.30%**	**74.30%**
6	अनुदान अंतरण **(4*5)**	**1,329**	**1,455**

बेलॉप ने बेलॉप में उच्चतर विनिर्देश के आई.आई.ट्यूबों का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु मे. फोटोनिस, फ्रांस के साथ एक करार किया है जो अनुदान द्वारा वित्त-पोषित है। वर्ष 2018-19 में उपगत व्ययों के लिए अनुदान से टीओटी की लागत का प्रतिशत 74.30% है जिसे लाभ व हानि के विवरण में आय में अंतरित किया गया है।

5. लेखा परीक्षकों को भुगतान (जीएसटी का निवल) रु. लाख में

विवरण	**2018-19**	**2017-18**
सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क	1.50	1
कुल	**1.50**	**1**

6. संबंधित पक्षकार का प्रकटण –

क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध जहाँ नियंत्रण मौजूद है, की प्रकृति -

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध की प्रकृति
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	धारक कंपनी

धारक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ संबंधित पक्षकार के संव्यवहार रु. लाख में

संव्यवहारों की प्रकृति	संव्यवहारों की राशि	संव्यवहारों की राशि	31.03.2019 को समाप्त वर्ष में बकाया राशि		31.03.2018 को समाप्त वर्ष में बकाया राशि	
	2018-19	**2017-18**				
	(₹)	**(₹)**	नामें (₹)	जमा (₹)	नामें (₹)	जमा (₹)
बिक्री	3,695	5,057	-	-	-	-
खरीद	-	4	-	-	-	2
प्रदत्त ब्याज	485	516	-	-	-	-
आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1	-	-	1	-	-
इक्विटी अंशदान (प्रतिभूति के प्रीमियम सहित)	1,449	1,744	-	14,432	-	12,983
प्रदत्त लाभांश	346	144	-	-	-	-
व्यापार प्राप्य **	-	-	517	-	388	-
बीईएल से प्राप्त कार्यशील पूँजी ऋण	-	-	-	622	-	1,849
बीईएल से मीयादी ऋण	-	-	-	2,315	-	1,490
बीईएल के ऋण पर ब्याज (कार्यशील पूँजी)	-	-	-	3	-	9
बीईएल से मीयादी ऋण पर ब्याज	-	-	-	13	-	9

** देनदारों में रु. 140/- (पिछले वर्ष रु. 140/-) शामिल है जिसके लिए संदिग्ध ऋण का प्रावधान किया गया है।

i) बेलॉप ने 30 अप्रैल 2013 को टीओटी की रु. 104.16 करोड़ की लागत का अस्थाई वित्त-पोषण करने के लिए बीईएल के साथ करार किया है और इस करार के निबंधनों के अनुसार बेलॉप बीईएल को उक्त निधि की लागत की प्रतिपूर्ति करेगी।

ii) बीईएल यानी धारंक कंपनी के दो अधिकारी प्रतिनियुक्त पर बेलॉप में हैं और वर्ष के दौरान उनके वेतन आदि का भुगतान बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड द्वारा नियोजन के निबंधन व शर्तों के अनुसार किया गया।

iii) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ने बीईएल द्वारा नियुक्त सतर्कता अधिकारी को अदा किए गए आनुपातिक वेतन को भी वहन किया है।

<u>सरकार तथा सरकार संबंधी स्वत्वों के साथ लेनदेन -</u>

चूँकि बेलॉप रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन एक सरकारी कंपनी है, इसने सरकार तथा सरकार संबंधी स्वत्वों के साथ संबंधित पक्षकार के लेनदेन के संबंध में भारतीय ए.एस. 24 के तहत अपेक्षित विस्तृत प्रकटण करने से छूट प्राप्त की है। यथा 31.03.2019 को व्यापार प्राप्यों के रूप में रु. 600/- (पिछले वर्ष रु. 1,260/-) की राशि बकाया है।

क) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक इस प्रकार हैं -

क्र.सं.	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	पदनाम
1	श्री एम वी गौतमा	सीएमडी, बीईएल तथा अध्यक्ष, बेलॉप
2	श्रीमती आनंदी रामलिंगम	निदेशक (विपणन), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप
3	श्री कोशी एलेक्ज़ाण्डर	निदेशक (वित्त), बीईएल तथा निदेशक बेलॉप
4	श्री आर एन बग्दलकर (05.07.2018 से)	निदेशक (एचआर), बीईएल तथा निदेशक बेलॉप
5	श्री डीसीएन श्रीनिवास राव	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बेलॉप
6	श्रीमती प्रिया एस अय्यर	कंपनी सचिव व सीएफओ, बेलॉप

उपर्युक्त चार निदेशक अंशकालिक निदेशक हैं और वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा उन्हें कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया। बेलॉप के सीईओ और कंपनी सचिव एवं सीएफओ को अदा किया गया पारिश्रमिक नीचे दिया गया है -

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	अल्पकालिक अनुलाभ		सेवानिवृत्ति अनुलाभ		कुल	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
1	श्री डीसीएन श्रीनिवास राव	36	33*	7	7	43	40
2	श्रीमती प्रिया एस अय्यर	10	11	2	2	12	13

* इसमें 01.01.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि का बकाया शामिल है।

7. "प्रचालनीय खंड" पर भारतीय-एएस लेखा मानक – 108 के अनुसार, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना सं. 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015, यथा संशोधित, द्वारा रक्षा उत्पादन के कार्य में लगी कंपनियों को खंडवार रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की है।

8. कंपनी जो एकल सम्मिश्रित नकद सृजन करने वाली यूनिट है, ने आंतरिक और बाहरी कारकों के मूल्यांकन के आधार पर यह पाया है कि इसकी परिसंपत्तियों की अनर्जकता का संकेत नहीं है, इसलिए, इसके लिए कोई अलग प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।

9. कंपनी ने वर्ष के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर खर्च किया है जो संबंधित स्वाभाविक वर्गीकरण के तहत हैं जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं -

रु. लाख में

विवरण	2018-19	2017-18
सामग्री	1	-
पूँजीगत व्यय	60	14

10 रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 28.02.2019 को राष्ट्रपति जी के निदेश जारी करने के परिणामस्वरूप, जिनका कार्यान्वयन अभी लंबित है, कंपनी ने दिनांक 01.04.2017 से लागू करते हुए कार्यपालकों के वेतन पुनरीक्षण के बकाए राशि का प्रावधान किया है। गैर-कार्यपालकों का वेतन पुनरीक्षण दिनांक 01.04.2017 से नियत है। बेलॉप के कामगार संघ और वेतन पुरीक्षण वार्ता समिति द्वारा निष्कर्ष पर पहुँचना लंबित होने के कारण, प्रबंधन के प्राक्कलन के आधार पर दिनांक 01.04.2017 से लागू करते हुए गैर-कार्यपालकों को बकाया राशि का प्रावदान लेखा बहियों में किया गया है।

11. बेलॉप दिनांक 01.01.2017 से लागू करते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान अपने कार्यपालकों के लिए एक नई अधिवार्षिता योजना तैयार करने जा रही है।

12. आकस्मिक देयताएँ

रु. लाख में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)	31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए (₹)
क)	बकाया साख-पत्र	95	260
ख)	बकाया बैंक गारंटी (इसके समक्ष प्रति गारंटी कंपनी द्वारा दी गई)	354	294
ग)	कंपनी की विवादित चुँगी मांग जिसके संबंध में वित्तीय वर्ष 2005-06 में पुणे न्यायालय के वरिष्ठ खंड पीठ में राशि जमा की गई थी। वर्तमान में यह मामला स्माट कॉज़ कोर्ट, पुणे में लंबित है।	14	14
घ)	कंपनी द्वारा विवादित सेवा कर	199	198
ङ)	कंपनी द्वारा विवादित विक्रय कर	1	1
च)	ग्राहक के अनिष्पादित आदेश जहाँ सुपुर्दगी की तारीख समाप्त हो गई है, के संबंध में 31 मार्च तक के अनंतिम परिनिर्धारित हर्जाना	कुछ नहीं	कुछ नहीं
छ)	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10-बी के तहत प्राप्त अनुलाभों के संबंध में कंपनी के पक्ष में आईटीएटी द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालय में आयकर विभाग द्वारा दाखिल अपील	387	387
	कुल (क से छ)	**1,050**	**1,154**

13. शेष कार्य-निष्पादन देयता का मूल्य (निष्पादन के लंबित आदेश)

ग्राहकों के साथ की गई संविदाओं, जिन्हें आंशिक रूप से पूरा किया गया है या न किया गया है (निष्पादन के लंबित आदेश) में अभिचिह्नित न किए गए राजस्व

रु. लाख में

विवरण	कुल राशि	एक वर्ष के भीतर	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
अनिष्पादित आदेश का मूल्य	374	374	-	-	-
कुल	**374**	**374**	-	-	-

14. विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों में विवादाधीन श्रम मामलों के संबंध में देयता, यदि कोई हो, अभिनिश्चित नहीं की गई।

15. भारतीय एएस 116, पट्टे -

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा भारतीय एएस 116 को 30 मार्च 2019 को अधिसूचित किया गया था जो 1 अप्रैल 2019 के बाद शुरु होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के ले लागू है।

भारतीय एएस 116 प्रमुख रूप से पट्टाकर्ता के लेखांकन को प्रभावित करेगा और तुलन-पत्र में लगभग सभी पट्टों को अभिचिह्नित करने में परिणामित होगा। यह मानक प्रचालनीय और वित्तीय पट्टों के बीच मौजूदा अंतर को समाप्त करता है और परिसंपत्ति के अभिचिह्नन को (पट्टे की मद के प्रयोग का अधिकार) और पट्टे की सभी संविदाओं का किराया अदा करने की वित्तीय देयता को आवश्यक बनाता है। अल्पकालीन और कम मूल्य के पट्टों के लिए वैकल्पिक छूट है।

इसके कारण लाभ व हानि का विवरण भी प्रभावित होगा क्योंकि पट्टे के पूर्ववर्ती वर्षों में कुल व्यय सामान्य रूप से अधिक होता है और बाद के वर्षों में यह कम होता है। इसके अलावा, प्रचालनीय व्यय ब्याज और मूल्यह्रास से स्थानापित होगा, इसलिए ई.बी.आई.टी.डी.ए. जैसे मुख्य मैट्रिक्स परिवर्तित होंगे।

प्रचालनीय नकदी प्राप्ति अधिक होगी क्योंकि पट्टे की देयता के चुकतान और संबंधित ब्याज को वित्तीय कार्यकलापों के भीतर वर्गीकृत किया जाएगा।

पट्टादाता के लेखांकन में उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा। पट्टे की परिभाषा में नए दिशा-निर्देशों के परिणामस्वरूप कुछ अंतर हो सकते हैं। भारतीय एएस 116 के तहत, एक संविदा या जिसमें पट्टा शामिल होता है, यदि संविदा में प्रतिफल के विनिमय में एक निश्चित अवधि के लिए अभिचिह्नित परिसंपत्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का अधिकार हो।

कंपनी भारतीय एएस 116 की अपेक्षाओं के प्रबाव का मूल्यांकन कर रही है।

16. भारतीय एएस 12, आय कर -

पहले संशोधन से संस्थान को लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के लिए संबंधित देयता निर्मित करने की आवश्यकता बनती है जब वह लाभांश अदा करने की देयता को अभिचिह्नित करता है। डीडीटी की देयता को लाभ व हानि के विवरण, अन्य व्यापक आय या इक्विटी, जैसा मामला हो, में दर्ज का जाएगा।

दूसरा संशोधन ऐसी मद के कर परिणाम से संबंधित है जिसका कर उपचार अनिश्चित है। किसी मद का कर उपचार को तब अनिश्चित माना जाता है जब इस बात की अनिश्चितता हो कि संबंधित कराधान अधिकारी उस मद के कर उपचार के स्वीकार करते हैं या नहीं।

यदि किसी मद के कर उपचार को लेकर कोई अनिश्चितत होती है तो संस्थान को ऐसी अनिश्चितता का समाधान करना चाहिए। यदि इस बात की संभावना हो कि कराधान अधिकारी कर पचार को स्वीकार करेंगे तो कर योग्य लाभ / हानि, कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि / क्रेडिट और कर की दरों की राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत मामले में, संस्थान को सर्वाधिक संभावित परिणाम या अनिश्चितता के अपेक्षित परिणाम का इस्तेमाल करते हुए संबंधित मदों की राशि पर प्रत्येक अनिश्चित कर उपचार हेतु अनिश्चितता का प्रभाव दर्शाना होगा। कंपनी भारतीय एएस के संशोधनों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है।

17. भारतीय एएस 19, कर्मचारी अनुलाभ -

भारतीय एएस 19 – कर्मचारी अनुलाभ में संशोधन योजना में संशोधन, कांट-छांट और बंदोबस्त के प्रभावों से संबंधित है। जब एक संस्थान योजना में संशोधन या कांट-छांट के समय विगत सेवा लागत निर्धारित करता है तो वह योजित परिसंपत्तियों के वर्तमान मूल्य तथा चालू बीमांकिक मान्यताओं का इस्तेमाल करते हुए निवल निर्धारित अनुलाभ देयता / परिसंपत्ति की राशि का पुनर्मापन करता है जो योजित संशोधन, कांट-छांट और बंदोबस्त से पहले या बाद में योजना तथा योजित परिसंपत्तियों में प्रदान किए जाने वाले अनुलाभों को प्रतिबिंबित करते हैं।

18. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

19. वित्तीय विवरणों में दिए गए सभी आंकड़ों को उनके निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के सदस्यों के लिए,

1. विचार

हमने बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ('कंपनी') के संलग्न स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 का तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्राप्ति विवरण और उस वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

हमारे विचार में और जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना वांछित ढंग से देते हैं और 31 मार्च, 2019 को कंपनी के कार्यकलापों और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ, उसकी नकदी प्राप्ति और इक्विटी में परिवर्तन सहित, भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सच्ची और उचित जानकारी देते हैं।

2. विचार का आधार

हमने भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम (एस.ए.) कीधारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियाँ हमारी रिपोर्ट के भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण खंड की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी में भी वर्णित है। हम स्वतंत्र अपेक्षाएँ जो इस अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के अनुरूप हैं, के साथ-साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी के निरपेक्ष हैं और हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य भारतीय ए.एस.वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखा परीक्षा के विचार स्थापित करने का पर्याप्त और समुचित आधार प्रदान करते हैं।

3. स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत जिनमें अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, में वर्णित भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय ए.एस.) शामिल हैं, के अनुसार अन्य व्यापक आय, नकदी प्राप्ति तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्तन सहित वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन की सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करते हैं, के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है।

इस उत्तरदायित्व में कंपनी का परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं का निवारण करने और उनका पता लगाने के लिए, उचित लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने, न्यायोचित एवं दूरदर्शी निर्णय और प्राक्कलन करने के लिए तथा ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करने, कार्यान्वित करने और रखने के लिए जो सही और सच्ची स्थिति प्रस्तुत करने वाले तथा महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों से मुक्त, कपट या त्रुटि द्वारा, स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं, शामिल है।

भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, लाभप्रद व्यवसात से संबंधित, यथा लागू मामलों को प्रकट करने और जब तक प्रबंधन कंपनी को परिसमाप्त करने या कामकाज बंद करने का आशय नहीं रखता या ऐसा करने का कोई वास्तविक विकल्प नहीं होता, लेखांकन के लाभप्रद व्यवसाय आधार को अपनाने हेतु जिम्मेदार है।

कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने क लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार है।

4. लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत कथनों, चाहे धोखाधड़ी से या त्रुटि से मुक्त हैं, और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार उल्लिखित हैं। औचित्यपूर्ण आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है परंतु यह इस बात की गारंटी नहीं देता कि लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा से हमेशा किसी महत्वपूर्ण गलत कथन, यदि हो, का पता लगेगा। गलत कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो सकते हैं जिन्हें महत्वपूर्ण माना जा सकता है यदि वैयक्तिक रूप से या सामूहिक रूप से, वे इन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों के आधार पर लेने पर प्रयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को पर्याप्त रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

5. अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 के परिप्रेक्ष्य में भारत के केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("दि ऑर्डर") में की गई अपेक्षा अनुसार, हम "अनुलग्नक-क" में इस आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों, जहाँ तक वे लागू होते हैं, पर एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं।

2 अधिनियम की धारा 143(3) में की गई अपेक्षा अनुसार, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि -

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो जहाँ तक हमारी जानकारी और विश्वास है, हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

(ख) हमारे विचार से, कंपनी द्वारा विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी गई हैं, जैसा कि इन बहियों के परीक्षण से प्रतीत होता है;

(ग) इस रिपोर्ट में व्यवहरित तुलन-पत्र, लाभ व हानि की विवरणी, नकदी प्राप्ति विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन संबंधी विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

(घ) हमारे विचार से, उक्त स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाना है, के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक का पालन करते हैं;

(ङ) 31 मार्च 2019 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर जिसे निदेशक मंडल द्वारा दर्ज किया गया है, यथा 31 मार्च 2019 को कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के परिप्रेक्ष्य में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं है;

(च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनीय दक्षता के संबंध में, "अनुलग्नक-ख" में दी गई हमारी रिपोर्ट देखें, तथा

(छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारे विचार से तथा जहाँ तक हमारी जानकारी है और हमें स्पष्टीकरण दिए गए हैं –

(i) कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव प्रकट किया है –वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 40(12) देखें

(ii) कंपनी को व्युत्पन्नी संविदाओं सहित दीर्घकालीन संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वानुमान योग्य हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू नियमों या लेखा मानकों के तहत यथा अपेक्षित प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, चूँकि ऐसी कोई संविदा नहीं की गई;

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि में अंतरित की जाने वाली राशि को अंतरित करने संबंधी उक्त खंड के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

अधिनियम की धारा 143(5) में यथा अपेक्षित, हमने भारत के नियंत्रक व महालेखाकार द्वारा जारी निर्देशों, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभावपर विचार किया है (अनुलग्नक-ग)।

- हस्ता -

सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व की ओर से
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 112219W)

पुणे,
23 मई, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-क

(बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 5(1) में संदर्भित)

1. कंपनी ने प्रमात्रात्मक विवरण तथा अचल परिसंपत्तियों की स्थिति सहित, पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित अभिलेख रखे हैं।
   क) कंपनी में इसकी अचल परिसंपत्तियों के वास्तविक सत्यापन का नियमित कार्यक्रम मौजूद है जिसके तहत तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध ढंग से अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन कियाजाताहै।
   ख) इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछेक अचल परिसंपत्तियों का सत्यापन किया गया और ऐसे सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। हमारे विचार से, कंपनी के आकार और उसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए ऐसे वास्तविक सत्यापन की आवधिकता उचित है।
   ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर, अचल परिसंपत्तियों के स्वामित्व विलेख कंपनी के नाम पर हैं।

2. प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन वर्षांत में किया गया है और लेखा बहियों तथा वास्तविक सत्यापन में कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई।

3. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व की साझेदारियों या अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, रक्षित या अरक्षित प्रदान नहीं किया है। इसलिए, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

4. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति से कोई ऋण, निवेश या गारंटी नहीं लिया है।

5. कंपनी ने पब्लिक से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है, इसलिए, पब्लिक से स्वीकृत जमा राशियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और 76 के प्रावधानों का अनुपालन करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 के खंड 3(v) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

6. केंद्र सरकार ने कंपनी के कुल कारोबार के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत लागत अभिलेख रखने को कहा है। इस संबंध में हम कंपनी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र पेशेवर द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र पर विश्वास करते हैं।

7.
   क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए परीक्षण के आधार पर, भविष्य निधि, आयकर, विक्रयकर, मूल्य वर्धितकर, सीमाशुल्क, सेवाकर, उपकर तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय सहित अविवादित सांविधिक देयों के संबंध में लेखा बहियों में काटी गई / प्रोद्भूत राशि वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा की गई है।

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, यथा 31 मार्च 2019 को भविष्यनिधि, श्रम कल्याण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उत्पाद शुल्क, माल व सेवा कर तथा उपकर के संबंध में प्रदेय ऐसी कोई अविवादित राशि इस तरह प्रदेय होने की तारीख से छः महीनों से अधिक समय तक बकाया नहीं है।

   ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आय कर, सेवा कर और केंद्रीय विक्रय कर को छोड़कर, आयकर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल व सेवा कर, उपकर जिन्हें विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है, की कोई देय राशि नहीं है।

   हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऐसे देय जिन्हें कंपनी द्वारा विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है, इस प्रकार हैं -

क्र.सं.	देय की प्रकृति	फोरम जहाँ विवाद लंबित है	वित्तीय वर्ष	31 मार्च, 2019
1.	आय कर	उच्च न्यायालय	2015-2016	3,86,57,286
2.	सेवा कर	सी.ई.एस.टी.ए.टी.	2014-2015	12,62,327
3.	सेवा कर	सी.ई.एस.टी.ए.टी.	2016-2017	1,69,18,951
4.	सेवा कर	सी.ई.एस.टी.ए.टी.	2015-2016	15,83,123
5.	सेवा कर	आयुक्त (अपील)	2018-2019	1,32,053
6.	विक्रय कर	आयुक्त (अपील)	2011-2012	68,345

8. कंपनी ने किसी भी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या ऋण पत्रधारक से कोई कर्ज या ऋण के चुकतान में कोई चूक नहीं की है।

9. कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर / अतिरिक्त पब्लिक ऑफर (ऋण विलेख सहित) द्वारा कोई राशि नहीं जुटाया है। मीयादी ऋण का आवेदन ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए वह आशयित है।

10. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी द्वारा या कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई महत्वपूर्ण धोखाधड़ी नहीं देखी गई या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान इसकी कोई रिपोर्ट की गई।

11. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी एक सरकारी कंपनी है (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में यथा परिभाषित, अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015), इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

12. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।

13. हमारे विचार से तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ किए गए लेनदेन, जहाँ लागू हैं, अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में किए गए हैं और ऐसे लेनदेन के विवरणों को लागू भारतीय लेखा मानकों द्वारा यथा अपेक्षित, वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का अधिमान आबंटन या निजी प्लेसमेंट, पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं किया है, इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार आदेश का अनुच्छेद 3(xiv) लागू नहीं होता है।

15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ नकद-इतर कोई लेनदेन नहीं किया है, इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

16. कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।

- हस्ता -

सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व की ओर से
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 112219W)

पुणे,
23 मई, 2019

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ख

(बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों पर हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' खंड के तहत अनुच्छेद 5(2) (एफ) में संदर्भित)

1. कंपनी अधिनियम, 2013 ("दि एक्ट") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2019 को बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड ("दि कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है।

2 आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी होता है।इन उत्तरदायित्वों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निर्माण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित, इसके कारोबार को क्रमबद्ध और प्रभावी ढंग से चलाने, कंपनी की नीतियों का पालन करने, उसके परिसंपत्तियों की रक्षा करने, कपटपूर्ण कार्यों तथा त्रुटियों से बचने और उनका पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

3. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा पर आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है। हमने अपनी लेखा परीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शी टिप्पणी") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी तथा आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों जो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी तथा जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में वर्णित अनुसार माना गया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों दोनों पर लागू है, के अनुसार संचालित की है।इन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी में यह अपेक्षा की जाती है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और इस बात का औचित्यपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएँ और उसे निष्पादित करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संस्थापित और अनुरक्षित हैं तथा ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग तथा उनकी प्रचालनीय दक्षता के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा के साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, यदि कोई महत्वपूर्ण कमी को तो उसके जोखिम का मूल्यांकन करना और इस तरह मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और प्रचालनीय दक्षता की जाँच और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिनमें स्टैंडअलोन भारतीय ए.एस. वित्तीय विवरणों की जोखिमों, कपट अथवा त्रुटि से, का मूल्यांकन शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वे वित्तीय विवरणों पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर अपनी लेखा परीक्षा के विचार व्यक्ति करने का समुचित और औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करते हैं।

4. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनार्थ, वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में औचित्यपूर्ण आश्वासन प्रदान करते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में ऐसी नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो -

(1) ऐसे अभिलेखों को रखने से संबंधित हैं जो विवेकपूर्ण विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा उनके स्वभाव को सटीक और न्याय संगत ढंग से प्रतिबिंबित करते हैं;

(2) ऐसे उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सभी लेनदेन सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी अनुमत करने के लिए आवश्यकतानुसार दर्ज किए जाते हैं और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और खर्च प्रबंधन के प्राधिकरण तथा कंपनी के निदेशकों के अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, प्रयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता चलने संबंधी उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

5 वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों पर प्रबंधन के टकराव या अनुचित प्रबंधन की आशंका, त्रुटिया कपटपूर्ण कार्यों से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन शामिल हैंजिन का पता नहीं लगाया जा सका है। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए इस वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्राक्कलन ऐसे जोखिमों परनिर्भर करते हैं जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग पर ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त बन जाते हैं अथवा इन नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर घट जाता है।

6 विचार

हमारे विचार से, कंपनी में सभी महत्वपूर्ण दृष्टि से, वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंधमें समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर जारी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, 31 मार्च, 2019 को प्रभावी ढंग से प्रचालित हैं।

- हस्ता -

सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व की ओर से
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 112219W)

पुणे,
23 मई, 2019

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक-ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर प्रतिक्रिया

प्रबंधन की प्रतिक्रिया तथा लेखों की हमारी समीक्षा के आधार पर, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं -

क्र.सं.	निर्देश	प्रतिक्रिया
1.	क्या कंपनी में आई.टी. सिस्टम द्वारा लेखांकन के सभी लेनदेन करने की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय विहितार्थ के साथ-साथ लेखों की सत्यनिष्ठा पर आई.टी. सिस्टम से बाहर लेखांकन के लेनदेन करने के प्रभाव, यदि कोई हो, बताएँ।	कंपनी में आई.टी. सिस्टम द्वारा लेखांकन के सभी लेनदेन करने की प्रक्रिया मौजूद है। लेखांकन का ऐसी कोई लेनदेन नहीं किया जाता जिसे आई.टी. सिस्टम से बाहर किया जाता हो, इसलिए वित्तीय विहितार्थ का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण को चुकता करने की उसकी अक्षमता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा किसी विद्यमान ऋण को पुनर्संरचित करने अथवा कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के अधित्याग करने / बट्टा खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो उसका वित्तीय विहितार्थ बताएँ।	लेखा बहियों की हमारी समीक्षा तथा प्रबंधन द्वारा दिए गए पुष्टिकरण के आधार पर, कंपनी को ऋणदाता द्वारा किसी विद्यमान ऋण को पुनर्संरचित करने अथवा कर्ज / ऋण / ब्याज आदि के अधित्याग करने / बट्टा खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।
3.	क्या केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसी से किसी विशिष्ट योजना हेतु प्राप्त/प्राप्य निधि का उसके निबंधन व शर्तों के अनुसार उचित ढंग से हिसाब रखा जाता है / उपयोग किया जाता है? किसी विचलन के मामलों की सूची दें।	लेखा बहियों की हमारी समीक्षा के आधार पर, कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान केंद्र / राज्य सरकार की एजेंसी से कोई निधि प्राप्त नहीं की है।

- हस्ता -

सी.ए. श्रीधर पाठक
साझेदार
(सदस्यता सं. 041994)

कृते व की ओर से
नातू एंड पाठक
सनदी लेखाकर
(आईसीएआई फर्म पंजी. सं. 112219W)

पुणे,
23 मई, 2019

Insp./BELOP A/cs(2018-19)/2019-20/190

सं./No.

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखापरीक्षा बोर्ड का कार्यालय, बेंगलूर – 560 001.
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF COMMERCIAL AUDIT and Ex-Officio MEMBER, AUDIT BOARD, BENGALURU - 560 001.

दिनांक/ DATE. 25 June 2019

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

To
Shri M. V. Gowtama,
Chairman,
M/s.BEL Optronic Devices Limited,
EL 30, J Block, Bhosari Industrial Area,
Pune – 411 026

Sir,

Sub: Comments of the Comptroller and Auditor General of India under section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013.

I forward herewith Non review Certificate of the Comptroller and Auditor General of India under Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013 on the accounts of M/s. BEL Optronic Devices Limited Pune for the year ended 31 March 2019.

It may please be ensured that the Comments are:

(i) printed in toto without any editing;
(ii) placed next to the Statutory Auditors' Report in the Annual Report of the Company with proper indication in the index;
(iii) Placed before the AGM as required under proviso to Section 143(6) (b) of the Companies Act, 2013.

The receipt of this letter may please be acknowledged.

Yours faithfully,

25/6/19

(A. Subramaniyan)
Deputy Director (Admin)

Encl: As above.

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
प्रथम तल, बसव भवन, श्री बसवेश्वर रोड, बेंगलूर – 560 001.
1st Floor, Basava Bhavan, Sri Basavesware Road, Bangalore - 560 001.

दू.भा./Phone : 2226 7646 / 2226 1168
Email : mabbangalore@cag.gov.in
फैक्स /Fax : 080-2226 2491

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF M/S. BEL OPTRONIC DEVICES LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2019

The preparation of Financial Statements of **M/s. BEL Optronic Devices Limited** for the year ended 31 March 2019 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The Statutory Auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23 May 2019.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the Financial Statements of **M/s. BEL Optronic Devices Limited** for the year ended 31 March 2019 under section 143 (6) (a) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

25/06/2019

(Santosh Kumar)
Pr. Director of Commercial Audit

Place: Bengaluru

Dated: 25 June 2019

टिप्पणियाँ

सीएसआर कार्यकलाप के तहत कौशल विकास हेतु 18 जुलाई, 2019 को श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक (विपणन), बीईएल और निदेशक, बेलॉप के करकमलों से आईटीआई, खेड़ में स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन

दाईं ओर खड़े हैं.....
श्रीमती आनंदी रामलिंगम, निदेशक (विपणन), बीईएल और निदेशक, बेलॉप तथा श्री डी सी एन श्रीनिवास राव, सीईओ, बेलॉप, बेलॉप की सीएसआर समिति के सदस्यगण, श्री पी एस जोशी, उ.म.प्र. (मा.सं.) और श्रीमती प्रिया अय्यर, कंपनी सचिव एवं उ.म.प्र. (वित्त)

बाईं ओर खड़े हैं .....
श्री वी आर शेट्टी, उप प्रबंधक (ईएम), श्री इंदर सुतार, उप प्रबंधक (पी), श्री एन वी राणे, उप प्रबंधक (मा.सं.), श्री एस साकुंडे, उप प्रबंधक (पी एंड एम)

15 मई, 2019 को बेलॉप के दौरे के दौरान श्री आर एन बग्दलकर, निदेशक (मा.सं.), बीईएल तथा निदेशक, बेलॉप को दी गई विदाई का दृश्य।

श्री आर एन बग्दलकर, निदेशक (मा.सं.), बीईएल का सम्मान करते हुए श्री डी सी एन श्रीनिवास राव, सीईओ, बेलॉप

बेलॉप में ईएमई स्कूल, बड़ौदा के तकनीशियनों के लिए 16 जुलाई, 2018 को संचालित इमेज इनटेंसीफायर ट्यूबों पर कार्यशाला

ईएमई स्कूल, बड़ौदा के तकनिशियनों के साथ श्री राजेश भाड, उप प्रबंधक (विपणन), बेलॉप (सबसे दाएँ)

बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेस लिमिटेड

भारत सरकार का उद्यम, रक्षा मंत्रालय
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) की सहायक कंपनी
सी.आई.एन. - U32100PN1990GOI058096
पंजी. व प्रदान कार्यालय - ईएल-30, 'जे' ब्लॉक,
भोसारी इंडस्ट्रियल एरिया, पुणे - 411 026 (भारत)
फ़ोन - (020) 27130981 (4 लाइनें),
27130604, 27130220, 27130355
फैक्स - (020) 27130589
ई-मेल - info@belop.co.in